

वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19 ANNUAL REPORT

निर्यात निरीक्षण परिषद् EXPORT INSPECTION COUNCIL

(निर्यात निरीक्षण अभिकरणों सहित) (Including its Export Inspection Agencies) दिल्ली 🗅 मुंबई 🗅 कोलकाता 🗅 कोच्ची 🗅 चेन्नई DELHI 🗅 MUMBAI 🗅 KOLKATA 🗅 KOCHI 🗅 CHENNAI





निर्यात निरीक्षण परिषद्

(निर्यात निरीक्षण अभिकरणों सहित) दिल्ली / मुंबई / कोलकाता / चेन्नई / कोच्ची



अध्याय	शीर्षक				
	निदेशक की अभिव्यक्ति	iii			
1	अवलोकन	1			
2	गतिविधियों और उपलब्धियों की एक झलक	10			
3	निरीक्षण और प्रमाणन सेवाएं	22			
4	मूलस्थान प्रमाण पत्र	27			
5	अन्य प्रमुख गतिविधियाँ	33			
6	राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग	48			
7	कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण	51			
8	जनशक्ति सुदृढ़ीकरण	52			
9	निनिअ का नेटवर्क, निनिप के क्षेत्रीय संगठन	63			

निदेशक की अभिव्यक्ति

संगठन की गतिविधियों और उपलब्धियों की सारणी से सम्मिलित निर्यात निरीक्षण परिषद् (निनिप) की वार्षिक रिपोर्ट 2018—19 प्रस्तुत करना अत्यंत खुशी की बात है। निनिप भारत से निर्यात व्यापार को सुविधाजनक बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखने के एक और अधिक चुनौतीपूर्ण और सफल वर्ष से गुज़रा है। निनिप ने हमेशा सभी संबंधित हितधारकों को निर्यात सुविधा सेवाएं प्रदान करने में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी होने का अथक प्रयास किया है। निनिप की सफलता का श्रेय निनिप/निनिअ के अधिकारियों के टीम और सदैव समर्थक हितधारकों



के अथक प्रयासों और व्यावसायिकता को जाता है। निर्यात निरीक्षण परिषद्, इस प्रकार एक विश्वसनीय और कुशल निरीक्षण और प्रमाणन प्रणाली के माध्यम से भारतीय निर्यात के लिए दुनिया भर में पहुंच को सुविधाजनक बनाती है।

प्रारंभ के 55 वें वर्ष से गुज़रते हुए, एक प्रमाणित अभिकरण से निर्यातकों के लिये भारत की सबसे भरोसेमंद सेवा प्रदाता के रूप में निनिप की यात्रा अभूतपूर्व रही है। निर्यात निरीक्षण परिषद् अपने क्षेत्रीय संगठनों, निर्यात निरीक्षण अभिकरणों (निनिअ) के साथ, न केवल निर्यात वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रमाणित करके, बल्कि आउटरीच प्रशिक्षण कार्यक्रमों और गुणवत्ता जागरूकता के माध्यम से निर्यातकों के बीच स्वत्व मूल्यों को विकसित करके पूरे भारत में संबंधित हितधारकों को लगातार विश्व स्तरीय सेवाएं प्रदान कर रही है। यह इस तथ्य से समझा जा सकता है कि, निर्यात के लिए निनिप के प्रमाणन को यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, कस्टम यूनियन, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, भूटान, तुर्की, कोरिया, जापान और श्रीलंका सहित कई व्यापारिक भागीदारों द्वारा मान्यता प्राप्त है।

इस वर्ष निनिप की प्रणाली में कुछ प्रमुख विकास भी हुए। माननीय प्रधान मंत्री के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण और सिस्टम अपग्रेडेशन दृष्टिकोण के हिस्से के अनुरूप, निनिप ने अप्रैल 2018 में तीन डिजिटल पहल की शुरुआत की। यह डिजिटल पोर्टल जैसे कि (1) सुरक्षित खाद्य निर्यात ट्रैसेबिलिटी पोर्टल (2) एक प्रयोगशाला एक मूल्यांकन पोर्टल और (3) मॉनिटरिंग निर्यात अलर्ट पोर्टल का लोकार्पण तत्कालीन माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु द्वारा किया गया। इन डिजिटल पहलों के साथ, निनिप का इरादा भारत के निर्यात कारोबार का समर्थन बढ़ाने, लेन—देन के समय को कम करने और भारत से सुरक्षित और परेशानी मुक्त निर्यात व्यापार सुनिश्चित करने का है।

निनिप की प्रमाणन प्रणाली और योग्यता को इस वर्ष के दौरान दौरा किए अफगानिस्तान, सऊदी खाद्य और औषधि प्राधिकरण (एसएफडीए) और यूरोपीय संघ (ईयू) के विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों द्वारा सराहना की गई । इन्हीं के दौरे बहुत ही फलदायी रहे हैं और प्रतिनिधिमंडल के बहुमूल्य सुझाव प्रणाली को मजबूत बनाने में सहायक थे ।

निनिप ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय निकायों से मान्यता प्राप्त करके अपनी प्रतिष्ठा को और गौरवान्वित किया है। निनिप की वैश्विक स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए, निनिप / निनिअ के अधिकारियों को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण संकाय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (आई ए ई ए) और राष्ट्रीय कोडेक्स समिति, घाना जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आमंत्रित किया गया। इस वर्ष भी निनिप /निनिअ के अधिकारियों ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय

भारत के निर्यात विकास में भागीदार

कार्यक्रमों में भाग लिया। निर्यातकों और अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण के लिए निनिअ द्वारा लगभग 50 आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए।

मैं निनिप परिवार, राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों, व्यापार बिरादरी के सदस्यों और अन्य लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निनिप की इस अभूतपूर्व यात्रा का हिस्सा हैं। मैं हमेशा यह दृष्टिकोण रखता हूं कि एक टीम के रूप में, हम निनिप को भारत से सुरक्षित और सशक्त निर्यात के माध्यम से उत्कृष्टता प्रदान करने के मामले में एक वैश्विक ट्रेंड सेटर बना सकते हैं। अपने सक्षम कर्मचारियों द्वारा समर्थित निनिप, आने वाले वर्षों में किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है।

आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ !!

जय हिन्द,

डॉ. एस. के. सक्सेना निदेशक (निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण)

अध्याय–1

अवलोकन

निर्यात निरीक्षण परिषद् (निनिप) को भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण और लदान पूर्व निरीक्षण के माध्यम से भारत के निर्यात व्यापार के सशक्त विकास को सुनिश्चित करने और इससे जुड़े मामलों के लिए संसदीय अधिनियम, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 3 के तहत अधिनियमित किया गया था। निनिप गुणवत्ता नियंत्रण के अधीनस्थ उत्पादों को अधिसूचित करने और / या निर्यात से पहले निरीक्षण, ऐसे अधिसूचित उत्पादों के गुणवत्ता मानक स्थापित करने और गुणवत्ता नियंत्रण के प्रकार को निर्दिष्ट करने और/ या ऐसे उत्पादों पर लागू होने वाले निरीक्षण के लिए भी केंद्र सरकार का एक सलाहकार निकाय है।

निनिप भारत का आधिकारिक निर्यात प्रमाणन निकाय है और साथ ही अधिसूचित उत्पादों के लिए सक्षम प्राधिकरण है जिसके द्वारा भारत से निर्यात किए जाने वाले खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। निनिप की प्रमुख भूमिका, आयात करने वाले देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात के लिए नियत उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह आश्वासन या तो परेषण—वार निरीक्षण या गुणवत्ता आश्वासन / खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आधारित प्रमाणन के माध्यम से, अपने क्षेत्रीय अभिकरणों द्वारा प्रदान किया जाता है। निर्यात निरीक्षण अभिकरणों (निनिअ) को अधिनियम की धारा 7 के तहत स्थापित किया गया है। निनिअ समस्त भारत में 24 उप—कार्यालयों के नेटवर्क के साथ अत्याधुनिक एनएबीएल प्रत्यायित आईएसओ 17025 प्रयोगशालाओं के साथ मुंबई, कोलकाता, कोच्ची, चेन्नई और दिल्ली में स्थित हैं।

निनिप विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे मत्स्य एव मात्स्यिकी उत्पादो, दुग्ध उत्पाद, अंडा उत्पाद, प्रशीतित/शीतित मांस और मांस उत्पाद, ताजा कुक्कुट मांस और मांस उत्पाद, पशु कैसिंग, जिलेटिन, ओसीन और संदलित हडि़डयों, पोषण भोज्य और पूर्व मिश्रण के लिए अनिवार्य प्रमाणीकरण प्रदान करती है। मूंगफली और मूंगफली उत्पाद (ईयू और मलेशिया), बासमती चावल (ईयू) और शहद, जबकि अन्य खाद्य पदार्थ जिन्हें अधिसूचित नहीं किया गया है, उन्हें भी आयात प्राधिकरण/ खरीदार की आवश्यकतानुसार स्वैच्छिक आधार पर प्रमाणित किया जा रहा है। निर्यात प्रमाणन प्रणाली जीएचपी / जीएमपी / एचएसीसीपी को शामिल करने के दृष्टिकोण पर आधारित है और आयातक देशों की आवश्यकताओं को भी पूरा करने के अनुरूप है। आयात देश की आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य पदार्थों के निरीक्षण, परीक्षण और प्रमाणन के क्षेत्र में पचास से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, निनिप ने वैश्विक स्वीकृति विकसित की है। वर्तमान में, निनिप प्रमाणन को भारत के कई व्यापारिक भागीदारों जैसे कि यूरोपीय संघ, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, सऊदी अरब, वियतनाम, चीन आदि द्वारा मान्यता प्राप्त है।

खाद्य सुरक्षा नियमों और प्रमाणन की बदलती गतिशीलता के इस युग में, निनिप ने दुनिया भर में व्यापारिक साझेदारों के बीच विश्वास बनाने के लिए अपनी भूमिका और कार्यों को बदल दिया है। खाद्य सुरक्षा मामलों और तकनीकी उन्नयन के बढ़ते प्रचलन के साथ आयात करने वाले देशों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्यातक की बिरादरी सहित हितधारकों को सक्षम बनाने में निनिप ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

विश्व व्यापार संगठन समझौतों के बाद बढ़ते अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ताओं और बढ़ती मांगों के साथ वैश्विक व्यापार में काफी वृद्धि हो रही है। वैश्विक खाद्य व्यापार में प्रतिस्पर्धा के लिए गैर-प्रशुल्क उपायों द्वारा पारित चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वच्छता और पादपस्वच्छता (एसपीएस) पहल तथा एक परिवेश को बनाने की आवश्यकता है। निनिप नेटवर्क को प्राप्त करने और समकक्षता एवं मान्यता के लिए हर संभव अवसर का दोहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आयातक देशों के प्रतिनिधिमंडल निनिप द्वारा निर्दिष्ट आधिकारिक नियंत्रण और जोखिम नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन करते हैं । खाद्य और पशु चिकित्सा कार्यालय (डीजी सांटे) यूरोपीय आयोग, एफएसवीपीएस रूस, जीएसीसी चीन, एक्यूआईएस ऑस्ट्रेलिया, डीवीएस मलेशिया, एनएएफक्यूएडी वियतनाम और एसएफडी, सऊदी अरब के प्रतिनिधिमंडल ने पिछले दिनों दौरा किया है और निनिप निरीक्षण प्रमाणन और विश्लेषणात्मक परीक्षण प्रदर्शन की क्षमता और योग्यता का आकलन किया है ।

निनिप, निर्यातकों के हित की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करने में तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मानक सेटिंग प्रक्रिया में, सक्रिय रूप से शामिल है। निनिप ने गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को अपनाया है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में तीव्र प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणित है।

नागरिक चार्टर

हमारा दृष्टिकोण

 एक विश्वसनीय और कुशल निरीक्षण और प्रमाणन प्रणाली के माध्यम से भारतीय निर्यात के लिए दुनिया भर में पहुंच को सुगम बनाना और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करने तथा गुणवत्ता और सुरक्षा को प्रमाणित करने के लिए भारत के प्रमुख संगठन के रूप में वैश्विक मान्यता अर्जित करना।

हमारा लक्ष्य

- विश्व व्यापार संगठन की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रमाणन प्राधिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर देश के भीतर एक निर्यात निरीक्षण और प्रमाणन आधारित संरचना तैयार करना;
- भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा के बारे
 में आयातकों के साथ—साथ भारत के व्यापारिक भागीदारों के नियामक अधिकारियों में विश्वास पैदा करना;
- चुने हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं प्रदान करना;
- समतुल्यता समझौतों के माध्यम से भारत के व्यापारिक भागीदारों से निनिप निर्यात प्रमाणन प्रणाली के लिए मान्यता प्राप्त करना; अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भाग लेने और भारतीय हित को दर्शाना;
- अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से जनशक्ति की क्षमता में वृद्धि करना; क्षमता निर्माण के लिए नवीनतम तकनीकी प्रगति के साथ समन्वयित होना।

हमारी मान्यताएं

 हम ईमानदारी और विवेकशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ और जनता के साथ हमारे व्यवहार में शिष्टाचार और समझ के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सभी सेवाओं और प्रतिबद्धताओं को समय–सीमा में मानदंडों के अनुसार पूरा किया जाएगा।


हमारी शक्ति

 गुणवत्ता नियंत्रण, लदान पूर्व निरीक्षण और दुनिया के सभी हिस्सों में निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के मॉनिटरिंग में पचास से अधिक वर्षों का अनुभव;

- परीक्षण, ऑडिटिंग और प्रमाणन कर्तव्यों का पालन करने के लिए सक्षम, कुशल, योग्य और प्रशिक्षित जनशक्ति;
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निर्यातित अधिसूचित उत्पादों के परीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन के लिए निनिप नेटवर्क पर अत्याधुनिक एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएँ फैली हुई हैं;
- निर्यात निरीक्षण अभिकरणों (निनिअ) को अपने क्षेत्रीय

संगठनों के माध्यम से एक मजबूत नेटवर्क से समस्त भारत में अपने क्षेत्राधिकार के सभी प्रमुख बंदरगाहों, महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा उत्पादन केंद्रों में कार्यालय हैं;

समझौता ज्ञापन, समतुल्यता समझौतों आदि के माध्यम से वैश्विक मान्यता के साथ भारत के हित और आधिकारिक निर्यात प्रमाणन निकाय के किसी भी विरोध के बिना निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के तहत वैधानिक शक्तियों द्वारा समर्थित संगठन।



संगठन चार्ट

<u>टिप्पणी</u> : * ब्लू के साथ उप—कार्यालयों को प्रयोगशाला सुविधा के बिना और ग्रे को प्रयोगशाला सुविधा के साथ इंगित किया गया है।

भारत के निर्यात विकास में भागीदार

निनिप की प्रमुख गतिविधियाँ:--

- आयातक देशों के मानकों के अनुसार निर्यात के लिए उत्पादों की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर आधारित प्रसंस्करण इकाइयों का अनुमोदन;
- निर्धारित विनिर्देश के अनुसार निर्यात उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए, परेषणवार निरीक्षण (सी डब्ल्यू आई) के आधार पर, पोत लदान, पूर्व निरीक्षण और प्रमाणीकरण;
- विभिन्न अधिमान्य टैरिफ योजनाओं के तहत निर्यात उत्पादों के लिए अधिमान्य मूलस्थान प्रमाणपत्र जारी कर;
- खाद्य उत्पादों के आयात परेषण से तैयार किए गए नमूनों की प्रयोगशाला परीक्षण सेवाओं और परीक्षण

के लिए एफएसएसएआई के साथ सहयोग;

- विभिन्न निर्यात प्रमाणन योजनाओं के तहत विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र, जैसे की स्वास्थ्य, प्रामाणिकता, गैर— जीएमओ प्रमाण पत्र आदि जारी करना;
- निरीक्षण अभिकरणों की मान्यता;
- आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुसार अवशेष मॉनिटरिंग योजनाएं;
- गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के क्षेत्रों में उद्योग और अन्य हितधारकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण;
- विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों द्वारा व्यापारगत तकनीकी व्यवधान अधिसूचना की निगरानी और भारत के व्यापार पर उनका प्रभाव।

परिषद् सदस्य

अधिसूचना के अनुसार एस.ओ. 488 (ई) दिनांक 01 फरवरी, 2018, केंद्र सरकार ने, निर्यात निरीक्षण परिषद्, को पुनर्गठित किया, जैसा कि नीचे वर्णित है:—

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	
1	संयुक्त सचिव (निर्यात निरीक्षण); वाणिज्य विभाग; वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय; भारत सरकार नई दिल्ली।	अध्यक्ष
2	निदेशक निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण निर्यात निरीक्षण परिषद्; नई दिल्ली	सदस्य सचिव
3	महानिदेशक; भारतीय मानक ब्यूरो; नई दिल्ली	सदस्य पदेन
4	कृषि विपणन सलाहकार; भारत सरकार; नई दिल्ली	पदेन
5	वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशक; कोलकाता	सदस्य पदेन

अध्याय १ः अवलोकन

	अन्य सदस्य				
6	निदेशक (निर्यात निरीक्षण); वाणिज्य विभाग; वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; भारत सरकार; नई दिल्ली।	सदस्य			
7	संयुक्त सचिव; पशुपालन; डेयरी और मत्स्य पालन विभाग; कृषि मंत्रालय; भारत सरकार; नई दिल्ली।	—वही—			
8	अध्यक्ष; कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण; नई दिल्ली	—वही—			
9	अध्यक्ष; समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण; कोच्ची	—वही—			
10	अध्यक्ष; मसाला बोर्ड; कोच्ची	–वही–			
11	संयुक्त सचिव; मांस और मांस उत्पादों से निपटने वाले खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय	—वही—			
12	संयुक्त सचिव, कृषि पौध संरक्षण मंत्रालय	—वही—			
13	मुख्य कार्यकारी अधिकारी; परीक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड और अंशांकन प्रयोगशालाएँ; एनएबीएल हाउस; प्लॉट 45; गुरुग्राम; हरियाणा	–वही–			
14	सलाहकार; (मानक); भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण; भवन; कोटला रोड नई दिल्ली	–वही–			
15	निदेशक; राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान; करनाल	—वही—			
16	अध्यक्ष; अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ; नई दिल्ली	—वही—			
17	कुलपति; राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता संस्थान और प्रबंधन; प्लॉट 97; सेक्टर 56; कुंडली; सोनीपत; हरियाणा	–वही–			
18	नॉमित सदस्य; मेसर्स जियो—केम लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड; 21;विशाल; वागेश्वरी प्लॉट; दूसरी मंजिल; पोरबंदर; गुजरात	–वही–			
19	मेसर्स इंस्पेक्टरेट ग्रिफिथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से नामित सदस्य । लिमिटेड नंबर 23 चेंगलवरैया नाइकर मालीगई; 4वीं मंजिल; राजाजी सलाई; पैर्रिस; चेन्नई	—वही—			
20	नॉमिनी सदस्य; मेसर्स एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड; प्लॉट नंबर 64; जीआईडीसी से मेन रोड; धरमपुर; पोरबंदर गुजरात	—वही—			

अधिसूचित उत्पादों की सूची

निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 भारत से व्यापार की सुरक्षा के लिए आवश्यकताओं के आधार पर, निर्यात के लिए अपने मानक के साथ—साथ उत्पादों को अधिसूचित करने के लिए, परिषद् की सलाह पर केंद्र सरकार को अधिकार देता है। अधिनियम के तहत अधिसूचित विभिन्न उत्पादों को नीचे दी गई तालिका (ए) में दर्शाया गया हैः

अधिसूचित उत्पाद	राजपत्र आदेश (शों) / अधिसूचना (ओं) / आदेश (शों)			
पशु केसिंग	आदेश एसओ 2947 दिनांक 03.11.1997 और बाद में अधिसूचना एस. ओ.2948 दिनांक 03.11. 1997, बाद में संशोधन (ओ) अधिसूचना एस.ओ .1315 (ई) दिनांक 08.6.2012. नोटिफिकेशन एस. ओ. 6332 (ई) दिनांक 28.11.2018			
बासमती चावल	आदेश एस.ओ. 67 (ई) दिनांक 23.01.2003 और अधिसूचना एस.ओ. 68 (ई) दिनांक 23. 01.2003 और बाद में संशोधन (ओ) की अधिसूचना एस.ओ. 1139 दिनांक 15.5.2004, अधिसूचना एस.ओ. 716 दिनांक 05.3.2005 और अधिसूचना एस.ओ. 791 (ई) दिनांक 24.5.2006, एसओ 136 (ई) दिनांक 13.01.2016 अधिसूचना एस.ओ. 6337 (ई) दिनांक 28.11.2018 ।			
काली मिर्च	आदेश एस.ओ.245 दिनांक 07.3.1988 और अधिसूचना एस.ओ. 1311 दिनांक 22.4. 1991.			
संदलित हड्डी, ओसीन और जिलेटिन	आदेश एस.ओ. 725 (ई) दिनांक 03.4.2012 और अधिसूचना एस.ओ. 726 (ई) दिनांक 03.4. 2012.			
अंडा उत्पाद	आदेश एस.ओ.2077 दिनांक 04.08.1997 और अधिसूचना एस.ओ. 2078 दिनांक 04.08.1997 और आदेश एस.ओ. 1442 (ई) दिनांक 19.12.2003 और अधिसूचना एस.ओ. 1443 (ई) दिनांक 19.12. 2003, अधिसूचना एस.ओ.721 दिनांक 25.02.2005 और अधिसूचना एस.ओ. 1516 दिनांक 16.06. 2008, अधिसूचना एस.ओ. 1952 (ई) दिनांक 22.8.2012 अधिसूचना एस.ओ. 6340 (ई) दिनांक 28.11.2018, द्वारा बाद में संशोधन.			
पोषण भोज्य और पूर्व मिश्रण	आदेश एस.ओ. 3523 (E) और अधिसूचना S.O. 3524 दोनों दिनांक 28 नवंबर, 2013 अधिसूचना एस.ओ. 6339 (ई) दिनांक 28.11.2018			
मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद	आदेश 729 (ई) दिनांक 21.8.1995 आदेश एस.ओ. 792 (ई) दिनांक 17.8.2001, आदेश एस.ओ. 722 (ई) दिनांक 10.7.2002, आदेश एस.ओ. 464 (ई) दिनांक 24.4.2003, आदेश एस.ओ. 1227 (ई) दिनांक 23.10.2003 और बाद में आदेश एस.ओ. 1227 (ई) दिनांक 31.7.2006 द्वारा संशोधन (ओं) के और सिद्धांत अधिसूचना एस.ओ. 730 (ई) दिनांक 21.8.1995 और बाद में अधिसूचना एस.ओ.415 (ई) दिनांक 11.4.2002, अधिसूचना एस.ओ. 1029 (ई) दिनांक 24.9.2002, अधिसूचना एस.ओ. 1034 (ई) दिनांक 9.9.2003 और अधिसूचना एस.ओ. 717 दिनांक 25.2.2005, अधिसूचना एस.ओ. 612 दिनांक 15.02.2007, अधिसूचना एस.ओ. 1519 (ई) दिनांक 16.6.2008, अधिसूचना एस.ओ. 2714 (ई) दिनांक 28.10,2009, अधिसूचना एस.ओ.143 (ई) दिनांक 21.01.2011 और अधिसूचना एस.ओ. 497 (ई) दिनांक 10.3.2011, अधिसूचना एस.ओ. 6341 (ई) दिनांक 28.11.2018 द्वारा संशोधन ।			

तालिकाः (ए)ः निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के तहत अधिसूचित उत्पाद

अधिसूचित उत्पाद	राजपत्र आदेश (शों) / अधिसूचना (ओं) / आदेश (शों)		
ताजा पोल्ट्री मांस और पोल्ट्री मांस उत्पाद	आदेश एस.ओ. 1377 (ई) दिनांक 30.12.2002 और अधिसूचना एस.ओ. 1378 (ई) दिनांक 30.12. 2002 और बाद में संशोधनओं की अधिसूचना एस.ओ. 719 दिनांक 25.02.2005 और अधिसूचना एस.ओ. 1517 दिनांक 16.06.2008.		
फल और सब्जी उत्पाद	आदेश एस.ओ. 3352 (ई) एस.ओ. 3353 (ई) दोनों दिनांक 28.12.2016 अधिसूचना एस.ओ. 6338 (ई) दिनांक 28.11.2018.		
शहद	आदेश क्रमांक एस.ओ. 276 (ई) दिनांक 04.03.2002 और अधिसूचना एस.ओ. 277 (ई) दिनांक 04. 03.2002 और बाद में संशोधन (ओं) की अधिसूचना एस.ओ. 1444 दिनांक 19.12.2003, अधिसूचना एस.ओ. 1245 दिनांक 14.05.2004 और अधिसूचना एस.ओ. 1581 दिनांक 16.06.2008 अधिसूचना एस.ओ. 6336 (ई) दिनांक 28.11.2018.		
दुग्ध उत्पाद	आदेश 2719 दिनांक 28.11.2000 और अधिसूचना एस.ओ. 2720 दिनांक 28.11.2000 और बाद में संशोधन (ओं) की अधिसूचना एस.ओ. 3719 दिनांक 12.11.2002, अधिसूचना एस.ओ. 999 (ई) दिनांक 13.9.2004, अधिसूचना एस.ओ. 1397 दिनांक 24.4.2007, अधिसूचना एसओ 712 दिनांक 25.02.2005 और अधिसूचना एस.ओ. 1515 दिनांक 16.06.2008 अधिसूचना एस.ओ. 6334 (ई) दिनांक 28.11.2018.		
मूंगफली और मूंगफली उत्पाद	वाणिज्य विभाग का पत्र दिनांक 16 मई 2013		
कच्चा मांस (शीतित⁄ प्रशीतित)	आदेश एस.ओ. 203 दिनांक 15.01.1993 और अधिसूचना एस.ओ. 204 दिनांक 15.01.1993 और बाद में अधिसूचना एस.ओ .205 दिनांक 25.01.1993, अधिसूचना एस ओ.1989 दिनांक 03.9.1993 और एस ओ 2221 दिनांक 04.10.1993, अधिसूचना एस.ओ. 6335 (ई) दिनांक 28.11.2018 द्वारा संशोधन.		

विभिन्न देशों के साथ निनिप प्रमाणन की समझौते / मान्यताएं

निनिप की स्थापना के बाद से आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करके अपने गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण गतिविधियों के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। निनिप की गुणवत्ता आश्वासन गतिविधियाँ भारतीय निर्यात के लिए दुनिया भर में पहुंच को सुविधाजनक बनाने और भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा के बारे में आयातकों के साथ—साथ आयातक देशों के प्राधिकारियों में विश्वास जगाने में मदद करती हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप, निनिप प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) /आपसी मान्यता समझौते (एम आर ए) / समतुल्यता समझौते / मान्यताएं / सहयोग व्यवस्थाएं प्राप्त करने का प्रयास जारी रखती है। यह व्यवस्थाएं आयातक देशों के नियामक अधिकारियों द्वारा निनिप के प्रमाणन प्रणाली की स्वीकृति की सुविधा प्रदान करती है और एकाधिक बॉर्डर निरीक्षण से बचने में सुविधा प्रदान करती हैं।

मौजूदा समतुल्यता समझौतों / मान्यताएं / प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ सहयोग का विवरण सूचीबद्ध है.

		ज्यान्योंने /		सहयोग व्यवस्था
तालका (व	षा)ः समसुल्यता	सनझात /	नान्यतारु /	सहयाग प्यपत्त्या

देश	अन्तर्निहित उत्पाद	समझौते / मान्यता का वर्ष	
संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसएफडीए)	ě ě		
यूरोपीय आयोग	मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद, बासमती चावल, पशु केसिंग, शहद, संदलित हड्डियां, ओसीन और जिलेटिन, अंडा उत्पाद, मूंगफली, और मूंगफली उत्पाद, पोषण भोज्य एवं पूर्व मिश्रण, (सभी रूपों में शिमला मिर्च और करी पत्ते)	1997 के बाद	
कोरिया	जमे हुए समुद्री उत्पाद, प्रोसेस्ड मसाले के सामान, प्रोसेस्ड नट्स, चाय, शहद, जैम, संरक्षित सामान, सॉस, चीनी सिरप, खाद्य तेल और वसा	2004	
तुर्की	खाद्य उत्पाद, खाद्य पैकेजिंग सामग्री और स्टेनलेस स्टील के बर्तन	2004	
श्री लंका	श्रीलंका के आयात निरीक्षण योजना के तहत 85 उत्पाद अर्थात् दुग्ध उत्पाद, खाद्य तेल, डिब्बाबंद पानी, संरक्षित भोजन, प्रसाधन, साइकिल टायर और ट्यूब, स्टील सेक्शन और तार, बिजली के सामान और पीवीसी केबल और डोरियां आदि।		
सिंगापुर	खाद्य और कृषि (अंडा उत्पाद, दुग्ध उत्पाद, पीने का पानी), इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, दूरसंचार उपकरण और ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स.	2005	
जापान	पोल्ट्री और समुद्री उत्पाद	2005	
रूसी संघ कस्टम यूनियन	मछली और मत्स्य उत्पाद दुग्ध उत्पाद	2009 2016	
सऊदी अरब	मछली और मत्स्य उत्पाद	2009	
चीन	मछली और मत्स्य उत्पाद फ़ीड और फ़ीड सामग्री रेपसीड भोजन मछली भोजन और मछली का तेल	2012 2013 2015 2018	
भूटान	खाद्य और कृषि उत्पाद	2013	
नीदरलैंड	सामान्य खाद्य सुरक्षा	2019	

निनिप ने खाद्य उत्पादों के निर्यात व्यापार में आसानी के लिए, जो कि एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकता है, और भारत सरकार द्वारा की गई डिजिटल इंडिया पहल को पूरा करने के लिए बढ़े हुए अवसर प्रदान करने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ अपने संसाधनों और गुणवत्ता सेवा को परिवर्तित किया है। निनिप अन्य प्रचारक बोर्डों, निर्यातकों, आयातक देशों के प्राधिकारियों और उद्योग संघ, आधिकारिक संरचना के निर्माण में वाणिज्य मंडलों, कौशल उन्नयन, तकनीकी क्षमता और विश्लेषणात्मक क्षमता जैसे अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रही है। विकसित देशों द्वारा लगाए गए एसपीएस उपायों से संबंधित भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए निनिप लगातार अपनी क्षमता विकसित कर रही है। अध्याय–2

गतिविधियों और उपलब्धियों की एक झलक

निर्यात निरीक्षण परिषद् (निनिप), भारत सरकार का एक सलाहकारी निकाय, सेवा वितरण में उत्कृष्टता प्राप्त करने के प्रयासों के साथ राष्ट्र को सेवा का 54 वाँ वर्ष सफलतापूर्वक पूरा कर चुकी है। चालू वर्ष की प्रमुख उपलब्धियां, मजबूत नेतृत्व का श्रेय, प्रतिबद्ध और प्रेरित कर्मचारी और सभी संबंधित हितधारकों के समर्थन के साझा प्रयास हैं।

2.1 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- भूटान कृषि और खाद्य नियामक प्राधिकरण (बाफरा) भूटान के नोटिफिकेशन दिनांक 20 जून, 2018 से, 01 अगस्त, 2018 से प्रभावी/ठंडा और जमे हुए मछली और क्रस्टेशियंस के आयात के लिए निनिप हेल्थ सर्टिफिकेशन अनिवार्य है। इसी प्रकार निनिप के हेल्थ सर्टिफिकेट को बाफरा द्वारा एनिमल फीड, फीड एडिटिव्स और प्री के आयात के मार्च 2019 में मिश्रण के लिए अनिवार्य किया गया है। यह दोनों घटनाक्रम निनिप और बाफरा के मध्य हस्ताक्षरित एमओयू के दायरे में आए।
- भारत से चीन के लिए मछली के भोजन / मछली के तेल के निर्यात के लिए स्वच्छता और निरीक्षण आवश्यकताओं के लिए तकनीकी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए, 28 नवंबर, 2018 को नई दिल्ली में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (जीएसीसी) और निर्यात निरीक्षण परिषद् के सामान्य प्रशासन के बीच हस्ताक्षर किए गए।



जीएसीसी और निनिप के मध्य तकनीकी प्रोटोकॉल पर 28 नवंबर, 2018 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए।

- निनिप ने 13—14 दिसंबर, 2018 के दौरान हैदराबाद, तेलंगाना में "अंतःस्रावी विघटनकारी रसायन (ईडीसीएस)ः विगत अनुभव, वर्तमान परिदृश्य और भविष्य के दृष्टिकोण" पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन में आईसीएमआर. राष्ट्रीय पोषण संस्थान के साथ भागीदारी की।
- खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में सहयोग के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर 28 मार्च, 2019 को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई),निनिप और नीदरलैंड खाद्य और उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा प्राधिकरण के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।


2.2 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल का दौरा

क) यूरोपीय आयोग (ईसी) का खाद्य और पशु चिकित्सा कार्यालय (एफवीओ) मिशन

एफवीओ मिशन ने 16 अप्रैल, 2018 के दौरान भारत में पशुओं और पशु उत्पादों में अवशेषों और दूषित पदार्थों के नियंत्रण का मूल्यांकन करने के लिए भारत का दौरा किया, जिसमें पशु चिकित्सा उत्पादों पर नियंत्रण भी शामिल है।



अप्रैल 2018 में एफवीओ मिशन का दौरा ।





निनिअ– कोच्चि के एसएफडीए प्रतिनिधिमंडल का दौरा।

सऊदी खाद्य और औषधि प्राधिकरण (एसएफडीए) के प्रतिनिधिमंडल ने 15 दिसंबर, 2018 को निनिअ— कोच्चि का दौरा किया। निनिअ—कोच्चि द्वारा प्रदान की गई परीक्षण सुविधाओं से परिचित होने के लिए टीम ने निनिअ— कोच्चि की प्रयोगशाला सुविधाओं का दौरा किया।

भारत के निर्यात विकास में भागीदार

ग) अफगानिस्तान प्रतिनिधिमंडल का दौरा.

कृषि, सिंचाई और पशुधन मंत्रालय (एमएआईएल), सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय (एमओपीएस), अफगानिस्तान राष्ट्रीय मानक प्राधिकरण (एएनएसए) और उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय (एमओआईसी) के सदस्यों के साथ अफगानिस्तान प्रतिनिधिमंडल 04 फरवरी, 2019 को निनिअ. कोच्चि का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल को निनिअ— कोच्चि द्वारा निर्यात प्रक्रिया, एंटीबायोटिक्स और कीटनाशकों के लिए परीक्षण पर मूल्यांकन किया गया था।



निनिअ– कोच्चि में अफगानिस्तान का प्रतिनिधिमंडल।

घ) यूरोपीय संघ तकनीकी सहायता मिशन का दौरा

यूरोपीय आयोग के अवशेषों पर तकनीकी सहायता मिशन 18 फरवरी से 1 मार्च 2019 तक किया गया था। इस मिशन ने अप्रैल 2018 में यूरोपीय संघ के पिछले अवशेष मिशन की सिफारिशों के संबंध में भारत का दौरा किया। इस मिशन में एक यूरोपीय संघ के विशेषज्ञ, डॉ. फ्रेंकोइस आंद्रे जिन्होंने स्थापना, खेतों, प्रयोगशालाओं, पशु चिकित्सा औषधीय उत्पाद (वीएमपी) की दुकानों का दौरा किया और केंद्रीय और राज्य दवा अधिकारियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत की। मिशन ने पिछले अवशेष मिशन की सिफारिश के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में संतोष व्यक्त किया और निनिप को कुछ सिफारिशें/सुझाव प्रस्तुत किए, जिसके लिए निनिप द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की गई है।



निनिप में यूरोपीय संघ तकनीकी मिशन की बैठक।

अध्याय 2: गतिविधियों और उपलब्धियों की एक झलक

2.3 राष्ट्रीय दौरे

क) निनिअ— कोच्चि में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के अध्यक्ष का दौरा



सुश्री रीता तेवतिया, चेयरपर्सन, एफएसएसएआई, निनिअ–कोच्चि में।

सुश्री रीता तेवतिया, अध्यक्ष, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), 22 जनवरी, 2019 को निनिअ—कोच्चि का दौरा किया । अध्यक्ष, एफएसएसएआई ने रासायनिक, आणविक जीव विज्ञान और माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशालाओं का दौरा किया, जहां उन्हें प्रयोगशाला द्वारा की गई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई ।

ख) निनिअ–कोच्चि में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के सीईओ का दौरा.



श्री पवन कुमार अग्रवाल, सीईओ, एफएसएसएआई, निनिअ–कोच्चि में।

श्री पवन कुमार अग्रवाल, सीईओ, फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड्स अथॉरिटीऑफ इंडिया (एफएसएसएआईए) 22 दिसंबर, 2018 को निनिअ—कोच्चि का दौरा किया। उन्होंने रासायनिक और आणविक जीवविज्ञान प्रयोगशाला का दौरा किया और कोच्चि प्रयोगशाला की गतिविधियों और प्रयासों की सराहना की। श्री जयपालन जी. उप निदेशक/प्रभारी, निनिअ—कोच्चि ने एफएसएसएआई के सीईओ का सम्मान किया।

2.4 क्षमता निर्माण

मानव संसाधन निनिप के लिए सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। सभी संबंधित हितधारकों के कौशल और ज्ञान को विकसित करने के लिए योजनाबद्ध आवधिक क्षमता निर्माण पहल हैं। निनिप / निनिअ अधिकारियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण / कार्यशालाओं और सेमिनारों के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है। अधिकारियों और कर्मचारियों को चालू विकास के बारे में जानने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत निनिप / निनिअ द्वारा रिफ्रेशर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, निनिप / निनिअ अधिकारियों को अन्य हितधारकों द्वारा समन्वित विभिन्न कार्यक्रमों में संसाधन व्यक्तियों के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों की आवश्यकताओं के अनुपालन को प्राप्त करने के लिए, निनिप समय–समय पर कई पहल करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके हितधारक और निर्यातक बिरादरी नियामक आवश्यकताओं के बारे में अच्छी तरह से परिचित हैं। समस्त भारत में 50 से अधिक विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों का संचालन किया गया है। उपरोक्त के अलावा, निनिप, वाणिज्य मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित

"स्टैंडर्ड कॉन्क्लेव" के महत्वपूर्ण हितधारकों में से एक है।



एसईएमएस प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्लॉकवाइज) 1. एक प्रोसेसिंग प्रतिष्ठान के दौरे. 2. कक्षा प्रशिक्षण सत्र 3. निनिप, निदेशक द्वारा प्रमाण पत्र वितरण | 4. मान्य सत्र |

अध्याय 2: गतिविधियों और उपलब्धियों की एक झलक

निनिप ने राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के मत्स्य विभागों द्वारा संवर्धित आधिकारिक नियंत्रण द्वारा सतत निर्यात के अवसरों के लिए समुद्री क्षेत्र (एसईएमएस) में एसईएमएस कौशल संवर्धन का आयोजन किया। निनिप ने 2018–19 में चेन्नई, कोच्चि, विजयवाड़ा, मैंगलोर और वेरावल में पांच कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें राज्य के मत्स्य अधिकारियों को प्राथमिक उत्पादन स्तर पर बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली अपनाने के लिए तैयार किया गया। कुल 75 राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है।

2.5 कोडेक्स गतिविधियाँः

खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता की आवश्यकताओं में वैश्विक बदलाव के बारे में और अपने जनादेश से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से दूर करने के अपने प्रयासों के एक भाग के रूप में, निनिप, ने वर्ष 2018–19 के दौरान निम्नलिखित कोडेक्स बैठकों में भाग लिया हैः

- दिनांक 2–6 जुलाई, 2018 के दौरान रोम, इटली में कोडेक्स एलेमेंट्रिस आयोग का 41 वां सत्र ।
- दिनांक 5–6 सितंबर, 2018 के दौरान नई दिल्ली, भारत में एफएसएसएआई के सहयोग से कोडेक्स सचिवालय द्वारा आयोजित कोडेक्स में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और टूल्स पर सीसीएएसआईए कार्यशाला।
- दिनांक 22–26 अक्टूबर, 2018 के दौरान ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में खाद्य आयात और निर्यात निरीक्षण और प्रमाणन प्रणाली पर कोडेक्स समिति का 24 वां सत्र।

उपरोक्त के अलावा, निनिप/निनिअ के अधिकारियों ने विभिन्न कोडेक्स समितियों से संबंधित 11 इलेक्ट्रॉनिक कार्य समूहों (ईडब्ल्यूजीएस) में भाग लिया। कोडेक्स–इंडिया के साथ निनिप ने कोडेक्स मानकों के भारतीय एक्वाकल्चर उद्योग के विजुअल उपयोग की सफलता की कहानी को कवर करने के लिए सितंबर 2018 में कोडेक्स सचिवालय की नेल्लोर की यात्रा का समन्वय किया। कोडेक्स—इंडिया के विशिष्ट अनुरोध पर निनिप ने विभिन्न प्रयोगशालाओं के इनपुट के आधार पर चावल में अफलाटॉक्सिन पर डेटा प्रदान किया।



सीएसी के 41 वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल



सीसीएफआईसीएस के 24 वें सत्र के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल



कोडेक्स में भागीदारी के लिए प्रभावी तैयारी पर कोडेक्स एशियाई क्षेत्र के लिए कार्यशाला में निनिप

भारत के निर्यात विकास में भागीदार

2.6 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मानक कॉन्क्लेव।

राष्ट्रीय मानक कॉन्क्लेव और क्षेत्रीय मानक कॉन्क्लेव में निनिप की भागीदारी



मानक कॉन्क्लेव में निनिप की भागीदारी

वर्ष 2018.19 के दौरान, निनिप ने राष्ट्रीय मानक कॉन्क्लेव और क्षेत्रीय मानक कॉन्क्लेव के आयोजन में सीआईआई और वाणिज्य विभाग के साथ भागीदारी की है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर इस तरह के आयोजनों में भाग लेना निर्यातकों के साथ जुड़ने और राष्ट्रीय मानक सेटिंग कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए निनिप अवसर प्रदान करता है। निनिप ने 18—19 जून 2018 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित "मानकीकरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय रणनीति को लागू करना" पर 5 वें राष्ट्रीय मानक कॉन्क्लेव में भागीदारी की; 4 जनवरी, 2019 को लखनऊ में क्षेत्रीय मानक कॉन्क्लेव; 1 फरवरी, 2019 को भुवनेश्वर में 12 वीं क्षेत्रीय मानक कॉन्क्लेव और मुंबई में 8—9 फरवरी, 2019 के दौरान "आईएनएस के साथ आगे बढ़नाः एक विश्व स्तर की गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र का विकास" विषय पर विशेष मानक कॉन्क्लेव।

2.7 मेले और प्रदर्शनियाँ

क) इन्डस खाद्य प्रदर्शनी–2019 में निनिप की भागीदारी।



इन्डस फूड 2019 में निनिप की भागीदारी

दिनांक 14—15 जनवरी, 2019 को ग्रेटर नोएडा में प्रदर्शनी के दौरान भारत के व्यापार संवर्धन परिषद् और वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा आयोजित ईयूसी फूड के दूसरे संस्करण में निनिप ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, माननीय केंद्रीय कैबिनेट, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री द्वारा किया गया था। निनिप ने प्रदर्शनी में एक स्टाल लगाया। आगंतुकों में अध्यक्ष, निनिप, श्री संतोष कुमार सारंगी, सुश्री रीता तेवतिया, अध्यक्ष, एफएसएसएआई, एवं निदेशक, निनिप के साथ उपस्थित रहे है ।

ख) ब्रैकन (विश्व ब्रैकिशजल एक्वाकल्चर सम्मेलन) —2019 में भागीदारी



डॉ. एस. के. सक्सेना, निदेशक, निनिप, ब्रैकन 2019 के दौरान संबोधन।

निनिप ने 22—25 जनवरी, 2019 के दौरान चेन्नई, भारत में विश्व ब्रैकिश जल एक्वाकल्चर सम्मेलन —2017 में ब्रैक वाटर वॉटर एक्वाकल्चर (आईसीएआर—सीआईबीए) के आईसीएआर—सेंट्रल इंस्टीट्यूट के साथ भागीदारी की। निनिप ने मछली के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के विषय पर एक तकनीकी सन्न की अध्यक्षता की, और मत्स्य उत्पादः अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य "23 जनवरी 2019 को" और एक स्टाल भी स्थापित किया।

ग) निफ्टेम फूड फेस्टिवल 2019 में भाग लेना



निफ्टेम फूड फेस्टिवल- 2019

निनिप ने 21–22 फरवरी, 2019 में निफ्टेम फूड फेस्टिवल में भी भाग लिया, जो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम), सोनीपत, हरियाणा में आयोजित किया गया था. निनिप के स्टॉल पर छात्रों और निर्यातकों द्वारा दौरा किया गया था, जहाँ उनकी चिंताओं और निर्यात से संबंधित शंकाओं का समाधान किया गया.

2.8 अन्य घटनाएँ और गतिविधियाँ

वर्ष 2018–19 निनिप के लिए एक शानदार वर्ष था, जिसमें

कई राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। सभी कार्यक्रमों को सभी कर्मचारियों की महान भावना और पूर्ण भागीदारी में मनाया गया। ईवेंट / गतिविधियाँ केवल निनिप /निनिअ कार्यालय परिसर तक सीमित नहीं थीं, बल्कि स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी और अन्य हितधारकों की भागीदारी को भी चिहिनत किया। निनिप /निनिअ ने वर्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण गतिविधियों का अवलोकन किया और इन गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:—

	वर्ष 2018—19 में आयोजित राष्ट्रीय इवेंट्स					
क्र.स.	गतिविधि	गतिविधि का विवरण	फोटो			
1	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2018 को निनिप⁄निनिअ में मनाया गया। योग सत्रों का आयोजन किया गया जिसमें स्वास्थ्य, खुशी और सद्भाव के लिए योग के महत्व और लाभों पर बातचीत की गई। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने सन्न के दौरान योग का प्रदर्शन किया।				
2	हिंदी पखवाड़ा	दिनांक 14—28 सितंबर, 2018 तक नि. निप/निनिअ में 'हिन्दी दिवस/ पखवाड़ा' मनाया गया था। हिंदी कार्यशालाओं के लिए बाहरी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। शब्दावली प्रतियोगिता, वाद—विवाद प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पणी और निबंन्ध प्रतियोगिता जैसी विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।				

तालिका (सी)ः नेशनल इवेंट्स 2018–19

अध्याय 2: गतिविधियों और उपलब्धियों की एक झलक

क्र.स.	गतिविधि	गतिविधि का विवरण	फोटो
3	महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती	महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का उत्सव 02 अक्टूबर, 2018 से 02 अक्टूबर, 2020 तक आधिकारिक ईमेल और कार्यालय परिसर पर लोगो ब्रांडिंग के माध्यम से निनिप/निनिअ में मनाया जा रहा है।	Allerador Dathan and a second of the data and the second of the data and the second of
4	सतर्कता जागरूकता सप्ताह (मेरी दृष्टि —भ्रष्टाचार मुक्त भारत)	29 अक्टूबर से 03 नवंबर, 2018 के दौरान निनिप⁄ निनिअ में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।	
5	राष्ट्रीय एकता दिवस / राष्ट्रीय एकता दिवस	31 अक्टूबर, 2018 को "राष्ट्रीय एकता दिवस / राष्ट्रीय एकता दिवस" के उत्सव के दौरान निनिअ में एक प्रतिज्ञा ली गई थी।	
6	स्वच्छ्ता पखवाड़ा	स्वच्छ भारत सप्ताह 01–15 नवंबर 2018 के दौरान निनिप/निनिअ में देखा गया। सप्ताह के दौरान गतिविधियों जैसे, स्वच्छ प्रतिज्ञा, बैनरों का प्रदर्शन, जागरूकता के लिए आउटरीच लीफलेट, कार्यालय परिसर की सफाई, स्वच्छता जागरूकता पर हितधारकों के साथ विचार–विमर्श, कार्मिक स्वच्छता दिवस, का आयोजन किया गया। स्वच्छ भारत के माननीय प्रधान मंत्री के दर्शन की प्राप्ति के एक हिस्से के रूप में,	Катеран Vaaans Swachhta Pakhwada Ката от. 11.2018 й 15.11.2018 ат. Ката ст. 11.2018 й 15.11.2018 ат.

भारत के निर्यात विकास में भागीदार

क्र.स.	गतिविधि	गतिविधि का विवरण	फोटो
		निनिअ—कोच्चि ने कार्यालय परिसर से परे अन्य स्थानों जैसे मछली लैंडिंग और नीलामी केंद्रों में व्यापार की सक्रिय भ. ागीदारी के साथ स्वच्छ गतिविधियों को बढ़ाया। कोचीन फिशरीज हार्बर, थोप पुम्पडी, निनिअ— कोच्चि की स्वच्छता और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने के लिए, केरल क्षेत्र के सीफूड एक्सपोर्टर एसोसिएशन (एसईएआई) के सहयोग से 21 जुलाई, 2018 को बंदरगाह पर स्वच्छ्ता गतिविधियों को अंजाम दिया।	

क्र.स.	गतिविधि	गतिविधि का विवरण	फोटो
7	बाल दिवस समारोह	14 नवंबर, 2018 को बाल दिवस निनिअ में मनाया गया, जिसके दौरान बच्चों के लिए क्विज / पेंटिंग प्रतियोगिता और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को उपहार वित. रित किए	
8	कौमी एकता सप्ताह	''कौमी एकता सप्ताह" को 19—25 नवंबर, 2018 तक निनिअ⁄निनिअ द्वारा बैनरों के प्रदर्शन और प्रतिज्ञा के साथ निनिअ में देखा गया था।	
9	सशस्त्र सेना झंडा दिवस	7 दिसंबर, 2018 को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया ।	

अध्याय–3

निरीक्षण और प्रमाणन सेवाएं

निनिप में, निरीक्षण और प्रमाणन के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार की प्रणालियाँ लागू की जा रही हैं, परेषण वार निरीक्षण और एक प्रणाली दृष्टिकोण, यह नीचे विस्तृत हैं:—

क) खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आधारित प्रमाणन (एफएसएमएससी)।

खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आधारित प्रमाणीकरण का पालन खाद्य क्षेत्र में किया जाता है, जिसके तहत एचएसीसीपी / जीएमपी / जीएचपी पर आधारित खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के अनुरूप प्रसंस्करण इकाइयों को अनुमोदित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें भारतीय / अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर, आयात करने वाले देशों द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिक उत्पादन नियंत्रण संबंधी और अंतिम उत्पाद आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता होती है |वर्तमान में, इस तरह की प्रणाली को कई खाद्य उत्पादों में बढावा और कार्यान्वित किया जा रहा है। मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पादों, दुग्ध उत्पादों, कुक्कुट मांस और कुक्कूट मांस उत्पादों, अंडा उत्पादों के मामले में, भारत सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि इन उत्पादों को केवल इस प्रणाली के तहत शामिल अनुमोदित इकाइयों से निर्यात किया जा सकता है। कुछ खाद्य उत्पादों जैसे काली मिर्च, बासमती चावल, शहद आदि में, इस प्रणाली को स्वैच्छिक आधार पर या आयातक देश की आवश्यकताओं के अनुसार भी अपनाया जा रहा है।

एफएसएमसी आधारित प्रमाणीकरण में. प्रसंस्करणकर्ता की प्राथमिक जिम्मेदारी ਧੁਨ सुनिश्चित करना है कि निर्यात के लिए इच्छित उत्पादों के उत्पादन, भंडारण के सभी चरणों में प्रसंसकृत किया जाए, और उचित स्वच्छ शर्तों के तहत परिवहन किया जाए ताकि नियमों के तहत निर्धारित स्वास्थ्य आवश्यकता को पूरा किया जा सके | इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, संयंत्रों को योजना और कार्यान्वयन के लिए खुद की जाँच प्रणाली आवश्यक हैं तथा आवश्यक अभिलेख रखने की आवश्यकता होती है। निनिअ को अधिसूचना आवश्यकताओं के अनुसार प्रसंस्करण संयंत्र द्वारा अनुपालन को सत्यापित करने की आवश्यकता होती है ।

ख) परेषण वार निरीक्षण प्रणाली (सीडब्ल्यूआई)

कंसाइनमेंट वाइज इंस्पेक्शन सिस्टम के तहत, निर्यात खेप का निनिअ द्वारा निरीक्षण और परीक्षण किया जाता है। नमूने सांख्यिकीय नमूना योजना के अनुसार तैयार किए गए हैं, और उत्पादों की अनुरूपता को निर्धारित मानकों को सत्यापित करने के लिए परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार के निरीक्षण को कुछ अधिसूचित वस्तुओं के लिए भी दिया गया है, जैसे बासमती चावल, शहद खाद्य पदार्थ और पूर्व मिश्रण, फल उत्पाद। सीडब्ल्यूआई को स्वैच्छिक प्रमाणन योजना के तहत भी पेश किया जाता है।

स्वीकृत इकाइयों की संख्या						
एफएसएमएससी के अंतर्गत	निनिअ– चेन्नई	निनिअ— दिल्ली	निनिअ— कोच्ची	निनिअ – मुंबई	निनिअ– कोलकाता	
दुग्ध उत्पाद	23	11	7	0	63	
शहद	0	2	0	0	0	
अंडा उत्पाद	3	1	2	0	2	
ताजा कुक्कुट, मांस और कुक्कुट, मांस उत्पाद	5	0	4	1	5	
मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद	206	0	202	102	389	
काली मिर्च यूएसए	0	1	13	0	9	
पशु केसिंग	0	0	0	0	3	
पोषण भोज्य एवं पूर्व मिश्रण	4	0	2	0	4	
बासमती चावल	0	5	0	0	0	
फल उत्पाद	24	3	0	1	41	
स्वैच्छिक योजना	13	2	11	0	54	
रेपसीड खाद्य	0	3	0	0	0	

तालिका (डी)ः निनिप / निनिअ द्वारा अनुमोदित प्रतिष्ठानों की संख्या 2018–19

तालिका (ई)ः निर्यात प्रमाणीकरण

वर्ष 2018—19 में विभिन्न योजनाओं के तहत निर्यात प्रमाणपत्र										
	निनिअ– चेन्नई	निनिअ– दिल्ली	निनिअ— कोच्ची	निनिअ– कोलकाता	निनिअ— मुम्बई					
एफएसएमएस के तहत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र	26,631	1,916	13,242	11,051	22,233					
परेषण—वार निरीक्षण के तहत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (सीडब्लूआई)	2,132	70	874	48	6,824					
गैर जीएमओ प्रमाण पत्र	286	1,187	386	0	4,293					
तुर्की योजना के तहत जारी किए गए प्रमाण पत्र	124	210	104	0	145					
प्रामाणिकता प्रमाण पत्र	0	535	3	0	0					
एफएसएमएस के तहत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (वीसीएस)	0	1,742	0	299	1,041					

3.1 मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पादों के लिए प्रमाणन योजना

ताजा, प्रशीतित और प्रसंस्कृत मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद के निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और मॉनिटरिंग) नियम, 1995 के तहत, राजपत्र अधिसूचना सं. 730 (ई) दिनांक 21 अगस्त, 1995 द्वारा मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पादों के अनिवार्य लदान—पूर्व प्रमाणीकरण किया जा रहा है।

31 मार्च 2019 तक निर्यात के लिए 754 अनुमोदित मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद प्रसंस्करण संयंत्र, स्वतंत्र / हिम संयंत्र, स्वतंत्र / प्रसंस्करण केंद्र, स्वतंत्र / शीत भंडार और जिंदा मत्स्य / केकड़े प्रतिष्ठान हैं। आरएएसएफएफ का विवरण इस प्रकार है: –

प्रतिष्ठान	570	
स्वतंत्र / अलग किए गए बर्फ के पौधे	20	
स्वतंत्र / अलग पूर्व प्रसंस्करण संयंत्र	44	
स्वतंत्र / डिटेल्ड कोल्ड स्टोरेज	68	
लाइव मछली प्रसंस्करण प्रतिष्ठान	52	

3.2 फल और सब्जी उत्पादों के लिए प्रमाणन योजना

फल और सब्जियों के उत्पादों के निर्यात से संबंधित आदेश एस.ओ.नंबर 3352 (ई) और अधिसूचना संख्या एस.ओ.3353 (ई) दोनों दिनांकित 28.10.2016, भारत के राजपत्र में दिनांक 31.10.2016 को प्रकाशित किए गए हैं। नए आदेश ने मूल आदेश एस.ओ.1420 दिनांक 13.05.1978 को अधिक्रमण किया है और फलों और सब्जियों के उत्पादों (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) के नियमों 2016 को अधिसूचना एस.ओ.3353 (ई) द्वारा फलों के उत्पादों के निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) नियम 1978 के अधिक्रमण में अधिसूचित किया गया है। उपरोक्त आदेश यह सूचित करता है कि फल और सब्जी उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण या निरीक्षण के अधीन होंगे या उन मामलों में निर्यात करने से पहले जहां आयात करने वाले देशों को इस तरह के निर्यात प्रमाणन की आवश्यकता होती है और शुल्क भी कम कर दिया गया है। निनिप अपने निनिअ के माध्यम से इस योजना को लागू कर रही है और 31 मार्च, 2019 के दौरान निनिप के द्वारा निनिअ के योजना कार्यान्वयन हेतु कुल 68 प्रतिष्ठानों को अनुमोदित/नवीनीकृत किया गया है।

3.3 मूंगफली और मूंगफली उत्पादों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रमाणन योजना

निनिप को 2013 में यूरोपीय संघ और मलेशिया को मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यात के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

3.4 अंडे उत्पाद के लिए प्रमाणन योजना

निनिप के ऑर्डर एस.ओ. 2077 दिनांक 04.08.1997 और अधिसूचना एस.ओ. 2078 दिनांक 04.08.1997 के संदर्भ में अंडा उत्पादों के निर्यात के लिए योजना को लागू कर रहा है प्रतिष्ठानों को स्वीकृति और निगरानी निनिअ द्वारा की जाती है। अंडा उत्पादों के निर्यात के लिए प्रमुख गंतव्य ईयू, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कस्टम यूनियन आदि हैं। निनिप ने इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, आदि जैसे कई अन्य देशों में निर्यात के लिए परिचालन संबंधी मुद्दों का पता लगाने / परिचालन संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए भी पहल की है। दिनांक 31.03.2019 को, अंडे उत्पादों के लिए कुल आठ प्रतिष्ठानों को मंजूरी दी गई है।

3.5 ताजा कुक्कुट मांस और कुक्कुट मांस उत्पाद के लिए प्रमाणन योजना

ताजा कुक्कुट मांस और कुक्कुट मांस उत्पादों का निर्यात भारत सरकार के आदेश और अधिसूचना एस.ओ. 1377

अध्याय 3ः निरीक्षण और प्रमाणन सेवाएं

(ई) और एस ओ 1378 (ई) दोनों दिनांक 30.12.2002 द्वारा (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के दायरे में लाया गया। वर्ष 2018–19 में निनिअ द्वारा कुल 15 इकाइयों को निनिअ–चेन्नई से और निनिअ–मुंबई और निनिअ–कोलकाता से 01 तथा निनिअ –कोच्ची द्वारा 04 अनुमोदित / संशोधित किया गया है।

3.6 दुग्ध उत्पादों के लिए प्रमाणन योजना

निनिप, दूग्ध उत्पादों के निर्यात के लिए आधिकारिक नियंत्रण का उपयोग करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। इस योजना को आदेश 2719 दिनांक 28.11.2000 और अधिसूचना एस.ओ. 2720 दिनांक 28.11.2000 और समय—समय पर संशोधित किया जाता है। भारत से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों में दूध पाउडर, कैसिइन और उसके डेरिवेटिव, पनीर, मक्खन, डिब्बाबंद मिठाइयां, फ्रोजन पनीर, घी आदि शामिल हैं। निनिप ने रूस, मलेशिया, चीन, इंडोनेशिया और मैक्सिको को निर्यात के लिए बाजार पहुंच का मुद्दा उठाया है।

3.7 बासमती चावल के लिए प्रमाणन योजना

बासमती चावल के मूल आदेश एस.ओ. 67 (ई) दिनांक 23 जनवरी 2003 में संशोधन एस.ओ. 136 (ई) दिनांक 13 जनवरी 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया। वर्ष 2018–19 में अनुमोदित बासमती इकाइयों की कुल संख्या 05 है। जोकि निनिअ–दिल्ली के कार्यालयलीन नियंत्रण में है।

3.8 शहद के लिए प्रमाणन योजना

निनिप शहद के निर्यात प्रमाणन के लिए एक योजना संचालित कर रहा है। इस योजना को अधिसूचित किया गया था आदेश क्रमांक एस.ओ. 276 (ई) दिनांक 04.03. 2002 और अधिसूचना एस.ओ. 277 (ई) दिनांक 04 मार्च, 2002 और बाद में समय—समय पर संशोधन। एफएसएमएससी के अंतर्गत निनिप द्वारा अनुमोदित बारह शहद प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं। वर्तमान में, भारत से शहद का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य गैर यूरोपीय संघ के गंतव्यों तक आसानी से हो रहा है। निर्यात व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए अनुमोदन की वैधता को एक वर्ष से दो वर्ष तक संशोधित किया गया है। अभी तक, निनिप को किसी भी देश से भारत से निर्यात किए गए शहद के संबंध में कोई गुणवत्ता शिकायत नहीं मिली है।

3.9 कच्चे मांस के लिए प्रमाणन योजना (शीतित / प्रशीतित)

कच्चे मांस का निर्यात (शीतित / प्रशीतित) आदेश / अधिसूचना संख्या एसओः 203 और एसओः 204 दिनांक 15 जनवरी, 1993 द्वारा अधिसूचित किया गया है और निनिअ को निर्यात उद्देश्य के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने वाले अभिकरणों में से एक के रूप में अधिसूचित किया गया। कच्चे मांस का निर्यात (शीतित / प्रशीतित) (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1992, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आधारित प्रमाणन के तहत गुणवत्ता नियंत्रण और प्रमाणन प्रक्रिया के लिए संशोधित किया गया है, जिसे अधिसूचना एस.ओ. 3023 (ई) और एसओ 3024 (ई) दोनों 28 वें दिसंबर 2012 द्वारा प्रकाशित किया गया। निनिप मूल्यांकन टीम में भाग लेने के साथ—साथ योजना को कारगर बनाने के लिए इनपुट प्रदान करके हितधारकों को तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है।

3.10 निर्यात के लिए पोषण भोज्य और पूर्व मिश्रण के लिए प्रमाणन योजना

निनिप पोषण भोज्य और पूर्व मिश्रण के निर्यात के लिए आधिकारिक नियंत्रण करने के लिए सक्षम प्राधिकरण है। भारत से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों में खनिज और विटामिन की खुराक, बाइंडर, जू, तकनीकी भोज्य आदि शामिल हैं जो मुख्य रूप से मध्य पूर्व के देशों और यूरोपीय संघ को निर्यात किए जाते हैं। पोषण भोज्य और पूर्व मिश्रण का निर्यात आदेश और अधिसूचना एस.ओ. संख्या 3523 (ई) और एस.ओ. 3524 (ई) द्वारा तथा 28 नवम्बर, 2013 के बाद समय—समय पर संशोधित, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के दायरे में लाया गया।

3.11 संदलित हड्डियों, ओसीन और जिलेटिन के निर्यात के लिए प्रमाणन योजना

संदलित हड्डियों, ओसीन और जिलेटिन के निर्यात की उच्चतम गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, उत्पाद को 3 अप्रैल 2012 के आदेश और अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया, जिसे संदलित हड्डियों, ओसीन और जिलेटिन के निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और मॉनिटरिंग) नियम, 2012 कहा गया। अधिसूचना के अनुसार, निनिप को केंद्रीय सक्षम प्राधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त है।

3.12 निर्यात के लिए पशु आवरण के लिए प्रमाणन योजना

निनिप को अधिसूचना एस.ओ.1315 (ई) दिनांक 8 जून 2012 द्वारा पशु आवरण के निर्यात के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया। पशु आवरण का प्रमुख निर्यात यूरोपीय संघ के देशों में होता है। वर्तमान में निर्यात उद्देश्य के लिए केवल 03 अनुमोदित प्रतिष्ठान हैं। निर्यातक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

3.13 स्वैच्छिक प्रमाणन योजना के तहत खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी

विनियामक प्राधिकरण जैसे आयात करने वाले देशों के नियामक अधिकारी / खरीदार खाद्य, खाद्य और खाद्य संपर्क सामग्री के निर्यात के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र / निर्यात योग्यता प्रमाण पत्र के लिए आग्रह करते हैं। नियामक अधिकारियों को आयात करने और भारत से निर्यात की सुविधा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, निनिअ द्वारा आयातक देशों की आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। इस योजना की मुख्य विशेषताओं में परेषण के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करना शामिल है जो देश के नियामक अधिकारियों की आवश्यकताओं/खरीदारों की आवश्यकताओं/प्रासंगिक राष्ट्रीय मानकों को लागू करने के अनुरूप है। यह योजना, योजना निर्यातक को नमूना तैयार करने और परीक्षण करने के लिए अधिकृत करती है जो निर्यात के लिए समय—सीमा को कम करता है। यह कार्यालय के साथ निर्यातक की प्रत्यक्ष उपस्थिति को भी कम करता है।

अध्याय–4

मूलस्थान प्रमाणपत्र

वर्ष 2017—18 में रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर सिस्टम (आरईएक्स सिस्टम) की शुरूआत ने 2018—19 में सभी निनिअ और उप कार्यालयों में आरईएक्स पंजीकरण प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन को देखा गया। आरईएक्स आर्थिक ऑपरेटरों द्वारा स्व—प्रमाणन के सिद्धांत पर आधारित है जो मूल पर खुद को तथाकथित बयान देगा। आरईएक्स प्रणाली को जीएसपी के नियमों में संशोधन (ईयू) द्वारा 1063/2010 दिनांक 18. 11.2010 में जीएसपी के मूल नियमों में सुधार के संदर्भ में पेश किया गया था। सुधार के अन्य तत्वों में सुधार हुआ है। 1 जनवरी 2011 से उनका प्रभाव, आरईएक्स प्रणाली के आवेदन को 1 जनवरी 2017 से स्थगित कर दिया गया था.

ताकि जीएसपी लाभार्थी देशों को तैयार होने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। निर्यात निरीक्षण परिषद् के आरईएक्स सिस्टम में निर्यातकों को पंजीकृत करने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा नामित 16 अन्य संगठनों में सक्षम प्राधिकरण में से एक है। सुचारू कार्यान्वयन के लिए पूरे भारत में निर्यातकों या आर्थिक ऑपरेटरों के लिए वर्ष के दौरान प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसके अलावा, निनिअ ने नीचे दी गई तालिका (जी) में विस्तृत प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न एफटीए के तहत कुल 5,32,689 वरीयता प्रमाण पत्र जारी किए हैं।



निर्यातक के लिए निनिअ-मुंबई में मूलस्थान प्रमाण-पत्र एवं रेएक्स पर आऊटरीच कार्यक्रम

तालिका (जी) वर्ष 2018—19 के दौरान जारी किए गए मूलस्थान प्रमाण पत्र

जारी किए गए मूलस्थान प्रमाण पत्रों का विवरण									
क्र. सं.	योजना का नाम	निनिअ– चेन्नई	निनिअ– दिल्ली	निनिअ– कोच्ची	निनिअ– कोलकाता	निनिअ– मुम्बई	कुल		
1	जीएसपी	39,137	37,818	17,797	12,296	81,734	1,88,782		
2	जीएसटीपी	2221	2176	1144	100	8855	14,496		
3	साप्टा	368	596	25	30	9040	10,059		
4	आईएसएफटीए	2965	3400	680	438	6632	14,115		
5	आईटीएफटीए	132	61	142	0	739	1074		
6	आईएससीईसीए (सिंगापुर)	2	0	22	0	536	560		
7	साफ्टा	4223	14,461	1079	14,167	13,445	47,375		
8	एपीटीए	5781	4132	1523	2053	11,537	25,026		
9	आईसी पीटीए, (चिली)	1344	3356	725	509	5531	11,465		
10	आईएमपीटी, (मर्कोसुर)	60	78	0	0	172	310		
12	एआईएफटीए	22,519	28,424	13,264	3030	57,010	1,24,247		
11	आईएनकेसीपीए	11,753	9887	5395	1183	22641	50,859		
13	आईएमसीईसीए	489	980	83	62	1843	3457		
14	आईजेसीईपीए	5873	13,067	4038	4982	12,904	40,864		
15	बीए	0	0	0	0	0	0		
	कुल	96,867	1,18,436	45,917	38,850	2,32,619	5,32,689		

विभिन्न 15 अधिमान्य प्रशुल्क समझौता (पीटीए)/ निःशुल्क व्यापार समझौता (एफटीए) जिसके तहत उत्पत्ति के प्रमाण पत्र वर्तमान में जारी किए जाते हैं इस प्रकार हैं:

4.1 अधिमान्य की सामान्यीकृत प्रणाली (जीएसपी)

सामान्यीकृत प्रणाली वरीयताएँ (जीएसपी) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सामान्य नियमों से छूट की एक औपचारिक प्रणाली है, जिसे सबसे पसंदीदा राष्ट्र सिद्धांत (एमएफएन) के रूप में माना जाता है। इस प्रणाली के तहत, 2018–19 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 1,88,782 जारी किए गए थे। 2018–19 में इस योजना के तहत पोस्ट सत्यापन (पीवी) के लिए अनुरोध 289 प्राप्त हुए हैं।

4.2 व्यापार वरीयताएँ की वैश्विक प्रणाली (जीएसटीपी)

यह समझौता 13 अप्रैल, 1988 को हस्ताक्षरित होने के बाद से चल रहा है और 19 अप्रैल, 1989 से प्रभावी हो गए। समझौते के समर्थन और 77 के समूह के सदस्यों के बीच व्यापार रियायतें प्राप्त करने के बाद चालीस देश सहभागी बन गए हैं। जीएसटीपी टैरिफ, पैरा—टैरिफ, गैर—टैरिफ उपायों, प्रत्यक्ष व्यापार उपायों सहित मध्यम और दीर्घकालिक अनुबंधों और क्षेत्रीय समझौतों के क्षेत्र में व्यवस्था करता है। इस प्रणाली के तहत, 2018—19 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 14,496 प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। 2018—19 में इस योजना के तहत कोई पोस्ट वेरिफिकेशन (पीवी) अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।

4.3 एशिया प्रशांत व्यापार समझौता (एपीटीए)

यह समझौता ईएससीएपी के विकासशील सदस्य देशों के बीच व्यापार विस्तार की एक सतत प्रक्रिया के माध्यम से और अपने वर्तमान और भविष्य के विकास और व्यापार की जरूरतों के अनुरूप पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यापार उदारीकरण उपायों को अपनाने के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ावा देता है। इस प्रणाली के तहत, 2018–19 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 25,026 प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। इस योजना के तहत 2018–19 में एक पोस्ट सत्यापन (पीवी) अनुरोध प्राप्त हुई है।

4.4 दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र पर समझौता (एस ए एफ टी ए) साफ्टा

दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र पर समझौता (साफ्टा) की स्थापना इस समझौते के अनुसार रियायतें के आदान प्रदान के माध्यम से बढ़ावा देने और आपसी व्यापार और करार राज्यों के बीच आर्थिक सहयोग को बढावा देता है। यह करार राज्यों के बीच आर्थिक सहयोग को बढावा देता है। यह करार राज्यों के बीच आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है और इस समझौते के अनुसार व्यापार बाधाओं को दूर करके, मुक्त व्यापार क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतियोगिता की शर्तों को बढ़ावा देने, समझौते के कार्यान्वयन और लागू करने के लिए प्रभावी तंत्र का निर्माण बढ़ाता है। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र पर समझौता (साफ्टा) समझौता 1 जनवरी, 2006 को लागू हुआ। इस प्रणाली के तहत, 2018–19 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 47,375 प्रमाणपत्र जारी किए गए थे। इस योजना के तहत 2018–19 में एक पोस्ट सत्यापन (पीवी) अनुरोध प्राप्त हुआ है।

4.5 भारत—श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता (आईएसएफटीए)

इस समझौते का उद्देश्य भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार के विस्तार और आर्थिक संबंधों के सामंजस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देना है, भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धा की उचित स्थिति प्रदान करता है। इस प्रणाली के तहत, 2018—19 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 14,115 प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। 2018—19 में इस योजना के तहत कोई पोस्ट वेरिफिकेशन (पीवी) अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।

4.6 भारत जापान व्यापक भागीदारी समझौता (आईजेसीईपीए)

भारत जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर 16 फरवरी, 2011 को हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के उद्देश्य माल और सेवाओं में व्यापार को उदार और सुविधाजनक बनाना है; निवेश के अवसरों में वृद्धि और निवेश के लिए सुरक्षा को मजबूत करना; बौद्धिक संपदा की सुरक्षा सुनिश्चित करना, प्रतियोगिता कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए सहयोग को बढ़ावा देना; कारोबारी माहौल में सुधार; समझौते में सहमत क्षेत्रों में निकट सहयोग बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना; और इस समझौते के कार्यान्वयन और आवेदन के लिए और विवादों के समाधान के लिए प्रभावी प्रक्रियाएं बनाने हैं। इस प्रणाली के तहत, 2018–19 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 40,864 प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। इस योजना के तहत 2018–19 में पांच पोस्ट वेरिफिकेशन (पीवी) अनुरोध प्राप्त हुए।

4.7 भारत कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (आईकेसीईपीए)

भारत कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर 7 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के उद्देश्य माल और सेवाओं में व्यापार को उदार बनाना और सुविधा प्रदान करना और निवेश का विस्तार करना, आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और बढ़ाने के लिए एक सहकारी ढांचा स्थापित करना है; मुक्त व्यापार क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को बढ़ावा देना; व्यापार और निवेश को नियंत्रित करने के लिए पारदर्शी नियमों का एक ढांचा स्थापित करना है। इस प्रणाली के तहत, 2018—19 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 50,859 प्रमाणपत्र जारी किए गए थे। 2018—19 में इस योजना के तहत कुल पोस्ट सत्यापन (पीवी) 23 अनुरोध प्राप्त हुये हैं।

4.8 भारत— मर्को सुर अधिमान्य व्यापार समझौता (इम्पटा)

भारत मर्कोसुर पीटीए लैटिन अमेरिका के एक व्यापारिक ब्लॉक मर्कोसुर और भारत के बीच 25 जनवरी, 2004 को हस्ताक्षर किए गए। मर्कोसुर और भारत गणराज्य के बीच एक मुक्त व्यापार क्षेत्र के निर्माण के लिए समझौते की रूपरेखा का विस्तार करने और मौजूदा संबंधों को मजबूत बनाने और पार्टियों के बीच एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के अंतिम उद्देश्य के साथ पारस्परिक तय टैरिफ वरीयताओं देकर व्यापार के विस्तार को बढ़ावा देना है। इस प्रणाली के तहत 2018–19 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 310 प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। 2018–19 में इस योजना के तहत कोई पोस्ट वेरिफिकेशन (पीवी) अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।

4.9 चिली के साथ अधिमान्य व्यापार समझौता (पीटीए)

भारत चिली अधिमान्य प्रशुल्क समझौते पर 8 मार्च, 2006 को हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों के व्यापार और सामंजस्यपूर्ण विकास के विस्तार को बढ़ावा देना, व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धा की उचित स्थिति प्रदान करना और व्यापार बाधाओं को दूर करना है। इस प्रणाली के तहत, 2018–19 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 11,465 प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। 2018–19 में इस योजना के तहत कोई पोस्ट वेरिफिकेशन (पीवी) अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।

4.10 भारत–आसियान समझौता

13 अगस्त, 2009 को भारतीय गणराज्य के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और दक्षिण—पूर्व एशियाई देशों के संघ के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग पर समझौते के तहत माल में व्यापार पर समझौता माल में व्यापार के लिए लागू होगा, और इसके अलावा अन्य सभी मामलों पर रूपरेखा समझौता के साथ विचार किया जाएगा। इस प्रणाली के तहत, 2018—19 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 1,08,689 प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। 2018—19 में इस योजना के तहत कुल पोस्ट सत्यापन (पीवी) के लिए 268 अनुरोध प्राप्त हुये हैं।

4.11 भारत अफगानिस्तान मुक्त व्यापार समझौता (आई ए एफ टीए)

इस समझौते के उद्देश्य व्यापार के विस्तार के माध्यम से आर्थिक संबंधों के सामंजस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देना और भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार के लिए प्रतियोगिता की उचित स्थिति प्रदान करना है।

4.12 सार्क अधिमानी व्यापार व्यवस्था एसएपीटीए (साप्टा)

सार्क अधिमानी व्यापार व्यवस्था पर समझौते पर 11 अप्रैल, 1993 को हस्ताक्षर किए गए थे। संविदात्मक राज्य इस समझौते के अनुसार रियायतों के आदान—प्रदान के माध्यम से, परस्पर व्यापार को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए सार्क अधिमान्य व्यापार व्यवस्था (एसएपीटीए) की स्थापना करते हैं। इस प्रणाली के तहत, 2018—19 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 10,059 प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। 2018—19 में इस योजना के तहत कोई पोस्ट वेरिफिकेशन (पीवी) अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।

4.13 भारत सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (आईएससीईसीए)

भारत सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते का उद्देश्य आर्थिक, व्यापार और निवेश सहयोग को मजबूत करना और बढ़ाना है; माल और सेवाओं में व्यापार को उदार बनाना और बढ़ावा देना, उनके विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की दक्षता और प्रतिस्पर्धा में सुधार करना और व्यापार और निवेश का विस्तार करना, आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाना और घनिष्ठ आर्थिक सहयोग के लिए उपयुक्त उपाय विकसित करना; क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग और एकीकरण को सुविधाजनक बनाने और बढ़ाने के लिए, इस प्रणाली के तहत, 2018–19 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 560 प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। वर्ष 2018–19 में इस योजना के तहत कोई पोस्ट वेरिफिकेशन (पीवी) अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।

4.14 भारत मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता

सीईसीए व्यावसायिक रूप से सार्थक बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए व्यावसायिकों और कुशल व्यक्तियों, क्रॉस—बॉर्डर आपूर्ति और दूरसंचार सेवाओं सहित पर्याप्त क्षेत्रीय कवरेज के साथ, अधिमान्य आधार पर सेवाओं में व्यापार को उदारतापूर्वक बढ़ाएगा। सीईसीए के तहत बाजार पहुंच की प्रतिबद्धता माल समझौते में आसियान—भारत व्यापार की तुलना में तेजी से समय और घटाई गई बहिष्करण सूची सहित अधिक उदार टैरिफ रियायतों के लिए प्रदान करती है। सीईसीए में बुनियादी ढांचे के विकास, रचनात्मक उद्योगों, पर्यटन, एसएमई, व्यापार सुविधा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन विकास जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग सम्मलित है। इस प्रणाली के तहत, 2018—19 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 3457 प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। इस योजना के तहत 2018–19 में एक पोस्ट सत्यापन (पीवी) अनुरोध प्राप्त हुआ है।

4.15 भारत थाईलैंड मुक्त व्यापार समझौता

भारतीय गणराज्य और थाईलैंड के साम्राज्य की सरकारें अधिक आर्थिक सहयोग के लिए अनुकूल परिस्थितियों को बनाने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेंगी; उत्तरोत्तर व्यापार में बाधाओं को दूर करने और समाप्त करने के लिए, और पारस्परिक आधार पर वस्तुओं और सेवाओं की सीमा पार आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के साथ—साथ एक पारदर्शी, उदार और सुविधाजनक निवेश शासन का निर्माण करना; और नए क्षेत्रों का पता लगाने और दोनों देशों के बीच घनिष्ठ आर्थिक सहयोग के लिए उपयुक्त उपाय विकसित करना है. इस प्रणाली के तहत, 2018—19 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 1074 प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। 2018—19 में इस योजना के तहत कोई पोस्ट वेरिफिकेशन (पीवी) अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं। अध्याय 5ः अन्य प्रमुख गतिविधियाँ

अध्याय–5

अन्य प्रमुख गतिविधियाँ

5.1 निनिप एवं निनिअ में नए विकास

5.1.1 डिजिटल पहल की शुरूआत



निर्यात की आसानी के लिए डिजिटल पहल का शुभारंभ।

डिजिटल इंडिया के माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के साथ और भारत से निर्यात व्यवसाय को समर्थन बढ़ाने के लिए, 3 अप्रैल, 2018 को तत्कालीन माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु द्वारा तीन डिजिटल पोर्टल लॉन्च किए गए थे। वो पोर्टल्स हैं: (1) सुरक्षित खाद्य निर्यात ट्रे सबिलिटी पोर्टल



(2) एक प्रयोगशाला एक मूल्यांकन पोर्टल



(3) मॉनिटरिंग एक्सपोर्ट अलर्ट पोर्टल।



निनिप द्वारा इस डिजिटल पहल का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में व्यापार में आसानी, लेनदेन के समय को कम करना, सुरक्षित और असुविधा मुक्त निर्यात व्यापार को सुविधाजनक बनाना है।

5.1.2 निनिअ—चेन्नई, उपकार्यालय—भीमावरम के प्रयोगशाला का उद्घाटन



निनिअ– चेन्नई के उप कार्यालय– भीमावरम में प्रयोगशाला का निदेशक, निनिप के द्वारा उद्घाटन

आंध्र प्रदेश भारत से एक्वाकल्चर उत्पादों के निर्यात के लिए प्रमुख राज्यों में से एक है और क्षेत्र में निर्यातकों की सुविधा के लिएए निर्यात निरीक्षण अभिकरण – चेन्नई के तहत उप कार्यालय भीमावरम द्वारा विभिन्न प्रमाणन गतिविधियों की पेशकश की जाती है।

क्षेत्र में निर्यातकों को सुविधाओं को उन्नत करने की पहल के रूप में, निर्यात निरीक्षण परिषद् ने निनिअ—चेन्नई, उप कार्यालय—भीमावरम में प्रयोगशाला सुविधा स्थापित की है। यूरोपीय संघ और अन्य देश की आवश्यकताओं के अनुसार एक्वाकल्चर उत्पादों में माइक्रोबायोलॉजी परीक्षण सुविधा के अलावा एंटीबायोटिक अवशेष विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला का उद्घाटन 28 जून, 2018 को निदेशक, निनिप द्वारा किया गया था। 5.1.3. निनिअ–कोलकाता उप कार्यालय–भुवनेश्वर के कार्यालय–सह–प्रयोगशाला परिसर का उद्घाटन.



निनिअ– कोलकाता के उप कार्यालय– भुवनेश्वर में कार्यालय और प्रयोगशाला परिसर का उद्घाटन.

निनिअ—कोलकाता, उप कार्यालय— भुवनेश्वर के नए कार्यालय सह प्रयोगशाला परिसर का उद्घाटन 22 सितंबर, 2018 को तत्कालीन माननीय श्री सुरेश प्रभु, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, संयुक्त सचिव और श्री संतोष कुमार सारंगी, अध्यक्ष निनिप, एवं डॉ. एस.के. सक्सेना, निदेशक, निनिप की उपस्थिति में किया गया था।

5.2 निनिप की भागीदारी

5.2.1 विश्व प्रत्यायन दिवस—2018



विश्व प्रत्यायन दिवस 2018 में निनिप की भागीदारी

एनएबीआईसी और क्यूसीआई द्वारा आयोजित इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 09 जून 2018 को निनिप ने "विश्व प्रत्यायन दिवस —2018" के आयोजन के दौरान भाग लिया।

5.2.2. ऑल इंडिया फूड प्रोसेसर्स एसोसिएशन (एआईएफपीए) का प्लेटिनम जुबली सम्मेलन



डॉ. एस. के. सक्सेना, निदेशक, निनिप. के एआईएफपीए के प्लेटिनम जुबली सम्मेलन में

निदेशक, निनिप, ने 21 दिसंबर, 2018 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में *ऑल इंडिया फूड प्रोसेसर्स एसोसिएशन (एआईएफपीए)* के प्लेटिनम जुबली सम्मेलन के दौरान एक सम्मानित पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया। तकनीकी सन्न के दौरान, निनिप के निदेशक ने "कॉन्ड्यूसिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट" पर एक चर्चा की।

5.2.3 खाद्य सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन





एस. के. सक्सेना, निदेशक, निनिप, खाद्य सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन में.

निनिप ने 11 फरवरी, 2019 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में मसाला बोर्ड और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित मसालों की खाद्य सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। इस आयोजन के दौरान अपने उद्घाटन भाषण में, डॉ. एस. के. सक्सेना निदेशक (नि.एवं गुणवत्ता नियंत्रण) ने भारत से निर्यात किए जा रहे मसालों के गुणवत्ता नियंत्रण में निनिप की भूमिका के बारे में बताया।

5.3 परिषद् की बैठकें



24 जुलाई, 2018 को निर्यात निरीक्षण परिषद् की 114वीं परिषद् की बैठक।

2018–19 के परिषद् की बैठकें के दौरान

- निर्यात निरीक्षण परिषद् की 114 वीं बैठक 24 जुलाई,
 2018 को सुबह 11 बजे निनिप, नई दिल्ली में निनिप के अध्यक्ष, श्री संतोष कुमार सारंगी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
- निर्यात निरीक्षण परिषद् की 115 वीं बैठक 16 जनवरी,
 2019 को सुबह 11 बजे निनिप, नई दिल्ली में निनिप के अध्यक्ष, श्री संतोष कुमार सारंगी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
- निर्यात निरीक्षण परिषद् की 116 वीं बैठक 28 मार्च,
 2019 को सुबह 11 बजे निनिप, नई दिल्ली में निनिप के अध्यक्ष, श्री संतोष कुमार सारंगी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

5.4 प्रयोगशाला गतिविधियां और उपलब्धियां

निनिप के पास अपने निर्यात निरीक्षण और प्रमाणन प्रणालियों के संचालन के दौरान उत्पन्न नमूनों के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है। चेन्नई, कोलकाता, कोच्ची और मुंबई में स्थित परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त चार खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं, जो निर्यात के लिए खाद्य उत्पादों के प्रमाणन में संबंधित निर्यात निरीक्षण अभिकरण (निनिअ) का समर्थन करती हैं। निनिअ में नियमित सूक्ष्म जीवविज्ञानी विश्लेषण के लिए अपने उप कार्यालयों से जुड़े क्षेत्र प्रयोगशालाएं भी हैं। इसके अलावा, खाद्यान्न परीक्षण प्रयोगशाला निनिअ–दिल्ली में स्थित है।

निनिअ प्रयोगशालाओं के अलावा, निनिप प्रयोगशाला अनुमोदन योजना के अनुसार, आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों के परीक्षण के उद्देश्य से बाहरी प्रयोगशालाओं को अनुमोदन दिया जाता है। 31 मार्च, 2019 को एनएबीएल से मान्यता प्राप्त स्वीकृत बाहरी प्रयोगशालाओं की कुल संख्या 43 है।

2018–19 में निनिअ प्रयोगशालाओं की प्रमुख गतिविधियाँ / उपलब्धियाँ

5.4.1 निनिअ–चेन्नई

- निनिअ—चेन्नई प्रयोगशाला ने सफलतापूर्वक रासायनिक और जैविक क्षेत्र में आईएसओ / आईईसी 17025: 2005 के अनुसार एनएबीएल द्वारा मान्यता का नवीकरण प्राप्त किया। प्रयोगशाला एलएमएसएमएस, जीसीएमएसएमएस, आईसीपी—एमएस, जीसीएचआरएमएस, और यूपीएलसी सहित अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। प्रयोगशाला में निर्यात वस्तु के विश्लेषण के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार मान्य परीक्षण विधियां हैं। प्रयोगशाला में एफएसएसएआई की ओर से फल और सब्जियों में कीटनाशक अवशेषों की निगरानी में नोडल प्रयोगशाला के रूप में भी शामिल है।
- निनिअ—चेन्नई प्रयोगशाला ने आईएसओ/आईईसी 17043 के अनुपालन में "प्रवीणता परीक्षण प्रदाता" के रूप में मान्यता का दर्जा हासिल कियाः 2010 18 जनवरी 2018 को जैविक क्षेत्र में एनएबीएल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक । यह भी सफलतापूर्वक साल्मोनेला एसपीपी की जांच पर मान्यता प्राप्त प्रवीणता परीक्षण दौर आयोजित किया । श्रिम्प में, माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला में प्रशिक्षण कार्यक्रम के चार राउंड (प्रत्येक पांच दिन), "श्रिम्प में एंटीबायोटिक अवशेषों की जांच" और विधि सत्यापन पर दो एलिसा प्रशिक्षण कार्यक्रम । इस प्रकार हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट (एचएसीसीपी), आईएसओ–9001: 2000, आईएसओ: 17025 और अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय

मानकों के सिद्धांतों के आधार पर गुणवत्ता और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना में उद्योग को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करके क्षमता निर्माण में प्रयोगशाला परीक्षण आदि का योगदान दिया.

Testing a	Accreditation Board for nd Calibration Laboratories
CERTIFI	CATE OF ACCREDITATION
PROFIC	SPECTION AGENCY-CHENNAL IENCY TESTING PROVIDER and accredited in accordance with the standard
	ISO/IEC 17043:2010
"Conformity Assessed	ent - General Requirements for Prinficiency Testing"
	for its locilities at
Sh Floor, CHD	Towner, No. 1 Gandhi Lwin Road, Ligmons, Chemist, Tanii Nady
	in the field of
	ificiency Testing Provider
Catalificate Number restory laste Data Tato po	A Valid Mail: Instants
	We Beape II According to an expectively as the antenance tabaset to the first flow shows manufact if the retrievant explorements of NADE. Instance with Province many second NAD solute rates attacks on a highest for and so behalf of NAD.
- Los angelo	Annahola -

5.4.2 निनिअ–दिल्ली

- आईएसओ 9001: 2015 के अनुसार क्यूएमएस का कार्यान्वयन।
- 26 सितंबर, 2018 से आईएसओ/आईईसी 17025ः
 2005 के अनुसार निनिअ–दिल्ली प्रयोगशाला का प्रत्यायन।

5.4.3 निनिअ–कोच्चि

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—कोच्चि निरीक्षण प्रभाग
 को मछली और मत्स्य उत्पादों के लिए प्रमाणन

निकायों (एनएबीसीबी), नई दिल्ली के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा आईएसओ /आईईसी/17020: 2012 के लिए मान्यता प्रदान की गई है। एनएबीसीबी ने अप्रैल 2018 के महीने में कार्यालय ऑडिट किया है, इसके बाद दिसंबर 2018 में गवाह ऑडिट और जनवरी 2019 में प्रत्यायन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।



 निनिअ—कोच्चि प्रयोगशाला ने वित्त वर्ष 2018—19 के दौरान 23,104 नमूनों का विश्लेषण किया है। परीक्षण के लिए अवधि में बदलाव का समय 99 प्रतिशत पर मिला। खाद्य सुरक्षा और मानक (मान्यता और प्रयोगशालाओं की अधिसूचना) विनियमन, 2018 के आदेश 3: 19 मार्च, 2019 के तहत एफएसएसएआई ने जीएमओ परीक्षण के लिए "राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला (एनआरएल)" के रूप में एफएसएसएआई द्वारा अनुमोदित किया गया है।



- निनिअ—कोच्चि, प्रयोगशाला ने केमिकल और बायोलॉजिकल में सोलह अंतर्राष्ट्रीय प्रवीणता परीक्षण कार्यक्रमों में सफल भागीदारी द्वारा परीक्षण में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है, जिसमें आण्विक जीव विज्ञान परीक्षण क्षेत्र अनुमोदन के दायरे के आधार पर सम्मलित हैं।
- प्रयोगशाला ने एक अधिसूचित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में एफ.एस.एस.ए.आई. से

अनुमोदन जारी रखा है, उनके द्वारा आयात किए गए आयात खेप के नमूनों के परीक्षण के लिए उनके द्वारा सूचीबद्ध किया गया है।

 निनिअ—कोच्चि, प्रयोगशाला को 2018—19 में डी.ए.
 सी. प्रायोजित केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत खाद्य वस्तुओं के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं में काली मिर्च, मसालों और सब्जियों में 'कीटनाशक अवशेषों की राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी' के रूप में पहचाना गया है।

5.4.4 निनिअ–कोलकाता

- 22 सितंबर, 2018 को निनिअ—कोलकाता, उप कार्यालय — भुवनेश्वर के तहत नई प्रयोगशाला सह कार्यालय भवन का उद्घाटन।
- आईएसओ/आईईसी 17043 के अनुसार एनएबीएल द्वारा प्रवीणता परीक्षण प्रदाता (पीटीपी) निगरानी मूल्यांकनः 19– 20 जनवरी, 2019 के दौरान निनिअ. कोलकाता (प्रयोगशाला) का 2010ः और दायरा बढ़ाने के साथ मान्यता की निरंतरता.
- तीन पीटी राउंड सफलतापूर्वक आयोजित किए गए थे। संदर्भ के तहत कार्यक्रम, 0518 एचएमए मई–2018, मछली के लिए कैडमियम (सीडी) और लीड (पीबी) की उपस्थिति के लिए था, आर्सेनिक के लिए 0818 एचएम (एएस) और बुध (एचजी) अगस्त 2018 में और 1118 एचएम, नवंबर–2018 में लीड (पीबी) के लिए था। निनिअ. कोलकाता (प्रयोगशाला) द्वारा मछली आधारित सामग्रियों में आधारित था.
- निनिअ—कोलकाता (प्रयोगशाला) ने टी बोर्ड प्रोजेक्ट के तहत, टी बोर्ड के अधिकारियों की उपस्थिति में असम और पश्चिम बंगाल में मैन्युफैक्चरर्स से ग्रीन टी लीव्स के 290 नमूने एकत्र किए।

- निनिअ—कोलकाता (प्रयोगशाला) चावल और गेहूं के आटे में जिंक फोर्टिफिकेशन विधि को सत्यापित करता है जो एफएसएसएआई वैज्ञानिक पैनल द्वारा दिया गया है।
- निनिअ कोलकाता (प्रयोगशाला) ने 12 राज्यों के 165 सब्जियों के नमूने एकत्र किए, अर्थात् पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में एफएसएसएआई परियोजना के तहत 'बेसलाइन उत्पन्न करने के लिए अध्ययन' । सब्जियों में धातुओं के दूषित होने की घटना पर डेटा।
- निनिअ—कोलकाता (प्रयोगशाला) द्वारा भारी धातुओं
 के विश्लेषण को एएएस से आईसीपीएमएस में
 स्थानांतरित कर दिया गया।
- निनिअ—कोलकाता (प्रयोगशाला) वैध और 15 जुलाई,
 2018 को एलसी—आईसीपीएमएस द्वारा अकार्बनिक आर्सेनिक और मिथाइल मर्करी के लिए मान्यता प्राप्त।

5.4.5 निनिअ–मुंबई

- शोध पत्र "आईसीपी– एमएस का उपयोग करके सेफेलोपोड्स में एस,सीडी,एचजी एवं पीबी के निर्धारण के लिए विधि का विकास, सत्यापन और मान्यता", जर्नल ऑफ स्प्रिंगर नेचर में दिनांक 05 मार्च 2019, निनिअ–मुंबई द्वारा प्रकाशित किया है,
- एनएबीएल द्वारा आयोजित पीटी प्रदाता ऑनसाइट निगरानी मूल्यांकन आईएसओ–17043ः 2015 और मान्यता के अनुसार, 5–6 जनवरी, 2019 के दौरान

सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।

5.5 निरीक्षण अभिकरणों की मान्यता

भारत सरकार निनिप निरीक्षण अभिकरण मान्यता योजना 2012 के अनुसार निनिप की सिफारिश पर निजी निरीक्षण अभिकरणों को मान्यता प्रदान करती है, निर्यात सुविधाओं (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 7 (1) के तहत अधिसूचित खनिजों और अयस्कों के लदान पूर्व निरीक्षण और प्रमाणीकरण के लिए प्रयोगशाला सुविधाओं के साथ ए श्रेणी में आते हैं। भारत सरकार ने प्रत्येक राज्य में परीक्षण के लिए नए बुनियादी ढांचे की स्थापना से बचते हुए व्यापार करने में आसानी के लिए और निर्यात व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए पहल के अनुरूप है और रणनीतिक स्थानों पर निरीक्षण और परीक्षण के लिए उचित बुनियादी ढांचा प्रदान करके निर्यात व्यापार की सुविधा प्रदान करती है।

5.6 ई-स्वास्थ्य प्रमाणन प्रणाली

निनिप अधिसूचित खाद्य उत्पादों के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत है। कुछ मामलों में, गैर—अधिसूचित खाद्य वस्तुओं के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है, जहाँ भी आयात करने वाले देश प्राधिकरण को स्वैच्छिक प्रमाणीकरण योजना के तहत इस तरह के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। वर्तमान में मैनुअल सर्टिफिकेशन से ई—सर्टिफिकेशन तक पूरी शिफ्टिग की प्रक्रिया जारी है। ई—प्रमाणन के माध्यम से 2018—19 के दौरान जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या तालिका (एच) में दिए गए ब्रेक—अप के अनुसार 1,04,499 थी।

क्र.स.	प्रमाणपत्र प्रारूप	प्रमाणपत्रों की संख्या
1	मात्स्यिकी सामान्य प्रारूप (गैर—ईयू)	40,611
2	अन्य–उत्पाद स्वैच्छिक	23,074
3	मात्स्यिकी यूरोपीय संघ	11,695
4	अन्य—उत्पाद गैर—जीएमओ	8,924
5	दूध गैर यूरोपीय संघ	4,205
6	मात्स्यिकी चीन	9,999
7	अन्य उत्पाद तुर्की	1,325
8	मात्स्यिकी रूस	1,113
9	मूंगफली उत्पाद यूरोपीय संघ	1,009
10	मूंगफली उत्पाद मलेशिया	736
11	अंडा गैर यूरोपीय संघ	934
12	मात्स्यिक जीसीसी देशों	367
13	मात्स्यिकी ईयू प्रारूप—गैर ईयू देश	385
14	मात्स्यिकी इज़राइल	58
15	अंडा यूरोपीय संघ	60
16	पशु केसिंग यूरोपीय संघ	4
	कुल	1,04,499

तालिका (एच) : ई–स्वास्थ्य प्रमाणन प्रणाली 2018–19 के तहत जारी किए गए प्रमाण पत्र

5.7 गैर जीएमओ प्रमाण पत्र जारी करना

निर्यात निरीक्षण अभिकरणों (निनिअ) द्वारा कृषि और खाद्य

वस्तुओं के लिए गैर जीएमओ प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। चालू वर्ष में विभिन्न कृषि और खाद्य जिंसों के लिए कुल 8,924 गैर—जीएमओ प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। निनिअ कोच्चि और निनिअ— मुंबई में गैर—जीएमओ के लिए नमूनों का परीक्षण किया जाता है।

5.8 प्रामाणिकता का प्रमाण पत्र

यूरोपीय आयोग ने निनिप/निनिअ को काउंसिल रेगुलेशन (ईसी) नंबर 797/2006 के अनुसार यूरोपीय संघ को बासमती चावल के निर्यात के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में मान्यता दी है। तदनुसार, निनिअ यूरोपीय संघ को निर्यात किए गए बासमती चावल के लिए प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। वर्ष के दौरान, यूरोपीय संघ के देशों को निर्यात के लिए निनिअ–दिल्ली द्वारा बासमती चावल के लिए प्रामाणिकता के 535 प्रमाण पत्र जारी किए गए थे।

5.9 परिणाम की निगरानी योजना

यूरोपीय संघ अवशेष निगरानी योजनाएं (आरएमपी), जो यूरोपीय संसद और 15 मार्च 2017 की परिषद् के विनियमन (ईयू) 2017/625 में उल्लिखित अवशेषों और पदार्थों के समूहों की निगरानी की गारंटी देती है, निर्यात के लिए आवश्यक पूर्व में से भोजन की उत्पत्ति के लिए एक है, तदनुसार, निनिप पशु मूल के विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए ईसी आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न अवशेष निगरानी योजनाओं को लागू कर रहा है। ईयू विनियमन के अनुसार, निनिप ने वर्ष 2018–19 के लिए अंडा उत्पादों, हनी, दूध उत्पादों और ताजा पोल्ट्री मांस और पोल्ट्री मांस उत्पादों के लिए आरएमपी तैयार और प्रस्तुत किया।

2018—19 के दौरान, 6,771 नमूनों का परीक्षण आरएमपी और राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण योजना (एनआरसीपी) के लिए किया गयाः

तालिक (आई): अवशेष मॉनिटरिंग योजना 2018—19 के तहत परीक्षण किए गए नमूने:


वित्तीय वर्ष 2018—19 के राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण योजना (एनआरसीपी) / अवशेष निगरानी योजना (आरएमपी) डेटा				
उत्पाद	2018—19 में एनआरसीपी⁄ आरएमपी के तहत परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या			
जल कृषि उत्पाद	5,774			
अंडा उत्पाद	200			
शहद	238			
कुक्कुट मांस उत्पाद	159			
दुग्ध उत्पाद	300			
कुल	6,771			
*2018				


2018


5.10 अन्य गतिविधियांः


5.10.1 विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य देशों द्वारा जारी टीबीटी अधिसूचना की निगरानी पर परियोजनाः


निनिप 'विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों द्वारा जारी किए गए टीबीटी अधिसूचनाओं की निगरानी के लिए प्रणाली पर परियोजना' को लागू कर रहा है। मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्टें व्यापार नीति विभाग, वाणिज्य विभाग को प्रस्तुत की गई और इन्हें निनिप की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है।

















5.10.2 सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

निर्यात निरीक्षण परिषद् (निनिप) और उसके क्षेत्र संगठनए निर्यात निरीक्षण अभिकरण (निनिअ) आरटीआई अधिनियम 2005 की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वर्ष में आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत निनिप / निनिअ में प्राप्त आवेदनों और प्रथम अपील का सारांश 2018–19 सीईसी से प्राप्त सुनवाई के नोटिस के साथ नीचे उल्लिखित किया गया है:

2018–19 के दौरान विभिन्न डब्ल्यूटीओ–सदस्य देशों द्वारा कुल 3,001 सूचनाएं जारी की गईं। देश–वार और उत्पाद–वार के संदर्भ में इन सूचनाओं का त्रैमासिक वितरण उपरोक्त चार्ट में दिया गया है। भारतीय उद्योग के लिए प्रभाव का अध्ययन करने के लिए इन अधिसूचनाओं का विश्लेषण और यह सुनिश्चित करने के लिए उद्योग से टिप्पणियां मांगी गई कि इन उत्पादों के लिए बाजार पहुंच की कोई समस्या नहीं है। हितधारकों से प्राप्त फीडबैक और सूचनाओं के विश्लेषण के आधार पर, जहाँ भी लागू हो, भारत की टिप्पणियों को निर्यात निरीक्षण परिषद् (निनिप) द्वारा संबंधित जांच बिंदुओं पर भेजा गया।

2018—19 में आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदन

31.03.2018 को प्रारंभिक शेष सहित प्राप्त आरटीआई आवेदन की संख्या	आरटीआई आवेदन की संख्या जिनके उत्तर दिए गए	31.03.2019 तक अंतशेष	
112	100	12	

2018.19 में आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त पहली अपील

31.03.2018 तक प्रारंभिक शेष सहित अपील की संख्या	अपील की संख्या जिनके उत्तर दिए गए	31.03.2019 तक अपील का अंतशेष
23	21	2

2018.19 में आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त दूसरी अपील

सीआईसी से प्राप्त सुनवाई की सूचनाओं की संख्या	सीपीआईओ/एफएएए निनिप द्वारा उपस्थिति की संख्या		
09	09		

5.10.3. सतर्कता गतिविधियाँ

अवधि के दौरान प्राप्त सात शिकायतों को सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार नियंत्रित किया गया और तीन शिकायतों में जांच की गई । एक अनुशासनात्मक कार्यवाही में विभागीय पूछताछ संपन्न हुई और अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा प्रमुख जुर्माना लगाया गया। मामूली दंड कार्यवाही के लिए पहले चरण की सलाह के लिए 11 अधिकारियों से जुड़े एक समग्र मामले को केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को भेजा गया था और CVC की सलाह के आधार पर, 10 अधिकारियों के खिलाफ प्रमुख दंड के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। इसके अलावा, सीवीसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आने वाले दो अधिकारियों के खिलाफ प्रमुख दंड की कार्यवाही शुरू की गई है। अवधि के दौरान प्राप्त दो मामलों और पूछताछ रिपोर्ट में विभागीय जांच पूरी हुई । निनिअ कार्यालयों में दो निरीक्षण / आश्चर्य जांच और सतर्कता गतिविधियों के हिस्से के रूप में दो सीटीई प्रकार निरीक्षण किए गए | संगठन के लिए सहमत सूची और ओडीआई के साथ अधिकारी की सहमत सूची तैयार की गई। निनिप /निनिअ में रिकॉर्ड और फाइल प्रबंधन प्रणाली के लिए दिशानिर्देश प्रणाली में सुधार के हिस्से के रूप में जारी किए गए हैं।

निर्यात निरीक्षण परिषद् (निनिप) ने अपनी निर्यात निरीक्षण अभिकरण (निनिअ) के साथ केंद्रीय सतर्कता आयोग के परिपत्र संख्या 11/09/18 दिनांक 24.09.2018 में दिए गए निर्देशों के अनुसार 29 अक्टूबर– 03 नवंबर 2018 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया । कुछ तस्वीरें हैं:



निनिअ–कोलकाता में बैनर प्रदर्शित किया गया

अध्याय ५: अन्य प्रमुख गतिविधियाँ



निनिअ—मुंबई मुख्यालय में इंटीग्रिटी शपथ लेते कर्मचारी



श्री के. के. पॉल, निदेशक और सतर्कता अधिकारी, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय मानक ब्यूरो, निनिअ–कोलकाता में विशेष व्याख्यान के दौरान दर्शकों को संबोधित करते हुए



निनिअ–कोच्चि में अतिथि व्याख्यान के दौरान श्री टी.आर. शाजी, आईटीएस, मुख्य सतर्कता अधिकारी, उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी)



निनिअ—मुंबई में प्रश्नोत्तरी प्रोगाम का आयोजन

अध्याय ५ः अन्य प्रमुख गतिविधियाँ



सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2018 के दौरान निनिअ—कोलकाता में तैयार किया गया हैंडआउट जघन, छात्रों को वितरण



अध्याय–6

राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग

निर्यात निरीक्षण परिषद् कार्यालयीन पत्राचार में हिंदी का सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग कर रही है। वर्ष के प्रमुख आकर्षण नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किए गए हैं:

- सभी दस्तावेज राजभाषा अधिनियम धारा 3 (3) के तहत द्विभाषी में जारी किए गए थे।
- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में जारी किए गए प्रावधानों का उचित रूप से पालन किया गया।
- निर्यात निरीक्षण परिषद् और अभिकरणों ने राजभाषा नियमों के तहत प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशालाएं / विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित कीं।
- हिंदी में मूल कार्य के लिए अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रोत्साहन योजनाएँ लागू की गईं।
- निनिप और निनिअ सभी तिमाही में हिंदी रिपोर्टों के प्रगतिशील उपयोग को आधिकारिक भाषा विभाग में ऑन–लाइन प्रेषित किया गया।



निदेशक – निर्यात निरीक्षण परिषद् की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक विभागीय बैठक का 25 जून 2018 को आयोजन किया गया

- निनिप और निनिअ के प्रवेश पर साइन बोर्ड पर हिंदी
 में एक नूतन शब्द प्रतिदिन लिखा जाता है।
- सितंबर 2018 में, निनिप और निनिअ में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर, कर्मचारियों के लिए शब्दावली प्रतियोगिता, वाद—विवादि प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पणी और निबन्ध प्रतियोगिता जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

अध्याय ६: राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग

- कार्यालयों के अधिकांश वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आधिकारिक नियमों, 1976, उप—नियम 10 (4) के तहत अधिसूचित किए जाते हैं और मंत्रालय स्तर पर शेष कार्यालयों को सूचित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
- निर्यात निरीक्षण परिषद् ने राजभाषा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हिंदी पत्रिका *"मथन"* का द्विवार्षिक प्रकाशन किया।



संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति

 संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप—समिति ने 19—21 जनवरी, 2019 के दौरान संतोषजनक रूप से निनिअ—चेन्नई, उप कार्यालय तूतीकोरिन का निरीक्षण किया।

ATC TIGHTI STATAT ATA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
etter . Den dente be, der unter, menter weit wit ung net titter un op meet

निनिअ-चेन्नई,उप कार्यालय- नागरकोइल ने टालिक द्वारा आयोजित राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता में द्वितीय पुरुस्कार जीता

 निनिअ— चेन्नई, उप कार्यालय — नागरकोइल ने वर्ष 2018—19 के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में सराहनीय प्रदर्शन के लिए टाउन राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टाँलिक), नागरकोल द्वारा आयोजित राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता में द्वितीय पूरुस्कार जीता है।







निनिअ – कोच्चि, मुख्यालय को वर्ष 2017–18 के दौरान राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय पुरस्कार (तृतीय पुरस्कार) से सम्मानित किया गया। निनिअ–कोच्चि मुख्यालय को 50 कर्मियों के साथ कार्यालयों की श्रेणी में यह पुरस्कार मिला । निर्यात निरीक्षण अभिकरण – कोच्चि, उप कार्यालय– कोल्लम को 10 कर्मियों के साथ कार्यालयों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार भारत सरकार के राजभाषा विभाग के सचिव, श्री शैलेश की अध्यक्षता में 14 फरवरी. 2019 को कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीयूएसएटी) में आयोजित राजभाषा सम्मेलन और पूरस्कार वितरण समारोह के दौरान दिए गए। श्री जयपालन जी, उप–निदेशक प्रभारी. ने केरल के माननीय गवर्नर जस्टिस (सेवानिवृत्त) पी. सदासिवम से निर्यात निरीक्षण अभिकरण – कोच्चि मुख्यालय और साथ ही सब ऑफिस– कोल्लम से यह पुरस्कार प्राप्त किए। श्री मनोज कुमार गुप्ता, उप निदेशक और श्रीमती आर. सरस्वती क्लर्क ग्रेड– | को निर्यात निरीक्षण अभिकरण – कोच्चि, मुख्यालय और उप कार्यालय कोल्लम की ओर से केरल के न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) पी.सदासिवम से क्रमशः प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ।

अध्याय–७

कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण

- कम्प्यूटरीकृत प्रणालियों के उपयोग ने निनिप को अपने संचालन में अधिक पारदर्शिता प्राप्त करने और लेनदेन के समय और श्रमशक्ति की लागत को कम करने में सक्षम बनाया है। संगठन में सूचान प्रौद्योगिकी के व्यापक अनुप्रयोग को सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग का श्रेय दिया गया है और वित्तीय रिपोर्ट बनाते समय कंप्यूटर सिस्टम को लागू करने के लाभों से जोड़ा गया है उदाहरण–एम.आई.एस. रिपोर्ट।
- सभी कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग समय–समय पर जरूरतों और पहलों के आधार पर अद्यतन किया जाता है।
- 3. निनिप अपनी वेबसाइट www.eicindia.gov.in रखती है, जिस पर वास्तविक समय के आधार पर इसकी नीति और प्रक्रिया से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। वेबसाइट सूचनात्मक और इंटरैक्टिव दोनों है और वेबसाइट के माध्यम से आवेदनों की ऑन–लाइन फाइलिंग की जा सकती है। वेबसाइट के माध्यम से मूलस्थान प्रमाणपत्र और ई–स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जैसी ऑनलाइन सेवाएं दी जाती हैं। वेबसाइट पर एक ज्ञान भंडार भाग है जो सभी कानूनी ढांचे का विवरण और निनिप की विभिन्न प्रमाणन योजनाओं के बारे में जानकारी देता है।
- 4. सीओओ मॉड्यूल के तहत, लगभग 99% निर्यातक सभी अधिमान्य योजनाओं के लिए ऑनलाइन प्रमाणन के लिए आवेदन करते हैं। निनिप ने भी मूलस्थान प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन के साथ निर्यात इनवॉइस लागत ब्रेकअप शीट आदि जैसे सहायक दस्तावेजों को अपलोड करने की सुविधा शामिल की है। निनिप को भारत में मूलस्थान प्रमाण पत्र जारी करने वाले सभी प्राधिकरणों के लिए (अधिमान्य और गैर–अधिमान्य दोनों) आम मंच के विकास की जिम्मेदारी दी गई है।
- निनिप द्वारा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र के प्रयोग और निपटान के लिए ई–स्वास्थ्य प्रमाणन प्रणाली बनाई रखी है।
- 6. निनिप और निनिअ में नियमित कार्यालय के काम को डिजिटल करने के लिए, निनिप ने निनिप और उसके अभिकरण कार्यालयों में ई–ऑफिस की स्थापना की संभावना का पता लगाया है।
- निनिप से संबंधित सभी विनियम भारत कोड पोर्टल (वेबसाइट https://indiacode.nic.in) पर उपलब्ध कराए गए हैं।

अध्याय–8

जनशक्ति सुदृढ़ीकरण

निनिप अपनी स्थापना के बाद से, विश्व भर में खाद्य सुरक्षा में गतिशीलता और संगठन के जनादेश से संबंधित अन्य प्रमुख पहलुओं पर उन्हें अद्यतन रखने के लिए अपनी जनशक्ति के क्षमता निर्माण पर जोर दिया है।

प्रशिक्षण कर्मचारियों को नए कौशल प्राप्त करने, मौजूदा लोगों को तेज करने, बेहतर प्रदर्शन करने, उत्पादकता बढ़ाने और बेहतर नेतृत्त्व होने की अनुमति देता है। निनिप यह समझता है कि चूंकि एक संगठन कुल कर्मचारी जो व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करते हैं, संगठनों को अपनी शक्ति में सब कुछ करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कर्मचारी अपने चरम पर हैं। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2018–19 में निनिप को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए निनिप से अधिकारियों को नामित किया गया।

क्र. सं.	अधिकारियों की संख्या	विषय / थीम	स्थान	आयोजक	दौरे का प्रकार	दिनांक और दिनों की संख्या
1.	1	एफएसएसएआई द्वारा मान्यता के लिए श्रीलंकाई प्रयोगशालाओं का मूल्यांकलन	श्रीलंका	एफएसएसएआई	आडिट	15—19 मई 2018; 05 दिन
2.	1	कोडेक्स एलेमेंट्रिस कमीशन (सीएसी) का 41 वां सत्र	रोम, इटली	कोडेक्स	आधिकारिक	2—6 जुलाई 2018, 05 दिन
3.	1	एसपीएस समिति की बैठक और पक्ष—रेखा पर द्विपक्षीय बैठकें	जिनेवा, स्विट्जरलैंड	विश्व व्यापार संगठन	आधिकारिक	11—13 जुलाई 2018, 03 दिन
4.	1	एजीलेंट तकनीकी नेतृत्व शिखर सम्मेलन	सिंगापुर	एजीलेंट टेक्नोलाजीज इंडिया पी लिमिटेड	आधिकारिक	11—13 जुलाई 2018, 03 दिन

तालिका (i) : अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, बैठक और प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारीगण

अध्याय 8ः जनशक्ति सुदृढ़ीकरण

क्र. सं.	अधिकारियों की संख्या	विषय / थीम	स्थान	आयोजक	दौरे का प्रकार	दिनांक और दिनों की संख्या
5.	1	श्री संजीव चड्ढा, एएस (एफटी–एनईए), वाणिज्य विभाग और चीन के सीमा शुल्क के सामान्य प्रशासन के अधिकारियों (जीएसीसी)के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक भारतीय कृषि उत्पादों के बाजार पहुंच मुद्दों पर चर्चा करने के लिए।	बीजिंग, चीन		आधिकारिक	1—2 अगस्त 2018, 02 दिन
6.	2	व्यापार निहितार्थ के साथ खाद्य पदार्थों में जहरीले धातुओं और संबंधित संदूषकों के विश्लेषण पर अंतर प्रशिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	गुआयाक्विल, इक्वाडोर	राष्ट्रीय कोडेक्स समिति / अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए)	संकाय के रूप में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए।	13— 24 अगस्त 2018;10 दिन
7.	2	खाद्य आयात और निर्यात निरीक्षण और प्रमाणन प्रणाली पर कोडेक्स समिति का 24 वां सत्र	ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया	कोडेक्स	आधिकारिक	22—26 अक्टूबर 2018, 5 दिन
8.	2	घाना मानक प्राधिकरण (जीएसए), घाना के मेटालिक कोंटेमिन्टर्स प्रयोगशाला के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने की क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	अकरा, घाना	नेशनल कोडेक्स कमेटी, घाना	10 प्रतिभागियों को संकाय के रूप में प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करना	19—30 नवम्बर 2018;10 दिन
9.	1	मायकोटॉक्सिन विश्लेषण पर प्रशिक्षण	पशु चिकित्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, एग्री फूड पशु चिकित्सा प्राधिकरण, सिंगापुर	एफएसएसएआई और ग्लोबल फूड सेफ्टी पार्टनर्स ट्रेनिंग	ट्रेनिंग	08 — 10 जनवरी 2019, 03 दिन
10.	2	पशु रोग की तैयारी पर बीटीएसएफ कार्यशाला	पुत्रजया, मलेशिया	यूरोपीय संघ	आधिकारिक	18—21 मार्च 2019; 04 दिन

तालिका (के)ः राष्ट्रीय सम्मेलन, बैठक और प्रशिक्षण के लिए अधिकारी

राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रशिक्षण के लिए नियुक्त अधिकारीः 2018–19

क्रम सं.	अधिकारियों की संख्या	विषय ⁄थीम	स्थान	आयोजक	दिनांक और दिनों की संख्या
1	1	आईएसओ 17020ः 2012 और निनिप, निरीक्षण एजेंसी मान्यता योजना पर प्रशिक्षण	मुंबई	निनिप	03—04 मई,2018, 02 दिन
2	1	मरीन सेक्टर (एसईएमएस) में कौशल संवध् नि के राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के मत्स्य विभाग द्वारा आधिकारिक नियंत्रण के लिए पांच दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम	चैन्नई	निनिअ. चैन्नई एवं निनिप	07—11 मई, 2018; 05 दिन
3	1	आईएसओ/आईईसी 17025:2005 से आईएसओ/आईईसी 17025:2017 तक संक्रमण के संबंध में एनएबीएल अस्सिटेंट जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम	कोच्चि	एनएबीएल	26—27 मई, 2018; 02 दिन
4	1	आईएसओ/आईईसी 17025:2005 से आईएसओ / आईईसी 17025:2017 तक संक्रमण के संबंध में एनएबीएल अस्सिटेंट जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम	कोच्चि	एनएबीएल	27—28 मई, 2018 02 दिन
5	1	पांच (05) दिन समुद्री क्षेत्र (एसईएमएस) में राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के मत्स्य विभाग द्वारा कौशल संवर्धन के लिए आधिकारिक नियंत्रण के लिए जागरूकता कार्यक्रम	विजयवाड़ा	निनिअ. चैन्नई एवं निनिप	25— 29 जून 2018; 05 दिन
6	1	कीटनाशक अवशेष विश्लेषण पर वार्षिक पीआई, बैठक प्रशिक्षण	निनिप	निनिप	28 अगस्त 2018; 01 दिन
7	1	कीटनाशक अवशेष विश्लेषण पर प्रशिक्षण	नई दिल्ली	आईसीएआर—संस्थान	28 अगस्त—01 सितम्बर, 2018; 05 दिन
8	1	गुड फिशिंग वेसल प्रैक्टिस (GFvP) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	कोच्चि	यूएसएफडीए / जेआईएफएसएएन	04— 07 सितम्बर 2018; 04 दिन

अध्याय 8ः जनशक्ति सुदृढ़ीकरण

क्रम सं.	अधिकारियों की संख्या	विषय /थीम	स्थान	आयोजक	दिनांक और दिनों की संख्या
9	2	गुड फिशिंग वेसल प्रैक्टिस (जीएफवीपी) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	कोच्चि	यूएसएफडीए / जेआईएफएसएएन	04—07 सितम्बर 2018; 04 दिन
10	2	मरीन सेक्टर (एसईएमएस) में कौशल संवर्धन के राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के मत्स्य विभाग द्वारा आधिकारिक नियंत्रण के लिए पांच दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम	मंगलौर	निनिप	24—28 सितम्बर 2018; 05 दिन
11	1	गुड फूड लेबोरेटरी प्रैक्टिस का प्रशिक्षण कार्यक्रम	कोच्चि	एफएसएसएआई एवं निनिप	09—11 अक्टूबर 2018; 03 दिन
12	1	गुड फूड लेबोरेटरी प्रैक्टिस का प्रशिक्षण कार्यक्रम	कोच्चि	एफएसएसएआई एवं निनिप	09—11 अक्टूबर 2018; 03 दिन
13	1	गुड फूड लेबोरेटरी प्रैक्टिस का प्रशिक्षण कार्यक्रम	कोच्चि	एफएसएसएआई एवं निनिप	09—11 अक्टूबर 2018; 03 दिन
14	2	पांच (05) दिन समुद्री क्षेत्र (SEMT) में कौशल संवर्धन पर राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के मत्स्य विभाग द्वारा आधिकारिक नियंत्रण के लिए जागरूकता कार्यक्रम	कोच्चि	निनिप	26—30 नवम्बर, 2018; 05 दिन
15	1	पांच (05) दिन समुद्री क्षेत्र (SEMT) में कौशल संवर्धन पर राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के मत्स्य विभाग द्वारा आधिकारिक नियंत्रण के लिए जागरूकता कार्यक्रम	कोच्चि	निनिप	26—30 नवम्बर, 2018; 05 दिन
16	1	पैकेजिंग नॉर्म्स, खाद्य सुरक्षा मानकों, गुणवत्ता पैरामीटर और मसालों और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए विनियमों पर एक दिन का प्रशिक्षण सत्र	कोच्चि	भारतीय निर्यात संगठनों का संघ, केरल	19 दिसम्बर, 2018; 01 दिन
17	1	डाइऑक्सिन इंडिया 2019	तिरुवनंतपुरम	सीएसआईआर— एनआईआईएसटी	19 फरवरी, 2019; 01 दिन
18	1	गैर—मादक पेय के नमूने और परीक्षण का प्रशिक्षण कार्यक्रम	नई दिल्ली	एफएसएसएआई तथा आईबीए	25—26 फरवरी, 2019; 02 दिन

क्रम सं.	अधिकारियों की संख्या	विषय ⁄थीम	स्थान	आयोजक	दिनांक और दिनों की संख्या				
	निनिअ–मुंबई								
1	1	आईएसओ.17025 2005 से 2017 तक संक्रमण पर कार्यक्रम।	मुंबई	एनएबीएल	12—13 मई 2018; 02 दिन				
2	2	आईएसओ .17025 2005 से 2017 तक संक्रमण पर कार्यक्रम।	मुंबई	एनएबीएल	16—17 जून 2018; 02 दिन				
3	1	कीटनाशक अवशेष विश्लेषण पर रिफ्रेशर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	नई दिल्ली	आईसीएआरए नई दिल्ली	28 अगस्त—01 सितम्बर 2018; 05 दिन				
4	1	दूसरा पीटीपी / आरएमपी कॉन्क्लेव	मुंबई	एनएबीएल	30—31 अगस्त 2018; 02 दिन				
5	1	सूक्ष्मजीवविज्ञानी जोखिम मूल्यांकन पर अल्पावधि मिशन	नई दिल्ली	एफएसएसएआई, मुख्यालय, नई दिल्ली	12—16 नवम्बर 2018; 05 दिन				
6	1	उन्नत सूक्ष्मजीवविज्ञानी तकनीकों पर प्रशिक्षण	बड़ौदरा	एफएसएसएआई	26 —30 नवम्बर 2018; 05 दिन				
7	1	नई ई–प्रमाणन प्रणाली का परिचय	नई दिल्ली	निनिप	12 जनवरी 2019; 01 दिन				
8	2	निरीक्षण मॉड्यूल प्रशिक्षण	नई दिल्ली	निनिप	12 जनवरी 2019; 01 दिन				
9	1	गैर—मादक पेय पदार्थों के प्रशिक्षण विश्लेषण पर संगोष्ठी और हाथ	नई दिल्ली	एफएसएसएआई	25—26 फरवरी 2019; 02 दिन				
		निनिअ-	- चेन्नई						
1	3	आईएसओ 17020:2012 और निनिप द्वारा आयोजित निनिप निरीक्षण एजेंसी मान्यता योजना पर प्रशिक्षण	कोलकाता	निनिप एवं निनिअ. कोलकाता	05—06 अप्रैल 2018; 02 दिन				
2	1	तेल और वसा में किले के विश्लेषण की विधि	दिल्ली, गुरुग्राम	एफएसएसएआईए	24—28 सितम्बर 2018; 05 दिन				
3	1	विश्व ब्रैकिशवाटर एक्वाकल्चर सम्मेलन	चेन्नई	आईसीएआर— सीआईबीए	23 जनवरी 2019; 01 दिन				
4	1	आईएसओ / आईईसी 17025ः2017 पर प्रशिक्षण	चेन्नई	निनिअ चेन्नई	23—24 फरवरी 2019; 02 दिन				

अध्याय 8ः जनशक्ति सुदृढ़ीकरण

क्रम सं.	अधिकारियों की संख्या	विषय /थीम	स्थान	आयोजक	दिनांक और दिनों की संख्या
5	1	आईएसओ / आईईसी 17023:2017	चेन्नई	निनिअ. चेन्नई	23—24 फरवरी 2019, 02 दिन
		निनिअ–व	कोलकाता		
1	1	'आईएसओ⁄आईईसी 17025:2017' पर प्रयोगशाला जागरूकता कार्यक्रम	कोलकाता	एनएबीएल	14 मई, 2018; 01 दिन
2	1	एओएसी में एक वक्ता के रूप में योगदान दिया, इंडिया चैप्टर एंड एगिलेंट टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सहयोगी कार्यशाला	कोलकाता	एओएसी	23 जुलाई 2018; 01 दिन
3	1	''रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन" रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन कीटनाशक अवशेष विश्लेषण "पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, दिल्ली	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, दिल्ली	28 अगस्त— 01 सितम्बर— 2018; 05 दिन
4	1	एफएसएसएआई —आई सीएमएसएफ. सीएचआईएफएसएस सूक्ष्मजीवविज्ञानी खाद्य सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी पर हाथः खाद्य सुरक्षा प्रबंधन में नमूनाकरण और परीक्षण	नई दिल्ली	एफएसएसएआई	09—10 अक्टूबर, 2018; 02 दिन
5	1	12 वीं क्षेत्रीय मानक कॉन्क्लेव	भुवनेश्वर	सीआईआई	01 फरवरी 2019; 01 दिन
6	2	''उत्तम खाद्य प्रयोगशाला प्रथाओं" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	तेल एवं प्रौद्योगिकी विभाग, कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता	एफएसएसएआई	06—08 फरवरी, 2019; 03 दिन
7	1	परीक्षण के परिणामों की व्याख्या	कोलकाता	एफएसएसएआई	06—08 फरवरी, 2019; 03 दिन

क्रम सं.	अधिकारियों की संख्या	विषय /थीम	स्थान	आयोजक	दिनांक और दिनों की संख्या
8	1	खाद्य प्रयोगशाला में डिजाइन, आवास और पर्यावरण, प्रयोगशाला सुरक्षा और प्रयोगशाला अपशिष्ट निपटान, खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में दस्तावेज़ और डेटा नियंत्रण, डेटा अखंडता—लेखा परीक्षा ट्रेल्स और खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में इसका अनुपालन	कोलकाता	एफएसएसएआई	06—08 फरवरी, 2019; 03 दिन
9	1	माप और वॉल्यूमेट्रिक उपकरण के अंशांकन⁄मध्यवर्ती जांच	कोलकाता	एफएसएसएआई	06—08 फरवरी, 2019; 03 दिन
10	1	एओएसी का दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन – इंडिया सेक्शन, 2019. 01.03.2019 को "ई.कोली (एसटीईसी), केंपिलोबैक्टर, टोक्सोप्लाज्मा और नोरोवायरस का उत्पादन करने वाले खाद्य सुरक्षा–शिगा विष में उभरते सूक्ष्मजीव संबंधी चिंताओं पर 2019 टॉक।	नई दिल्ली	एओएसी. भारत	28 फरवरी—01 मार्च 2019; 02 दिन

तालिका (एल)ः निर्यातकों के लिए आउटरीच कार्यक्रम

क्र. सं.	आउटरीच कार्यक्रम	दिनांक	स्थिति
1	सतत निर्यात के अवसरों के लिए समुद्री क्षेत्र (एसएमईएस) में कौशल संवर्धन पर प्रशिक्षण कार्यक्रमः राज्य और संघ राज्य क्षेत्र मत्स्य विभाग द्वारा संवर्धित आधिकारिक नियंत्रण	07—11 मई, 2018	चेन्नई
2	निदेशक (नि. एवं गु.नियं.), निनिप की अध्यक्षता में क्षेत्रीय बैठक	12 मई, 2018	चेन्नई
3	टेक्नोलॉजिस्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम	21—25 मई, 2018	कोच्चि
4	सीओओ और आरईएक्स सिस्टम पर जागरूकता कार्यक्रम। (पांच कार्यक्रम)	09 जून, 2018; 20 दिसम्बर, 2018; 30 जनवरी, 2019; 27 फरवरी, 2019; 27 मार्च, 2019	मुंबई

अध्याय 8ः जनशक्ति सुदृढ़ीकरण

क्र. सं.	आउटरीच कार्यक्रम	दिनांक	स्थिति
5	सतत निर्यात अवसरों के लिए समुद्री क्षेत्र (एसईएमएस) में कौशल वृद्धिः राज्य और संघ राज्य क्षेत्र मत्स्य विभाग द्वारा संवर्धित आधिकारिक नियंत्रण –5 दिन	25 —29 जून, 2018	गन्नावरम
6	निर्यातकों, निदेशक (आई एंड क्यू⁄सी) निनिप, जेडीए निनिअ–चेन्नई और निनिअ अधिकारियों के साथ बातचीत	28 जून, 2018	भीमावरम
7	मछली और मत्स्य उत्पादों का नमूना निनिप के लिए निनिअ —कोलकाता के तहत अनुमोदित प्रयोगशाला.	30 जून, 2018	कोलकाता
8	समुद्री भोजन के व्यापार के साथ बैठक	12 जुलाई, 2018; 21 अगस्त, 2018	कोच्चि
9	कॉन्फ्रेंस हॉल में मूंगफली / मूंगफली उत्पादों के निर्यातकों के लिए संवेदनशील कार्यक्रम, बागवानी और बागान फसल निदेशालय, चेपक।	10 अगस्त, 2018	चेन्नई
10	मत्स्य पालन एपी. कौशल विकास कार्यक्रम चिंराट हैचरी संचालन पर एसआईएफटीए काकीनाडा में 06.08.2018 से 06.09.2018 तक	17 अगस्त, 2018	काकीनाडा
11	एलिसा परीक्षण किट का उपयोग करके एक्वाकल्चर चिंराट में एंटीबायोटिक अवशेषों की जांच	03 सितम्बर, 2018	मंगलौर
12	सीफूड व्यापार के साथ बैठक	06 सितम्बर, 2018	कोच्चि
13	5 दिन समुद्री क्षेत्र (एसईएमएस) में कौशल संवर्धन पर राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के मत्स्य विभाग द्वारा आधिकारिक नियंत्रण के लिए जागरूकता कार्यक्रम	24—28 सितम्बर, 2018	मंगलौर
14	राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लिए जलीय कृषि उत्पादों के लिए पशु चिकित्सा दवाओं के उपयोग पर जागरूकता कार्यक्रम (एक दिवसीय कार्यक्रम)	26 अक्टूबर, 2018	विजयवाड़ा
15	एलिसा तकनीक पर प्रौद्योगिकीविदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (4 कार्यक्रम) 2 दिन	27—28 अक्टूबर, 2018; 29—30 नवम्बर, 2018 01—02 दिसम्बर, 2018; 06—07 दिसम्बर, 2018;	भीमावरमय तूतीकोरिन, काकीनाडा, नेल्लोर

क्र. सं.	आउटरीच कार्यक्रम	दिनांक	स्थिति
16	आईएसओ 17043 और आईएसओ 13528 के अनुसार प्रवीणता परीक्षण प्रदाता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	02—04 नवम्बर, 2018	कोच्चि
17	सीओओ (विभिन्न योजनाओं) और आरईएक्स सिस्टम (2 कार्यक्रम) पर जागरूकता कार्यक्रम–एक दिन	24 नवम्बर, 2018; 05 दिसम्बर, 2018	कोयंबटूर, चेन्नई
18	सतत निर्यात अवसरों के लिए समुद्री क्षेत्र (एसईएमएस) में कौशल वृद्धिः राज्य और संघ राज्य क्षेत्र मत्स्य विभाग द्वारा बढ़ाया गया आधिकारिक नियंत्रण	26— 27 नवम्बर, 2018	कोच्चि
19	सीफूड उद्योग के लिए माइक्रोबायोलॉजिकल परीक्षण के लिए टेक्नोलॉजिस्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम (4 कार्यक्रम) 5 दिन	26 नवम्बर 2018; 30 नवम्बर 2018; 03—07 दिसम्बर, 2018; 25 फरवरी— 01 मार्च 2019	चेन्नई
20	माइक्रोबायोलॉजिकल विश्लेषण पर प्रौद्योगिकीविदों के लिए 5 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम	26—30 नवम्बर 2018	कोलकाता
21	एफएंडएफपी (2 प्रोग्राम्स) —2 के निर्यातकों को प्राथमिक उत्पादन (एक्वाकल्चर फार्म, हैचरी, फीड मिल, सप्लायर, लैंडिंग साइट और फिशिंग वेसल) की मंजूरी की आवश्यकता	30 नवम्बर—01 दिसम्बर, 2018; 16—17 फरवरी, 2019	भीमावरम; तूतीकोरिन
22	टेक्नोलॉजिस्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम	03—07 दिसम्बर, 2018	कोच्चि
23	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुद्दों (एसपीएस // टीबीटी) पर निर्यातकों के साथ डिब्रीडिंग सत्र	05 दिसम्बर, 2018;	कोच्चि
24	दुग्ध उत्पाद प्रौद्योगिकीविद् और पशु चिकित्सकों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर प्रशिक्षण—एक दिन	12 दिसम्बर, 2018	चेन्नई
25	बासमती चावल निर्यातकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम	27 दिसम्बर, 2018	नई दिल्ली
26	समुद्री भोजन एचएसीसीपी (दो दिन) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	27—28 दिसम्बर, 2018	कोच्चि
27	11 वीं क्षेत्रीय मानक स्थानीय रूप से उप कार्यालय—कानपुर द्वारा समन्वित हैं	04 जनवरी, 2019	लखनऊ
28	निरीक्षण मॉड्यूल के संबंध में निनिअ अधिकारियों का प्रशिक्षण	04 जनवरी, 2019	नई दिल्ली
29	निरीक्षण मॉड्यूल के संबंध में निनिअ अधिकारियों का प्रशिक्षण, नए ऑनलाइन निरीक्षण मॉड्यूल के बारे में निर्यातकों के साथ इंटरएक्टिव सत्र	18 जनवरी, 2019	कोच्चि

अध्याय 8ः जनशक्ति सुदृढ़ीकरण

क्र. सं.	आउटरीच कार्यक्रम	दिनांक	स्थिति
30	आउटरीच प्रोग्राम — खाद्य अनुभाग	18 जनवरी, 2019; 06 फरवरी, 2019; 28 मार्च, 2019	मुंबई
31	नई ऑनलाइन वेबसाइट के लिए परिचय के लिए सीफूड टेक्नोलॉजिस्ट	19 जनवरी, 2019	मुंबई
32	विभिन्न आयात करने वाले देशों की नियामक आवश्यकताओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, माइक्रोबायोलॉजिकल लैब आवश्यकताएं, जीएलपी, नमूनाकरण, प्राथमिक उत्पादन आवश्यकताओं का कार्यान्वयन, फील्ड स्तर निदान, रोकथाम और चिराट और फिन मछलियों के रोगों का नियंत्रण।	24 जनवरी, 2019	कोच्चि
33	इंटरएक्टिव सत्र "आनलाइन निरीक्षण मॉड्यूल प्रतिष्ठानों के लिए।	25 जनवरी, 2019	मंगलौर
34	एलिसा तकनीकों द्वारा प्रौद्योगिकीविदों/ एंटीबायोटिक स्क्रीनिंग पर 2 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	01— 02 फरवरी, 2019	कोलकाता
35	समुद्री भोजन के व्यापार के साथ बैठक	07 फरवरी, 2019; 28 मार्च, 2019	कोच्चि
36	एग्री बिजनेस स्टार्ट—अप प्रोग्राम — महाराष्ट्र को—ऑप. विकास निगम	12 फरवरी, 2019	पुणे
37	स्थापना प्रयोगशाला व्यक्तियों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम, मुंबई	21 फरवरी, 2019	मुंबई
38	सीओओ / आरईएक्स पर जागरूकता कार्यक्रम	23 फरवरी, 2019	कोलकाता
39	सीडब्लूआई के तहत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्राप्त करने और यूनिट के आईपीक्यूसी अनुमोदन के लिए जागरूकता के लिए आवश्यकताओं के संबंध में व्यापारी निर्यातक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	28 फरवरी, 2019	नई दिल्ली
40	समुद्री भोजन प्रौद्योगिकीविदों के लिए आरएएसएफएफ	फरवरी 2019; मार्च, 2019	मुंबई
41	कृषि व्यापार नीति, विभिन्न प्रचार एजेंसियों की भूमिका, निर्यात वित्त के रूपों, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों, जोखिमों और जोखिमों के शमन के बारे में बैंकरों के बीच जागरूकता के लिए कृषि—निर्यात के वित्तपोषण पर कार्यक्रम	01 मार्च, 2019	पुणे

क्र. सं.	आउटरीच कार्यक्रम	दिनांक	स्थिति
42	पंजीकृत निर्यातक प्रणाली (रैक्स) प्रणाली और उत्पत्ति के नियमों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।	02 मार्च, 2019	कोच्चि
43	कार्यकारी निर्देशों की आवश्यकताओं के कार्यान्वयन के संबंध में अनुमोदित दूध उत्पाद प्रतिष्ठानों के प्रौद्योगिकीविदों के लिए प्रशिक्षण	02 मार्च, 2019	नई दिल्ली
44	एफएफपी पर विभिन्न आयातक देशों के एचएसीसीपी/निर्यात प्रमाणन (खाद्य/समुद्री भोजन) नियामक आवश्यकताओं पर दो दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	02—03 मार्च, 2019	भुवनेश्वर
45	सतत निर्यात अवसरों के लिए समुद्री क्षेत्र (एसएमईएस) में कौशल वृद्धि।	04—08 मार्च, 2019	वेरावल
46	एलिसा परीक्षण किट का उपयोग करके एक्वाकल्चर के एंटीबायोटिक अवशेषों की जांच।	06—07 मार्च, 2019	मंगलौर
47	एग्री बिजनेस स्टार्ट—अप प्रोग्राम — महाराष्ट्र को—ऑप ।	14 मार्च, 2019	पुणे
48	एलिसा लैब की सामान्य आवश्यकता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और मछली और मत्स्य उत्पादों में एंटीबायोटिक अवशेषों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एलिसा स्क्रीनिंग टेस्ट के प्रदर्शन के साथ विधि सत्यापन	15—16 मार्च, 2019	भुवनेश्वर
49	आईएसओ / आईईसी 17025:2017 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	16—17 मार्च, 2019	कोच्चि
50	स्थापना प्रयोगशाला व्यक्तियों, मुंबई के लिए जैविक और रासायनिक पहलू पर बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम	20 मार्च, 2019	मुंबई
51	हैचरी, फीड मिल, सी फूड सप्लायर, एक्वा फार्मर (1 कार्यक्रम) —1 के हितधारकों को प्राथमिक उत्पादन (एक्वाकल्चर फार्म, हैचरी, फीड मिल, सप्लायर, लैंडिंग साइट और फिशिंग वेसल) की मंजूरी की आवश्यकताएं	20 मार्च, 2019	नेल्लोर
52	निर्यातकों के साथ क्षेत्रीय बैठक	28 सितम्बर, 2019	मंगलौर
53	निदेशक, निनिप के साथ निनिअ कोच्चि की क्षेत्रीय बैठक	29 सितम्बर, 2019	मंगलौर
54	निर्यात प्रमाणन (खाद्य⁄समुद्री भोजन) और एचएसीसीपी पर जागरूकता कार्यक्रम	29—30 मार्च, 2019	कोलकाता

अध्याय–9

निनिअ का नेटवर्क, निनिप के क्षेत्रीय संगठन

निर्यात के लिए उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण, मॉनिटरिंग, परीक्षण और प्रमाणन कार्य दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और कोच्ची में स्थित निर्यात निरीक्षण अभिकरण (निनिअ) द्वारा किए जाते हैं, जो कि निर्यात निरीक्षण परिषद्, नई दिल्ली के तकनीकी एवं प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित होते हैं। निनिअ के पास भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाहों और औद्योगिक केंद्रों में प्रयोगशालाओं सहित 24 उप कार्यालयों का एक नेटवर्क है। निनिअ अपने योग्य और अनुभवी कर्मियों के माध्यम से पिछले पांच दशकों से देश के निर्यात को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

10.1 निर्यात निरीक्षण अभिकरण–चेन्नई

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—चेन्नई, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी के भीतर के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है, जिसके साथ भीमवरम, कोयम्बटूर, हैदराबाद, नागरकोइल, नेल्लोर, तूतीकोरिन और विशाखापत्तनम में 7 उप कार्यालयों के नेटवर्क है।

निर्यात निरीक्षण अभिकरण – चेन्नई ऐसी प्रमुख गतिविधियों को संभाल रहा है जैसे:–

 मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पादों, कुक्कुट मांस और कुक्कुट मांस उत्पादों, अंडा उत्पादों, दूध उत्पादों, फल उत्पादों, काली मिर्च, पोषण बोज्य एवं पूर्व मिश्रण आदि के तहत अनुमोदित प्रतिष्ठानों का आधिकारिक नियंत्रण ।

- सूखे मत्स्य, शहद, काली मिर्च, मूंगफली और मूंगफली उत्पादों आदि के निर्यात के लिए परेषण—वार निरीक्षण
- स्वैच्छिक योजना के साथ—साथ तुर्की योजना के तहत इकाइयों का प्रमाणन।
- आरईएक्स के तहत सीओओ जारी करने और जीएसपी, एसएपीटीए, आईएसएफटीए, आईटीएफटीए इत्यादि जैसे विभिन्न एफटीए का प्रावधान।
- चेन्नई और उप–कार्यालयों में निनिअ प्रयोगशालाओं
 में विभिन्न उत्पादों का परीक्षण।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा मान्यता प्राप्त नोडल प्रयोगशाला के रूप में आयातित खाद्य उत्पादों का परीक्षण।

तटीय एक्वाकल्चर प्राधिकरण (सीएए) ने एक्वा इनपुट के पंजीकरण से पहले निषिद्ध पदार्थों का पता लगाने के लिए विभिन्न एक्वाकल्चर इनपुट उत्पादों के परीक्षण के लिए निनिअ—चेन्नई प्रयोगशाला को मान्यता दी है। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत औषधि नियंत्रण प्रशासन, आंध्र प्रदेश सरकार ने मछली और मत्स्य क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न जलीय कृषि आदानों के परीक्षण के लिए निनिअ—चेन्नई प्रयोगशाला की सिफारिश की है, विशेष रूप से धारा 20 (1) और धारा 20 (3) के तहत आवश्यक निषिद्ध पदार्थों के परीक्षण के लिए है।

10.2 निर्यात निरीक्षण अभिकरण–दिल्ली

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—दिल्ली, जे एंड के, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश के राज्यों को कवर करने वाले देश के पूरे उत्तरी और मध्य क्षेत्र पर अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करती है और उत्तरी में जालंधर, लुधियाना में इसके कार्यालय हैं। क्षेत्र; उत्तर मध्य क्षेत्र में कानपुर; उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जयपुर; मध्य क्षेत्र में इंदौर। निनिअ फीड एडिटिव्स और प्रीमियर के अलावा बासमती चावल, दुग्ध उत्पाद, शहद, पशु आवरणों की स्वीकृत इकाइयों पर नियामक नियंत्रण में शामिल है। बासमती चावल परीक्षण के लिए निनिअ—दिल्ली की प्रयोगशाला आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणित है।

10.3 निर्यात निरीक्षण अभिकरण— कोच्ची

निनिअ—कोच्ची द्वारा संचालित प्रमुख उत्पादों में मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद और काली मिर्च शामिल हैं। निनिअ—कोच्ची स्वैच्छिक प्रमाणीकरण योजना के तहत मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद, काली मिर्च, और अन्य खाद्य उत्पादों जैसे मसाले आदि के अनुमोदन एवं मॉनिटरिंग की अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। निनिअ—कोच्ची गैर जीएमओ के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला सुविधा है, जिसके आधार पर सभी निनिअ द्वारा गैर जीएमओ प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफआईएआई) द्वारा तैयार किए गए नमूनों के परीक्षण करने के लिए निनिअ—कोच्ची को अधिकृत किया गया है।

10.4 निर्यात निरीक्षण अभिकरण – कोलकाता

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—कोलकाता, स्वैच्छिक योजना के तहत अधिसूचित उत्पादों और खाद्य उत्पादों के लिए निर्यात प्रमाणन प्रदान करती है। यह वरीयता और मुक्त व्यापार समझौतों के अनुसार मूल के अधिमान्य प्रमाण पत्र भी जारी करता है।

निनिअ—कोलकाता (प्रयोगशाला) चावल और गेहूं के आटे में जिंक फोर्टिफिकेशन विधि को सत्यापित करता है, जिसे एफएसएसएआई वैज्ञानिक पैनल द्वारा सौंपा गया था। निनिअ—कोलकाता (प्रयोगशाला) ने एफएसएसएआई परियोजना के तहत भारत के पूर्वी भाग के 15 स्थानों से 12 राज्यों में 165 सब्जियों के नमूने एकत्र किएए जिनका नाम है "सब्जियों में धातुओं के दूषित होने की घटना पर आधारभूत डेटा तैयार करना"।

10.5 निर्यात निरीक्षण अभिकरण– मुंबई

निनिअ—मुंबई, के अधिकार क्षेत्र में, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में स्थित उप कार्यालयों के साथ रत्नागिरी, गोवा, अहमदाबाद, राजकोट, गांधीधाम, पोरबंदर और वेरावल में स्थित है।

विभिन्न अधिमान्य टैरिफ योजना के तहत मूल प्रमाण पत्र जारी करने के अलावा, निनिअ—मुंबई प्रसंस्कृत फलों के उत्पादों, दुग्ध उत्पादों, मछली और मत्स्य उत्पाद, कुचले हुए हड्डियों, ऑस्सीन और जिलेटिन, पशु आवरण, काली मिर्च, फीड सहित विभिन्न निर्यात वस्तुओं के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करता है। एडिटिव्स और प्री—मिक्सचर, और अन्य खाद्य उत्पाद आदि। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जारी करने के लिए विवरण प्रस्तुत करने पर निर्यातकों को जोर दिया जाता है। अध्याय 9ः निनिअ का नेटवर्क, निनिप के क्षेत्रीय संगठन

कार्यालयों के पते एवं संपर्क संख्याएं निनिप एवं निनिअ के पते और संपर्क संख्याएं

1. भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद्

(वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) तीसरा तल–एनडीवाईएमसीए कल्चरल सेंटर बिल्डिंग,

1, जय सिंह रोड, नई दिल्ली — 110 001 दूरभाषः +91—11—23748188/89, 23365540 फैक्सः 011— 23748024 ई–मेल: eic@eicindia.gov.in

II. निर्यात निरीक्षण अभिकरण एवं उनके उप–कार्यालय

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—मुंबई (मुख्यालय) ई – ३, एम.आई.डी.सी., अंधेरी (पूर्व), मुंबई, पिनः ४०००९३, महाराष्ट्र दूरभाषः + ९१–२2–23630311/ 23630312 / 23630113 फैक्सः + ९१–22–23682727 ईमेलः eia-mumbai@eicindia.gov.in

उप कार्यालय

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—मुंबई, उप—कार्यालयः अहमदाबाद 305, मल्टी पर्पस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (न्यू क्लॉथ मार्केट के सम्मुख) रायपुर, अहमदाबाद —380 002. दूरभाषः +91—79—22162398 फैक्सः+91—79—2216 2398 ई —मेलः eia-ahmedabad@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण– मुंबई, उप कार्यालयः– गांधीधाम

कमरा नंबर एफ —01, एफ —02, पुराने प्रशासनिक कार्यालय, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, गांधीधाम, गुजरात टेलीफोनः 02836 253036. फैक्सः 02836 — 220836 ई—मेलः eia-gandhidham@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—मुंबई, उप कार्यालयः—गोवा वाई—15, 5 वीं मंजिल, बिल्डिंग ए —1, जयराम परिसर, रुआ डे ओरेम, माला पणजी, गोवा, गोवा पिनः 403001, दूरभाष : 0832—2222380 फैक्सः 0832 — 2222 380 ई—मेलः eia-goa@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—मुंबई उप कार्यालयः— पोरबंदर 4, भोजेश्वर प्लॉट, पोरबंदर, पोरबंदर, गुजरात—360575 दूरभाष : 0286—2246 376 फैक्सः 0286 — 2246 376 ई—मेलः eia-porbandar@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—मुंबई उप कार्यालयः— राजकोट शरद विला, 25, न्यू जगनाथ प्लॉट, राजकोट, गुजरात पिनः 360001, दूरभाष : 0281—2463 620 फैक्सः 0281 — 2463 620 ई—मेलः eia-rajkot@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—मुंबई उप कार्यालयः— रत्नागिरि साहिल हवेली, शिवाजी नगर, मारुति मंदिर, रत्नागिरी, महाराष्ट्र पिनः 415612, दूरभाष : +91—235—2222589 फैक्सः +91—235—2222589 ई—मेलः eia-ratnagiri@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—मुंबई उप कार्यालयः— वेरावल

1 तल, जयकिशन परिसर, 80 फुट रोड, न्यू चंद्रमौलेश्वर मंदिर, वेरावल, गुजरात पिनः 362265, दूरभाष : +91–2876–220610 फैक्सः +91–2876–220610 ई–मेलः eia-veraval@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—मुंबई उप कार्यालयः— बड़ौदा

कुबेर भवन, रूक सं—824, 'आई' ब्लॉक, 8 वीं मंजिल, कोथी के पास, बड़ौदा, गुजरात पिनः 390001, टेलीफोनः +91—265—2415706 फैक्सः +91—265—2415706 ई—मेलः eia-baroda@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—मुंबई — पायलट टेस्ट हाउस निर्यात निरीक्षण अभिकरण — मुंबई

ई —3, एमआईडीसी क्षेत्र, मरोल, अंधेरी (ईस्ट) मुंबई — 400093 दूरभाष : +91—22—28363396, 3397, 3401, 2834 9619; फैक्स: 022 — 2836 9868 ई—मेल: pth@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण–कोलकाता

निर्यात निरीक्षण अभिकरण–कोलकाता (मुख्यालय)

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 14/1बी इजरा स्ट्रील, कोलकाता—700001 पश्चिम बंगाल दूरभाष :+ 91—33—22355004 / 22352651 / 22352652 फैक्स: 91—33—22354562 ई—मेल: eia-kolkata@eicindia.gov.in निर्यात निरीक्षण अभिकरण—कोलकाता— प्रयोगशाला स्पेस 101, (प्रथम तल), साउथएंड कॉन्क्लेव, 1581, राजदंगा मेन रोड, कोलकाता—700107 ई—मेलः eia-kolkatalab@eicindia.gov.in

उप कार्यालय

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—कोलकाता, उप कार्यालयः भुवनेश्वर आईडीसीओ प्लॉट नंबर 45 / ए / 1, चंदका औद्योगिक एस्टेट—पटिया भुवनेश्वर, पिनः 751 024, ओडिशा दूरभाषः + 91—674—2975868 ई—मेलः eia-bhubaneswar@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण— कोलकाता, उप कार्यालयः दमदम

120 मजुमदार पैरा (1 तल), जेस्सोर रोड, हवाई अड्डे के गेट नंबर 1 के पास, दमदम, पश्चिम बंगाल, पिनः 700079, फैक्सः + 91–033–25130573 ई – मेलः eia-dumdum@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण–कोच्ची

निर्यात निरीक्षण अभिकरण– कोच्ची (मुख्यालय)

27/1767 ए, शिपयार्ड क्वार्टेर्स रोड, पनम्पिल्ली नगर (दक्षिण), कोच्ची, केरल पिनः 682036, दूरभाष : + 91–484 –2314645 / 2316946/2316949 फैक्सः + 91–484–2316948 ई – मेलः eia-kochi@eicindia.gov.in

अध्याय 9ः निनिअ का नेटवर्क, निनिप के क्षेत्रीय संगठन

उप कार्यालयः

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—कोच्चि उप कार्यालयः बैंगलूरू दूसरी मंजिल, जीवन सेम्पीजी बिल्डिंग, नं. 1/1, दूसरा मेन, सेम्पीजी रोड, माल्लेश्वरम, बैंगलूरू पिन : 560003, कर्नाटक दूरभाष :+ 91–80.23444931 / 23567556 ई—मेल: eia-bangalore@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—कोच्चि उप कार्यालयः क्यूलीन शाइन कॉप्लैक्स, दूसरी मंजिल, चमकडा, क्यूलीन, पिनः 691001, केरला दूरभाषः+ 91—474—2749087 फैक्सः +91—474—2749087 ई—मेलः eia-quilon@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण— कोच्ची, उप कार्यालयः मंगलूरु स्कूल बुक बिल्डिंग—3 मंजिल, टेम्पिल स्क्वायर, कार स्ट्रीट, मंगलूरु, कर्नाटक पिनः 575001, दूरभाष : +91—824—2496813 फैक्सः +91—824—2496 813 ई — मेलः eia-mangalore@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण–दिल्ली

निर्यात निरीक्षण अभिकरण – दिल्ली (मुख्यालय), ठक्कर बप्पा स्मारक सदन, दूसरी मंजिल, डॉ आंबेडकर मार्ग, (लिंक रोड) (झंडेवालान मेट्रो स्टेशन के पीछे), दिल्ली, पिनः 110055, दूरभाष : +91–11–23626320/21/22/23/24/25/26 फैक्सः +91–11–23626328 ई – मेलः eia-delhi@eicindia.gov.in

उप कार्यालयः

निर्यात निरीक्षण अभिकरण– दिल्ली, उप कार्यालय :– इंदौर 303, कैप्टन. सी.एस. नायडू आर्केड 10/2, ओल्ड पलेशिया, इंदौर, मध्य प्रदेश पिनः 452 001, दूरभाष : +91–731–2566057 ई – मेलः eia-indore@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—दिल्ली उप कार्यालयः— जयपुर 201—202, तिरुपति ट्रेड सेंटर, 4, संसार चंद्र रोड, जयपुर, राजस्थान. पिनः 302 001, दूरभाष : +91—141—2366 973 फैक्सः +91—141 — 2366 973 ई — मेलः eia-jaipur@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—दिल्ली उप कार्यालयः— जालंधर 320, डब्ल्यू जी टी रोड, बस्ती अड्डा जालंधर, जालंधर, पंजाब. पिनः 144 001, दूरभाष : +91—181—2403424 फैक्सः +91—181—2403 424 ई — मेलः eia-jalandhar@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—दिल्ली, उप कार्यालयः कानपुर एमडी प्लाजा, 38/105, मेस्टन रोड (दूसरी मंजिल), बड़ा चौराहा के पास, कानपुर, उत्तर प्रदेश, पिनः 208 001, टेलीफोनः +91—512 2369 927 फैक्सः +91—512—2369 927 ई — मेलः eia-kanpur@eicindia.gov.in

भारत के निर्यात विकास में भागीदार

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—दिल्ली, उप कार्यालयः— लुधियाना पहली मंजिल, एस सी ओ 17 (पास एनआरआई पुलिस स्टेशन) सेक्टर—39, चंडीगढ़ रोड, लुधियाना, पंजाब पिनः 141010, दूरभाष : 0161 — 2410 083 फैक्सः 0161 — 2410 083 ई — मेलः eia-ludhiana@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण– चेन्नई

निर्यात निरीक्षण अभिकरण – चेन्नई (मुख्यालय)

6. मंजिल सी.एम.डी.ए. टॉवर— **II** , संख्याः 01, गांधी इरविन रोड, एग्मोर, चेन्नई, तमिलनाडु पिनः 600008, दूरभाष : + 91–44 – 28552841/42 फैक्सः + 91–44–28552840 ई – मेलः eia-chennai@eicindia.gov.in

उप–कार्यालय :

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—चेन्नई उप कार्यालयः— भीमावरम

दरवाजा सं. : 7—150, दूसरी मंजिल, वेंकट राजू नगर, चिन्नामिराम, जुवलापालम रोड, पश्चिम गोदावरी जिले, भीमावरम, आंध्र प्रदेश पिनः 534204, दूरभाष : +91—8816—229075 फेक्स: +91—8816—229075

ई–मेलः eia-bheemavaram@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—चेन्नई, उप कार्यालयः— कोयंबत्तूर

1 तल, उत्तर विंग, जवान भवन, सं.27, ट्रैवलर्स बंगला रोड, कोयंबत्तूर, तमिलनाडु पिनः 641018, दूरभाषः +91–422–2393365 फैक्सः +91–422–2233365 ई – मेलः eia-coimbatore@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—चेन्नई, उप कार्यालयः— हैदराबाद

नं 903, 9 वीं मंजिल, राघव रत्न टावर्स, चिराग अली लेन, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश पिनः 500018 दूरभाषः 23712224, फैक्सः +91–40–23202224 ई – मेलः eia-hyderabad@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—चेन्नई, उप कार्यालयः— नागरकोइल

75—ए, कोर्ट रोड, शंकर बिल्डिंग, नागरकोइल, तमिलनाडु पिनः 629001, दूरभाष : +91—465 232704 फैक्सः +91—4652—2327 04 ई — मेलः eia-nagercoil@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—चेन्नई, उप कार्यालयः— तूतीकोरिन नं 271, ऐश्वर्या टावर्स, शिवंतकुलम रोड, तूतीकोरिन, तमिलनाडु पिनः 628003, दूरभाषः +91—461—232061 फैक्सः +91—461—2339182 ई — मेलः eia-tuticorin@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—चेन्नई, उप कार्यालयः– विशाखापट्टनम

डी.सं. 43—18—10 / 4, टी. एस. एन. कॉलोनी 3 तल, हीरो होंडा शो रूम, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश. पिनः 530016, दूरभाषः +91–891–2747141 फैक्सः 2747141 ई–मेलः eia-vizag@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—चेन्नई, उप कार्यालयः— नेल्लूर

3 तल, दक्षिण विंग, जी.के., इंपीरियल टावर्स, दरवाजा सं. 23, प्लॉट सं. 468, किंग्स कोर्ट, मागुन्टा लेआउट, नेल्लूर, आंध्र प्रदेश पिनः 524003,

दूरभाष : +91-861-359900 / +91-861-2354400 ई - मेलः eia-nellore@eicindia.gov.in

Annual Report 2018-19



EXPORT INSPECTION COUNCIL (including Export Inspection Agencies)

Delhi/ Mumbai/Kolkata/Chennai/Kochi



Sl. No.	Title	Page No.
	From Director's Desk	iii
1	Overview	1
2	A Glance of activities and achievements	10
3	Inspection and Certification Services	22
4	Certificate of Origin	27
5	Other Major Activities	33
6	Progressive use of Hindi - The Official Language	48
7	Computerization and Modernization	51
8	Strengthening Manpower	52
9	Network of Export Inspection Agencies	63

From Director's Desk.....

It is a matter of great pleasure to present the Annual Report 2018-19 of the Export Inspection Council (EIC), carrying the array of the activities and achievements of the organization. The EIC has gone through one more challenging and successful year of continuing its endeavour to facilitate the export trade from India. The EIC has always strived hard to be globally competitive in providing export facilitation services to all concerned



stakeholders. The credit for EIC's success goes to the untiring efforts and professionalism of EIC/ EIAs Officials as a team and ever supportive stakeholders. Export Inspection Council, thus continues to facilitate worldwide access for Indian exports through a credible and efficient inspection and certification system.

Running in it's 55th year since inception, the EIC's journey from a certifying agency to one of India's most trustworthy service provider to exporters, has been phenomenal. Export Inspection Council along with its field organisations, Export Inspection Agencies (EIAs), is continuously rendering world class services to the concerned stakeholders all over India, not only by certifying the quality of export commodities but also by inculcating the ownership values among the exporters through outreach training programs and quality awareness. This can be understood by the fact that, the EIC's certification for export is being recognized by many trading partners including European Union, USA, Custom Union, China, South Africa, Saudi Arabia, Bhutan, Turkey, Korea, Japan and Srilanka.

This year also witnessed some major developments in EIC's system. In line with the Hon'ble Prime Minister's vision of Digital India and as part of system upgradation approach, the EIC launched three digital initiatives in April 2018. These Digital portals were launched by the then Hon'ble Minister of Commerce and Industry, Shri Suresh Prabhu, viz. (1) Safe Food Export Traceability Portal (2) One Laboratory One Assessment Portal, and (3) Monitoring Export Alerts Portal. With these digital initiatives, the EIC intends to enhance support to the export business from India, by reducing transaction time, and to ensure safe and hassle-free export trade from India.

The EIC's certification system and competency was appreciated by the various International delegations from Afghanistan, Saudi Food and Drug Authority (SFDA) and European Union (EU), which visited during the year. The visits have been very fruitful and valuable suggestions from delegations were helpful in strengthening the system.

The EIC has added several important feathers in its cap by attaining recognition from various International and National bodies. Keeping in view the global acceptance of EIC, officers from EIC/

EIAs were invited by international organizations, like, International Atomic Energy Agency (IAEA) and National Codex Committee, Ghana, as training faculty in various International Capacity building programmes. This year also EIC / EIA officers participated in various National and International programmes. Around 50 outreach programmes were conducted by EIAs for building capacity of the exporters and other stakeholders.

I would like to express my gratitude to the EIC family, national/international stakeholders, members from trade fraternity and others, who are directly or indirectly part of this phenomenal journey of EIC. I always hold the view that together as a team, we can make EIC, a global trend-setter in terms of delivering excellence through safe and sound export from India. The EIC, supported by its competent staff, is always geared up to meet any challenge in coming years.

Wishing very best to all of you!!

Jai Hind

Dr. S.K Saxena Director (I&QC)

Chapter 1

Overview

he Export Inspection Council (EIC) was established by Government of India under Section 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 to ensure sound development of export trade of India through Quality Control and pre-shipment Inspection and for matters connected thereof. The EIC is an advisory body to the Central Government for notification of commodities which will be subjected to quality control and/ or inspection prior to export, establish standards of quality for such notified commodities, and also to specify the type of quality control and/or inspection to be applied to such commodities.

The EIC is the official export certification body of India as well as Competent Authority for the notified commodities. The major role of EIC is to ensure the Quality and Safety of products exported to meet the requirements of the importing countries. This assurance is provided through Consignment-Wise Inspection (CWI) system &/or Food Safety Management System based Certification (FSMSC) through its field agencies. The Export Inspection Agencies (EIAs) established under Section 7 of the Act are located at Mumbai, Kolkata, Kochi, Chennai and Delhi with a network of 24 sub-offices having by state – of - the art laboratories which are accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) as per ISO 17025, all over India.

The EIC provides mandatory certification for various food products, namely, Fish & Fishery Products, Milk Products, Egg Products, Frozen/ Chilled Meat and Meat Products, Fresh Poultry and Poultry Meat Products, Animal Casings, Crushed Bones, Ossein and Gelatin, Feed Additives and Premixtures, Peanut & Peanut products (EU & Malaysia), Basmati Rice (EU) and Honey. The other food items that are not notified under the Act, are also being certified on voluntary basis. Export Certification is carried out through the EIAs and is based on a system approach including GHP/GMP/HACCP as well as specific requirements of the importing countries. With more than fifty years of experience in the field of inspection, testing and certification of food products as per importing country requirements, the EIC has been recognised globally.

In this era of changing dynamics of food safety regulations and certification, the EIC has transformed its role and functions to build up the confidence among the trading partners across the globe. The EIC has been instrumental in involving the stakeholders including exporter fraternity to meet the changing requirements of the importing countries with rising food safety concerns and technological upgradation.

The global trade of food is increasing significantly with the increasing international consumers and growing demands following the World Trade Organization (WTO) Agreements. There is a need to create awareness about the Sanitary and Phytosanitary (SPS) challenges and develop mechanisms to overcome these challenges posed by non-tariff measures in global food trade. The EIC has been playing a pivotal role in exploiting all possible opportunities for equivalence and recognition. The delegations from importing countries evaluate the official control and risk control mechanism. The delegations from Food and Veterinary Office (DG SANTE) European Commission; Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance (FSVPS), Russia-Custom Union; General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC); Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS), Australia; Department of Veterinary Services (DVS) Malaysia; National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department (NAFIQAD), Vietnam have visited in past and assessed the capability and competence of EIC in inspection, testing, and certification.

The EIC always actively involved in standard setting process at national and international levels and provide feedback to ensure the interest of exporters are well protected. The EIC has adopted Quality Management System and is ISO 9001:2015 certified to ensure realization of its objectives.

CITIZEN'S CHARTER

Vision

 To facilitate worldwide access for Indian exports through a credible and efficient inspection and certification system and earn global recognition as India's premier organization for certifying quality and safety to meet international norms;

Mission

- To create an export inspection & certification infrastructure within the country, based on International Standards for Certification Authority in consonance with WTO requirements;
- To instil confidence in importers as well as regulatory authorities of India's trading partners about quality and safety of Indian products;
- To provide state-of-art testing facilities;
- To obtain recognition for EIC's Export Certification System from India's trading partners through Equivalence Agreements; to participate in international forum and protect Indian interest;
- To enhance capability of manpower through training to meet international requirements and keep abreast with latest technological advancements.

Values

• We are committed to act with integrity, judiciousness, transparency,


accountability, courtesy and understanding in our dealings with the public.

Strength

- Experience of more than five decades in quality control, pre-shipment inspection and monitoring of commodities exported to all parts of the globe;
- Competent, skilled, qualified and trained manpower to perform inspection, testing and certification duties;
- State-of-art NABL accredited laboratories spread over EIC network for testing and

quality assurance of notified commodities in compliance to International standards;

- A strong network of Export Inspection Agencies (EIAs) having jurisdiction all over India strategically located at all major ports, important industrial and production centres;
- An organization backed by statutory powers under the Export (Quality Control & Inspection) Act, 1963 without any conflict of interest and official export certification body of India with global recognition through MOUs, Equivalence agreements etc.



ORGANIZATION CHART

Note: Sub-Offices indicated with Blue have laboratory facility and Grey without lab facility.

THE MAJOR ACTIVITIES OF THE EIC:

- Approval of processing establishments based on Food Safety Management System to ensure safety and quality of commodities meant for export as per importing countries standards;
- Pre-shipment inspection and certification based on Consignment Wise Inspection (CWI) to assure quality of export commodities as per laid down specification;
- Issuance of Preferential Certificate of Origin for export products under various preferential tariff schemes;
- Issuance of different types of certificates, namely, Health Certificate , Authenticity

Certificate, Non-GMO Certificate, etc. under various export certification schemes;

- Recognition of Inspection Agencies and Laboratories;
- Residue Monitoring Plans as per importing countries requirements;
- Collaboration with FSSAI for laboratory testing services and testing of samples drawn from import consignments of food products;
- Training and capacity building of industry and other stake holders in areas of Quality and Food Safety Management System;
- Monitoring TBT Notification by WTO member countries and their impact on India's Trade.

Council Members

As per the notification S.O. 488(E) dated 01 February, 2018, the Central Government reconstituted, the Export Inspection Council, as mentioned below:

Sl. No.	Name and Designation	
1	Joint Secretary (Export Inspection), Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India New Delhi.	Chairman
2	Director of Inspection and Quality Control, Export Inspection Council, New Delhi	Member Secretary
3	Director General, Bureau of Indian Standards, New Delhi	Member Ex-officio
4	Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, New Delhi	Member Ex-officio
5	Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Kolkata	Member Ex-officio

Chapter 1 : OVERVIEW

	Other Members	
6	Director (Export Inspection), Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India New Delhi.	Member
7	Joint Secretary, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture, Government of India, New Delhi.	Member
8	Chairman, Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, New Delhi	Member
9	Chairman, Marine Product Export Development Authority, Kochi	Member
10	Chairman, Spices Board, Kochi	Member
11	Joint Secretary, Ministry of Food Processing dealing with meat and meat products	Member
12	Joint Secretary, Plant Protection, Ministry of Agriculture	Member
13	Chief Executive Officer, National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, NABL House, Plot 45, Gurugram, Haryana	Member
14	Advisor (Standards), Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bha- wan, Kotla Road, New Delhi	Member
15	Director, National Dairy Research Institute, Karnal	Member
16	President, All India Rice Exporters Association, New Delhi	Member
17	Vice Chancellor, National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management, Plot 97, Sector 56, Kundli, Sonepat, Haryana	Member
18	Nominee Member, from M/s Geo-Chem Laboratories Private Limited, 21, Vishal, Wageshwari Plot, 2 nd Floor, Porbandar,Gujrat	Member
19	Nominee member from M/s Inspectorate Griffith India Pvt. Ltd. No. 23 Chengalvaraya Naicker Maligai,4 th Floor Rajaji Salai, Parrys, Chennai	Member
20	Nominee member, from M/s SGS India Private Limited, Plot No. 64, GIDC Main Road, Dharampur, Porbandar Gujrat	Member

LIST OF NOTIFIED COMMODITIES

The Export (Quality Control & Inspection) Act, 1963 empowers the Central Government, on the advice of the Council, to notify commodities along with their standards for export, based on the requirements to safeguard trade from India. The various commodities notified under the Act are placed in Table (a) below:

Notified Commodities	Gazette Order(s) / Notification(s)/ Order (s)
Animal Casings	Order S.O.2947 dated 03.11.1997 and Notification S. O. 2948 dated 03.11.1997 subsequent amendment(s) vide Notification S.O.1315 (E) dated 08.6.2012. Notification S.O. 6332(E) dated 28.11.2018.
Basmati Rice	Order S.O. 67 (E) dated 23.01.2003 and Notification S.O. 68(E) dated 23.01.2003 and subsequent amendment(s) vide Notification S.O. 1139 dated 15.5.2004, Notification S.O. 716 dated 05.3.2005 and Notification S.O. 791 (E) dated 24.5.2006. SO 136 (E) dated 13.01.2016. Notification S.O. 6337(E) dated 28.11.2018.
Black Pepper	Order S.O. 245 dated 07.3.1988 and Notification S.O. 1311 dated 22.4.1991. Notification S.O. 6333(E) dated 28.11.2018.
Crushed Bone, Ossein & Gelatine	Order S.O. 725 (E) dated 03.4.2012 &Notification S.O. 726 (E) dated 03.4.2012.
Egg Products	Order S.O. 2077 dated 04.08.1997 and Notification S.O. 2078 dated 04.08.1997 and subsequent amendment(s) vide Order S.O.1442(E) dated 19.12.2003 and Notification S.O. 1443(E) dated 19.12.2003, Notification S.O.721 dated 25.02.2005 and Notification S.O. 1516 dated 16.06.2008. Notification S.O. 1952(E) dated 22.8.2012. Notification S.O. 6340(E) dated 28.11.2018.
Feed additives & Pre mixture	Order S.O 3523(E) and Notification S.O. 3524 both dated 28 November, 2013. Notification S.O. 6339(E) dated 28.11.2018.
Fish & Fishery Products	Order 729 (E) dated 21.8.1995 subsequent amendment(s) vide Order S.O. 792 (E) dated 17.8.2001,Order S.O.722 (E) dated 10.7.2002,Order S.O. 464 (E) dated 24.4.2003,Order S.O. 1227 (E) dated 23.10.2003 and Order S.O. 1227 (E) dated 31.7.2006 and Principle Notification S.O. 730 (E) dated 21.8.1995 and subsequent amendment(s) vide Notification S.O. 415 (E) dated 11.4.2002,Notification S.O.1029(E) dated 24.9.2002, Notification S.O.1034 (E) dated 9.9.2003, and Notification S.O.1519 (E) dated 16.6.2008, Notification S.O.2714(E) dated 28.10,2009,Notification S.O. 143 (E) dated 21.01.2011 and Notification S.O. 497 (E) dated 10.3.2011. Notification S.O. 6341(E) dated 28.11.2018.

Table (a): Commodities notified under the Export (Quality Control & Inspection) Act, 1963

Notified Commodities	Gazette Order(s) / Notification(s)/ Order (s)
Fresh Poultry Meat and Poultry Meat Products	Order S.O. 1377(E) dated 30.12.2002 and Notification S.O. 1378(E) dated 30.12.2002 and subsequent amendment(s) vide Notification S.O. 719 dated 25.02.2005 and Notification S.O. 1517 dated 16.6.2008.
Fruit & Vegetable Products	Order S.O. 3352(E) and S.O 3353(E) both dated 28.10.2016. Notification S.O. 6338(E) dated 28.11.2018.
Honey	Order No. S.O. 276 (E) dated 04.03.2002 and Notification S.O. 277 (E) dated 04.03.2002 and subsequent amendment(s) vide Notification S.O. 1444 dated 19.12.2003, Notification S.O. 1245 dated 14.05.2004 and Notification S.O. 1581 dated 16.06.2008. Notification S.O. 6336(E) dated 28.11.2018.
Milk Products	Order 2719 dated 28.11.2000 and Notification S.O. 2720 dated 28.11.2000 and subsequent amendment(s) vide Notification S.O. 3719 dated 12.11.2002, No- tification S.O. 999 (E) dated 13.9.2004, Notification S.O.1397 dated 24.4.2007, Notification S.O. 712 dated 25.02.2005 and Notification S.O. 1515 dated 16.06.2008. Notification S.O. 6334(E) dated 28.11.2018.
Peanut & Peanut Products	DoC letter dated 16 May 2013
Raw Meat (Chilled / frozen)	Order S.O. 203 dated 15.01.1993 and Notification S.O. 204 dated 15.01.1993 and subsequent amendment(s) vide Notification S.O.205 dated 25.01.1993, Notification S.O.1989 dated 03.9.1993 and S.O 2221 dated 04.10.1993. Notifi- cation S.O. 6335(E) dated 28.11.2018.

AGREEMENTS / RECOGNITIONS OF EIC CERTIFICATION WITH VARIOUS COUNTRIES

The EIC, since its establishment is playing a crucial role in promoting trade through its quality control & inspection activities by ensuring compliance with the requirements of importing countries. The quality assurance activities of EIC help to facilitate world wide access for Indian exports and instil confidence in importers as well as importing countries authorities about quality and safety of Indian products. In line with the

national and international needs, EIC continues to strive to have Memorandum of Understandings (MoUs)/ Mutual Recognition Agreements (MRAs)/ Equivalence Agreements/ Recognitions/ Cooperation Arrangements with the major trading partners. These arrangements facilitate acknowledgement of EIC's Certification System by regulatory authorities of importing countries and avoid multiple border inspections.

The details of the existing Equivalence Agreements/ Recognitions/ Cooperation with major trading partners is listed in table.

Table (b): Equivalence Agreements / Recognition/ Cooperation Arrangements

Country	Products Covered	Year of Agreement/ Recognition
	Black Pepper	1988
USA(USFDA)	Cooperative engagement in regulatory, scientific and technical areas associated with food products.	2015
	Confidentiality Commitment.	2016
European Commission	Fish & Fishery Products, Basmati Rice, Animal Casing, Honey, Crushed bones, ossein & gelatin, egg products, peanut and pea- nut products, feed additive and pre-mixture, Spices (capsicum & curry leaves in all forms)	1997 onwards
Korea	Frozen marine products, processed spice goods, processed nuts, tea, honey, jam, preserved goods, sauce, sugar syrup, ed- ible oil and fats	2004
Turkey	Food products, food packaging materials and stainless steel utensils	2004
Sri Lanka	85 products under the Import Inspection Scheme of Sri Lanka namely milk products, edible oils, packaged water, preserved food, toiletries, bicycle tyres & tubes, steel section & wires, electric goods & PVC cables & cords etc.	2005
Singapore	Food & agriculture (egg products, dairy products, drinking water), Electric & electronic products, Telecommunication equipment and Drugs & Pharmaceuticals	2005
Japan	Poultry & marine products	2005
Russian Federation	Fish & Fishery Products	2009
Custom Union	Dairy Products	2016
Saudi Arabia	Fish & Fishery Products	2009
	Fish & Fishery products	2012
China	Feed and feed ingredients	2013
Ciilia	Rapeseed meal	2015
	Fish Meal and Fish Oil	2018
Bhutan	Food And Agricultural Products	2013
Netherlands	General Food Safety	2019

The EIC has transformed its resources and service quality with specific aim to fulfil the initiatives taken by Government of India on ease of doing business and digital India with core objective to provide increased opportunity for export of food commodities vis-a -vis International needs. The EIC is actively collaborating with other stakeholders, like, promotional boards, exporters, importing countries authorities, industry associations, Chamber of commerce in building infrastructure, skill upgradation, technical competence and analytical capability. The EIC is proactively involved in developing its own competence to meet any future challenges related to SPS measures imposed by different countries.

Chapter 2

A GLANCE OF ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS

The Export Inspection Council (EIC), an advisory body to the Government of India, has successfully provided more than five decades of service to the nation. The major achievements are a shared effort of strong leadership, committed and motivated employees and support of all relevant stakeholders.

2.1 International Cooperation

- Bhutan Agriculture and Food Regulatory Authority (BAFRA) Bhutan vide notification dated 20th June, 2018, has mandated EIC Health Certification for import of Chilled/ Frozen Fish & Crustaceans with effect from 01st August, 2018. Similarly EIC's Health Certificate has been mandated by BAFRA for import of Animal Feed, Feed Additives & premixtures in March 2019. Both these developments came under the ambit of the MoU signed between EIC and BAFRA.
- Technical Protocol for Hygiene and inspection requirements for export of fish meal/fish oil from India to China was signed between General Administration of Customs of People's Republic of China (GACC) and Export Inspection Council on 28th November, 2018 at New Delhi.



Technical Protocol between GACC and EIC signed on 28th November, 2018 at New Delhi.

- EIC partnered with ICMR-National Institute of Nutrition in organizing "International Conference on Endocrine Disrupting Chemicals (EDCs): Past Experiences, Present Scenario and Future Approaches" at Hyderabad, Telangana during 13th-14th December, 2018.
- Tripartite Memorandum of Understanding for cooperation in strengthening food safety was signed between Food Safety Standards Authority of India (FSSAI), EIC and the Netherland Food and Consumer Products Safety Authority on 28th March, 2019.

2.2 Visit of International Delegation

a) Food and Veterinary Office (FVO) mission of European Commission (EC)

The FVO mission visited India during 16th April, 2018 to evaluate the control of residues and contaminants in live animals and animal products, including controls on veterinary medicinal products.



Visit of the FVO Mission in April 2018.

b) Saudi Food and Drug Authority (SFDA) to EIA Kochi.

Visit of the SFDA delegation to EIA Kochi.

The Delegation of Saudi Food and Drug Authority (SFDA) visited EIA Kochi on 15th December, 2018. The team visited the laboratory facilities of EIA Kochi to get acquainted with the testing facilities provided by the EIA Kochi.

Partner in India's Export Growth

c) Afghanistan Delegation Visit

The Afghanistan delegation with members from Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock (MAIL), Ministry of Public Health (MoPH), Afghanistan National Standards Authority (ANSA) and Ministry of Commerce and Industry (MoCI) visited EIA-Kochi on 04 February, 2019. The delegation was appraised by EIA Kochi on Exports Procedure, Testing for Antibiotics and Pesticides.



The Afghanistan delegation at EIA Kochi.

d) Visit of EU Technical Assistance Mission

Technical assistance mission on residues from European Commission was carried out from 18th February to 1st March 2019. The mission visited India in relation to the recommendations of previous residue mission of EU conducted in the April 2018. The mission comprised of one EU expert, Dr. Francois Andre who visited establishment, farms, laboratories, Veterinary Medicinal Products (VMP) shops and also interacted with various stake holders including central and state drug authorities. The mission expressed satisfaction with respect to the action against the recommendation of previous residue mission and submitted a few recommendations/suggestions to EIC for which suitable action has been taken by EIC.



Opening Meeting of the EU Technical Mission at EIC.

National Visits 2.3

a) Visit of Chairperson, Food Safety & Standards Authority of India (FSSAI) at EIA Kochi



Ms. Rita Teaotia, Chairperson, FSSAI, at EIA Kochi.

Ms. Rita Teaotia, Chairperson, Food Safety & Standards Authority of India (FSSAI), visited EIA Kochi on 22nd January, 2019. Chairperson, FSSAI visited the Chemical, Molecular Biology and Microbiology Laboratories, where she was briefed about the activities carried by laboratory.

- EXPORT INSPECTION COUNCY
- Visit of CEO, Food Safety & Standards Authority of India (FSSAI) at EIA Kochi b)



Shri Pawan Kumar Agarwal, CEO, FSSAI, at EIA Kochi.

Shri Pawan Kumar Agarwal, CEO, Food Safety & Standards Authority of India (FSSAI), visited at EIA Kochi on 22nd December, 2018. He visited the Chemical and Molecular Biology Laboratory and appreciated the activities and efforts of Kochi laboratory. Shri Jayapalan G., DD/In-charge, EIA Kochi felicitated the CEO, FSSAI.

2.4 Capacity Building

Human resources is one of the biggest strength for EIC. There are well planned periodic capacity building initiatives to develop the skills and knowledge of all concerned stakeholders. EIC / EIA officers are deputed for trainings/ workshops and seminars at national and international level. Refresher programs are conducted by EIC/ EIAs under various schemes to familiarise the officers and staff about on-going developments. In addition, EIC/ EIA officers are deputed as resource persons in various programs coordinated by other stakeholders.

In order to achieve compliance with the requirements of international authorities, EIC has taken several initiatives from time to time to ensure that its stakeholders and exporter fraternity is well acquainted about the regulatory needs. More than 50 different outreach programmes have been conducted across India. In addition to above, EIC is one of the important stakeholders of the "Standards Conclave" organised jointly by Ministry of Commerce and Confederation of Indian Industries(CII).

a) Skill Enhancement in Marine Sector (SEMS) programmes:



SEMS Training programme (clockwise) 1. Visit to a processing establishment. 2. Classroom training session. 3. Certificate distribution by the Director, EIC. 4. Valedictory session.

Chapter 2 : A Glance of Activities and Achievements

The EIC conducted the Skill Enhancement in the Marine Sector (SEMS) programmes for sustainable export opportunities by Enhanced Official control by State and UTs Fisheries Departments. EIC conducted five programs in 2018-19 at Chennai, Kochi, Vijayawada, Mangalore and Veraval to groom the State fisheries officials to adopt better quality control systems at the primary produce stage itself. Total 75 State /UT officials have been trained through these programmes.

2.5 Codex Activities:

The EIC, as a part of its endeavour to abreast itself about the global changes in food safety and quality requirements and to effectively address the issues concerning its mandate, has participated in the following Codex meetings during the year 2018-19:

- 41st Session of Codex Alimentarius Commission at Rome, Italy during 2th-6th July, 2018.
- CCASIA Workshop on Electronic Systems and Tools in Codex organized by Codex Secretariat in collaboration with FSSAI at New Delhi, India during 5th-6th September, 2018.
- 24th Session of Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems at Brisbane, Australia during 22nd-26th October, 2018.

In addition to the above, officers from EIC/EIAs participated in 11 electronic working groups (eWGs) pertaining to various Codex Committees. The EIC along with Codex-India coordinated the

visit of Codex Secretariat to Nellore in September 2018 to cover the success story of Indian Aquaculture Industry vis-à-vis use of Codex Standards. The EIC, on specific request of Codex-India, provided the data on Aflatoxin in Rice, based on inputs from various laboratories.



Indian delegation at 41st Session of CAC



Indian delegation during 24th Session of CCFICS



EIC at the Workshop for Codex Asian Region on Effective Preparation for Participation in Codex

2.6 National and Regional Standards Conclaves.

EIC's Participation in National Standards Conclave and Regional Standards Conclave



Participation of EIC in the Standards Conclaves.

During the year 2018-19, the EIC has partnered with CII and Department of Commerce in organizing National Standards Conclave and Regional Standards Conclaves. Participation in such events at National and Regional levels provides the EIC opportunity to get connected with the exporters and also to participate in the national standard setting programs. The EIC partnered in 5th National Standards Conclave on "Implementing the Indian National Strategy for Standardization" held at New Delhi during 18th-19th June 2018; Regional Standards Conclave at Lucknow on 4th January, 2019; 12th Regional Standards Conclave at Bhubaneswar on 1st February, 2019 and Special Standards Conclave on the theme "Moving Forward with INSS: Developing a World Class Quality Ecosystem" during 8th-9th February, 2019 at Mumbai.

2.7 Fairs and Exhibitions

a) Participation of EIC at INDUS FOOD 2019.



Participation of EIC in INDUS FOOD 2019.

The EIC participated in the 2nd edition of INDUS FOOD, organized by the Trade Promotion Council of India and the Department of Commerce, Government of India, during 14th-15th January, 2019 exhibition at Greater Noida. The event was inaugurated by Mrs. Harsimrat Kaur Badal, Hon'ble, Union Cabinet Minister of Food Processing. The EIC set up a stall in the exhibition. The visitors included Chairman EIC, Shri Santosh Kumar Sarangi, Ms. Rita Teaotia, Chairperson, FSSAI, along with the Director, EIC.

b) Participation in BRAQCON (World Brackishwater Aquaculture Conference)-19



Dr. S.K. Saxena, Director, EIC, address during the BRAQCON 2019.

partnered with ICAR-Central Institute EIC of Brackishwater Aquaculture (ICAR-CIBA) in BRAQCON 2019-World Brackishwater Aquaculture Conference at Chennai, India during 22nd-25th January 2019. The EIC chaired a technical session on the theme "Quality and Safety Standards for Fish and Fishery Products: International Perspective" on 23rd January 2019 and also set up a stall.

c) Participation in NIFTEM Food Festival 2019



NIFTEM Food Festival 2019.

The EIC also participated in the NIFTEM FOOD FESTIVAL, which was held at National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management (NIFTEM) Campus, Sonepat, Haryana during 21st-22nd February, 2019. The EIC's stall was visited by students and exporters, where their concerns and doubts related to export were addressed.

2.8 Other Events and Activities

The year 2018-19 was an eventful year for EIC wherein number of National events were organized. All the events were celebrated in great spirit and full involvement of all employees. The events and activities were not limited to EIC/EIA office premises but also marked the involvement of schools, colleges, societies and other stakeholders. The EIC/EIAs observed several important activities during the year and brief details of these activities are given below:

Table (c): National Events 2018-19

	NATIONAL EVENTS OBSERVED 2018-19						
S.No.	Activity	Description of Activity	Photographs				
1	International Yoga day	The International Yoga Day was celebrated at EIC/EIAs on 21 st June, 2018 . Yoga sessions were organized wherein talks were delivered on the importance and benefits of Yoga for Health, Happiness and Harmony. All officers and staffs performed yoga during the session.					
2	Hindi Pakhwada	The "Hindi Diwas/Pakhwada" was observed from 14 th -28 th September, 2018 across EIC and EIAs. External experts were invited for hindi workshops. Various hindi competitions like Shabdawali Pratiyogita, Vaad- Vivaad Pratiyogita, Hindi Tippani & Nibandh Pratiyogita were conducted.					

S.No.	Activity	Description of Activity	Photographs
3	150 th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi	Celebration of 150 th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi is being observed EIC/EIAs from 02 nd October, 2018 to 02 nd October, 2020 through logo branding on official emails and office area.	Alberte Bathan and a second and a second and a second a s
4	Vigilance Awareness Week (My Vision - Corruption Free India)	Vigilance Awareness Week was observed at EIC/EIAs during 29 th October to 03 rd November, 2018.	
5	<i>Rastriya Ekta Diwas</i> /Nation- al Unity Day	A Pledge was taken at EIAs during the celebration of <i>"Rastriya</i> <i>Ekta Diwas</i> /National Unity Day", on 31 st October, 2018.	
6	Swachhta Pakhwada	The Swachhta Week was observed in EIC/EIAs during 01 st -15 th November, 2018. During the week activities like, Swachhta pledge, display of banners, outreach leaflet for awareness, cleaning of the office premises, deliberation with stake-holders on Swachhata awareness , personnel Hygiene Day, were organized. As part of the realization of the Hon'ble Prime Minister's vision of a	Катеран Vaaans Swachhta Pakhwada Ката от. 11.2018 й 15.11.2018 ан Ката от. 11.2018 и на Ката от.

Partner in India's Export Growth

S.No.	Activity	Description of Activity	Photographs
		Swachh Bharat, EIA Kochi extended Swachhta activities beyond the office premises to other area such as fish landing and auctioning centers along with active participation of the trade. In order to improve the hygiene and sanitary conditions of Cochin Fisheries Harbour, Thoppumpady, EIA- Kochi carried out the Swachhta activities at the harbour on 21 July, 2018 in collaboration with Seafood Exporter's Association (SEAI), Kerala Region.	<image/>

S.No.	Activity	Description of Activity	Photographs
7	Children's Day Celebration	On 14 th November, 2018, Children's Day was celebrated at EIAs, during which, Quiz/ Painting competition and other activities were organized for the kids. Gifts were distributed to the winners of the competitions.	
8	Quami Ekta Week	The "Quami Ekta Week" was observed by EIC/EIAs from 19 th -25 th November, 2018 at EIAs by display of banners and taking pledge.	
9	Armed Forces Flag Day	Armed Forces Flag Day was observed on 7 th December, 2018.	

Chapter 3

INSPECTION AND CERTIFICATION SERVICES

The EIC primarily follows two types of approaches for inspection and certification in respect of commodities under its mandate i.e. System based Inspection and Consignment-wise Inspection, which are elaborated below;-

a) Food Safety Management System based Certification (FSMSC).

The processing establishments conforming to Food Safety Management Systems based on HACCP/GMP/GHP are approved under Food Safety Management Systems based Certification. In addition, they also required to meet the primary production controls and finished product requirements specified by the importing countries. Currently, such systems are being promoted and implemented in many food products. In the case of fish & fishery products, poultry meat & poultry meat products, egg products, crushed bone, ossein and gelatine Government of India has made it mandatory that these products can be exported only from approved establishments covered under this system. In other food products, such as, black pepper, basmati rice, honey, etc. this system is also being adopted based

on the requirements of the importing country.

In FSMSC based certification, the primary responsibility of the processors is to ensure that the products intended for exports are handled/processed, at all stages of production, stored and transported under proper hygienic conditions so as to meet the food safety requirements laid down under the rules and that the product conforms to the specification stated in the Order. To fulfil this responsibility, the establishments are required to plan and implement own system of checks and keep necessary records. The EIAs are required to verify compliance by the processing establishments as per the notification requirements.

b) Consignment Wise Inspection (CWI) System:

Under the Consignment Wise Inspection System, export consignment is inspected and tested by the EIAs. Samples are drawn as per statistical sampling plans, and tested to verify the conformity of products to the prescribed standards. This type of inspection is also offered for some notified commodities, e.g. Basmati Rice, Honey, Feed additives & Pre-mixtures, Fruit Products. The CWI is also offered under Voluntary Certification Scheme.

Number of Units Approved							
Under FSMSC	EIA CHENNAI	EIA DELHI	EIA KOCHI	EIA KOLKATA	EIA MUMBAI		
Milk Products	23	11	7	0	63		
Honey	0	2	0	0	0		
Egg Product	3	1	2	0	2		
Fresh Poultry Meat & Poultry Meat Products	5	0	4	1	5		
Fish & Fishery Products	206	0	202	102	389		
Black Pepper USA	0	1	13	0	9		
Animal Casing	0	0	0	0	3		
Feed Additives & Pre Mixtures	4	0	2	0	4		
Basmati Rice	0	5	0	0	0		
Fruit Products	24	3	0	1	41		
Voluntary Scheme	13	2	11	0	54		
Rape Seed Meal	0	3	0	0	0		

Table (d): The number of establishments approved by EIC/EIAs 2018-19

Table (e): Export Certification

Details of Export Certification Under Different Schemes During The Year 2018-19							
	EIA CHENNAI	EIA DELHI	EIA KOCHI	EIA KOLKATA	EIA MUMBAI		
Health Certificate under Food Safety Management System (FSMS)	26,631	1,916	13,242	11,051	22,233		
Health Certificate under Consignment Wise Inspection(CWI) system	2,132	70	874	48	6,824		
Non-GMO Certificates	286	1,187	386	0	4,293		
Certificates issued under Turkey Scheme	124	210	104	0	145		
Authenticity Certificates	0	535	3	0	0		
Health Certificate under Food Safety Management System (VCS)	0	1,742	0	299	1,041		

3.1 CERTIFICATION SCHEME FOR FISH AND FISHERY PRODUCTS

Under the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 1995, vide Gazette Notification No. 730 (E) dated 21st August 1995, as amended from time to time, compulsory pre-shipment certification of Fish and Fishery Products is being carried out.

There are 754 approved fish and fishery products processing establishments, independent/ detached ice plants, independent/ detached preprocessing centres, independent/ detached cold storages and live fish processing establishments, as on 31st March, 2019 for export. The breakup of the same is shown in the table (f) below:

Establishments	570	
Independent/ Detached Ice Plants	20	
Independent/ Detached Pre Processing Plants	44	
Independent/ Detached Cold storages	68	
Live fish Processing Establishments	52	

3.2 CERTIFICATION SCHEME FOR FRUIT & VEGETABLE PRODUCTS

Order S.O. No. 3352 (E) and Notification No. S.O. 3353 (E) both dated 28.10.2016 related to export of fruit & vegetables products have been published in Gazette of India on 31.10.2016. The new order has superseded the Principal Order S.O.1420 dated 13.05.1978 and Export of Fruit and Vegetable Products (Quality Control and Inspection) Rules 2016 have been notified by notification S.O.3353 (E) in supersession of the Export of Fruit Products (Quality Control and Inspection) Rules 1978. The above order notifies that Fruit and Vegetable products shall be subject to quality control or inspection or both prior to export in cases where importing countries requires such export certification. The EIC through its EIAs is implementing the scheme and there aree total 68 approved establishments under the scheme as on 31st March, 2019.

3.3 CERTIFICATION SCHEME FOR ISSUANCE OF HEALTH CERTIFICATE FOR PEANUT & PEANUT PRODUCTS

The EIC has been entrusted with the responsibility of issuing health certificates for peanut and peanut products meant for export to EU and Malaysia in 2013.

3.4 CERTIFICATION SCHEME FOR EGG PRODUCT

The EIC is implementing the scheme for export of egg products in terms of Order S.O. 2077 dated 04.08.1997 and Notification S.O. 2078 dated 04.08.1997. The establishments are approved and monitored by EIAs. The major destination for the export of egg products are EU, Australia, Japan, Custom Union etc. EIC has also taken up the initiatives to explore market access/ resolve operational issues for export to several other countries, like, Indonesia, Malaysia, Australia, South Africa, etc. As on 31.03.2019, a total of eight establishments have been approved for egg products.

3.5 CERTIFICATION SCHEME FOR FRESH POULTRY MEAT AND POULTRY MEAT PRODUCTS

The export of fresh poultry meat and poultry meat products was brought under purview of The Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 vide GOI Order and Notification S.O. 1377(E) and S.O 1378(E) both dated 30.12.2002, and further as amended from time to time. In 2018-19, a total 15 units have been approved by EIAs with five each from EIA- Chennai and EIA Mumbai, one from EIA-Kolkata and four from EIA-Kochi.

3.6 CERTIFICATION SCHEME FOR MILK PRODUCTS

The EIC is the Competent Authority to exercise official control for export of milk products. This scheme was notified vide Order 2719 dated 28.11.2000 and Notification S.O. 2720 dated 28.11.2000 and further as amended from time to time. The major products exported from India includes milk powders, casein & its derivatives, cheese, butter, canned sweets, frozen paneer, ghee etc. EIC has taken up the market access issue for export to Russia, Malaysia, China, Indonesia and Mexico.

3.7 CERTIFICATION SCHEME FOR BASMATI RICE

The amendment to Principal order S.O. 67 (E) dated 23rd January, 2003 of basmati rice was published vide S.O. 136(E) dated 13th January, 2016. Total five number of Basmati Rice Units were approved in 2018-19, all under the official control of EIA Delhi.

3.8 CERTIFICATION SCHEME FOR HONEY

The EIC is operating a scheme for export certification of honey. This scheme was notified vide Order No. S.O. 276 (E) dated 04th March, 2002 and Notification S.O. 277 (E) dated 04th March, 2002 and subsequent amendments from time to time. There are twelve honey processing units approved by EIC under FSMSC. Currently, the export of honey from India is going on smoothly to USA, European Union and other non EU destinations. Validity of approval has been revised from one year to two years to facilitate the export trade. So far, EIC has not received any quality complaints with regard to the honey exported from India, from any country.

3.9 CERTIFICATION SCHEME FOR RAW MEAT (CHILLED/FROZEN)

Export of Raw meat (chilled/ frozen) is notified vide Order / Notification No. S.O. 203 & S.O. 204 dated 15th January, 1993 and EIAs were notified as one of the agencies to issue health certificate for export purpose. The Export of Raw Meat (Chilled/ Frozen) (Quality Control and Inspection) Rules, 1992, have been amended for quality control and certification procedure under food safety management system based certification, which was published vide Notification S.O.3023 (E) and S.O.3024 (E) both dated 28th December, 2012. EIC has been extending technical support to stakeholders by participating in the assessment team.

3.10 CERTIFICATION SCHEME FOR FEED ADDITIVES & PREMIXTURES FOR EXPORT

EIC is the Competent Authority to exercise official control for export of Feed Additives & Premixtures. The major products exported include mineral and vitamin supplements, binders, zoo technical additives etc. which are primarily exported to EU countries.

The export of Feed Additives and Premixtures is brought under the purview of export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 vide order No. S.O. 3523 (E) and notification Vide no. S.O. 3524 (E) dated 28th November, 2013 as amended from time to time.

3.11 CERTIFICATION SCHEME FOR CRUSHED BONES, OSSEIN & GELATINE FOR EXPORT

For maintaining the highest quality of export of Crushed Bones, Ossein and Gelatine, the commodity was notified vide Order and Notification both dated 3rd April 2012 called The Export of Crushed Bones, Ossein and Gelatine (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rule, 2012. As per the Notification, EIC is recognised as the Central Competent Authority.

3.12 CERTIFICATION SCHEME FOR ANIMAL CASINGS FOR EXPORT

The EIC is designated as the Competent Authority for export of Animal Casings vide Notification S.O.1315 (E) dated 8th June 2012. The major export of animal casings takes place to EU countries. Three establishments were approved for export purpose. The exporters can apply online for obtaining health certificates.

3.13 ISSUANCE OF HEALTH CERTIFICATE FOR EXPORT OF FOOD PRODUCTS UNDER VOLUNTARY CERTIFICATION SCHEME

Regulatory authorities/ buyers of several importing countries insist for health certificate/ certificate of export worthiness for export of certain food, feed and food contact materials which are not notified under EIC's Act. Considering this requirement of importing regulatory authorities and to facilitate the exports from India, health certificates are issued by EIAs as per the requirement of importing countries. The salient features of the scheme include issuance of Health Certificate for consignments which conforms to the requirements of the regulatory authorities of importing countries / buyer's requirements / relevant National standards as applicable. The scheme authorizes exporter himself to draw the sample and get it tested which reduces the lead time for export.

Chapter 4

CERTIFICATE OF ORIGIN

he introduction of the Registered Exporter system (the REX system) in 2017-18 saw the smooth implementation of the REX registration system, at all EIAs and sub offices in 2018-19. The REX is based on the principle of self-certification by economic operators who will make out themselves so-called *statements on origin*. The REX system was introduced in the GSP rules of origin by the amending Regulation (EU) No 1063/2010 dated 18.11.2010 in the context of the reform of the GSP rules of origin in 2010. While the other elements of the reform have taken their effect from 1st January 2011, the application

of the REX system was deferred to 1st January 2017, to give enough time to the GSP beneficiary countries to be ready. Export Inspection Council is one of the Competent Authority among the 16 other organizations designated by Department of Commerce to register the exporters in REX system. Trainings and awareness programmes were organised during the year for the exporters or economic operators all over India for smooth implementation. Further, the EIAs issued total **5,32,689** Preferential Certificates of Origin under various FTAs as per laid down procedures and guidelines, as detailed in table (g) below.



Exporter Outreach Program on "Certificate of Origin and REX system" at EIA- Mumbai.

No. of Certificate of Origin (CoO) Data									
S. No.	Name of Scheme	EIA Chennai	EIA Delhi	EIA Kochi	EIA Kolkata	EIA Mumbai	Total		
1	GSP	39,137	37,818	17,797	12,296	81,734	1,88,782		
2	GSTP	2221	2176	1144	100	8855	14,496		
3	SAPTA	368	596	25	30	9040	10,059		
4	ISFTA	2965	3400	680	438	6632	14,115		
5	ITFTA	132	61	142	0	739	1074		
6	ISCECA (Singapore)	2	0	22	0	536	560		
7	SAFTA	4223	14,461	1079	14,167	13,445	47,375		
8	АРТА	5781	4132	1523	2053	11,537	25,026		
9	ICPTA (Chile)	1344	3356	725	509	5531	11,465		
10	IMPTA (Mercosur)	60	78	0	0	172	310		
12	AIFTA	22,519	28,424	13,264	3030	57,010	1,24,247		
11	INKCEPA	11,753	9887	5395	1183	22641	50,859		
13	IMCECA	489	980	83	62	1843	3457		
14	IJCEPA	5873	13,067	4038	4982	12,904	40,864		
15	ВА	0	0	0	0	0	0		
	Total	96,867	1,18,436	45,917	38,850	2,32,619	5,32,689		

Table (g): Certificates of Origin issued during the year 2018-19

Brief details of 15 PTAs / FTAs under which Certificates of Origin are presently issued by EIC/ EIAs are as follows:

4.1 GENERALIZED SYSTEM OF PRE-FERENCES (GSP)

The Generalized System of Preferences (GSP) is a formal system of exemption from the general rules of the World Trade Organization (WTO), privileged to be treated as the most favoured nation principle (MFN). Under this system, total 1,88,782 were issued by EIAs during 2018-19. Total Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2018-19 are 289.

4.2 GLOBAL SYSTEM OF TRADE PRE-FERENCES (GSTP)

The Agreement was signed on 13th April, 1988 and came into force with effect from 19th April, 1989. Forty-four countries have become participants after endorsing the Agreement and getting the trade concessions among the members of the Group of 77. The coverage of the GSTP extends to arrangements in the area of tariffs, paratariff, non-tariff measures, direct trade measures including medium and long-term contracts and sectorial agreements. Under this system, total 14,496 certificates were issued by EIAs during 2018-19. No Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2018-19.

4.3 ASIA-PACIFIC TRADE AGREEMENT (APTA)

This Agreement promotes economic development through a continuous process of trade expansion among the developing member

countries of ESCAP and to further international economic co-operation through the adoption of mutually beneficial trade liberalization measures consistent with their respective present and future development and trade needs. Under this system, total 25,026 certificates were issued by EIAs during 2018-19. One Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2018-19.

4.4 AGREEMENT ON SOUTH ASIAN FREE TRADE AREA (SAFTA)

The Contracting States establish the South Asian Free Trade Area (SAFTA) to promote and enhance mutual trade and economic cooperation among the Contracting States, through exchange of concessions in accordance with this Agreement. It promotes and enhances mutual trade and economic cooperation among the Contracting States, through exchanging concessions in accordance with this Agreement by eliminating trade barriers, promoting conditions of fair competition in the free trade area, creating effective mechanism for implementation and application of the agreement. The SAFTA Agreement came into force on 1st January, 2006. Under this system, total 47,375 certificates were issued by EIAs during 2018-19. One Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2018-19.

4.5 INDO-SRI LANKA FREE TRADE AGREE-MENT (ISFTA)

The objective of this Agreement is to promote the expansion of trade and harmonious development of economic relations between India and Sri Lanka, provides fair conditions of competition for trade between India and Sri Lanka. Under this system, total 14,115 certificates were issued by EIAs during 2018-19. No Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2018-19.

4.6 INDIA JAPAN COMPREHENSIVE PARTNERSHIP AGREEMENT (IJCEPA)

India Comprehensive Partnership Japan Agreement was signed on 16th February, 2011. The objectives of this Agreement is to liberalize and facilitate trade in goods and services; increase investment opportunities and strengthen protection for investments; ensure protection of intellectual property, promote cooperation for the effective enforcement of competition laws; improve business environment; establish a framework to enhance closer cooperation in the fields agreed in the Agreement; and create effective procedures for the implementation and application of this Agreement and for the resolution of disputes. Under this system, total 40,864 certificates were issued by EIAs during 2018-19. Five Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2018-19.

4.7 INDIA KOREA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IKCEPA)

India Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement was signed on 7th August, 2009. The objectives of this Agreement is to liberalise and facilitate trade in goods and services and expand investment, establish a cooperative framework for strengthening and enhancing the economic relations; promote conditions of fair competition in the free trade area; establish a framework of transparent rules to govern trade and investment. Under this system, total 50,859 certificates were issued by EIAs during 2018-19. Total Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2018-19 were 23.

4.8 INDIA- MERCOSUR PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT (IMPTA)

India Mercosur PTA was signed between Mercosur, a trading bloc in Latin America, and India on 25th January 2004. The Framework Agreement for the creation of a Free Trade Area between MERCOSUR and the Republic of India to expand and strengthen the existing relations and promote the expansion of trade by granting reciprocal fixed tariff preferences with the ultimate objective of creating a free trade area between the parties. Under this system, total 310 certificates were issued by EIAs during 2018-19. No Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2018-19.

4.9 PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT (PTA) WITH CHILE

India Chile Preferential Tariff Agreement was signed on 8th March, 2006. The objectives of the agreement are to promote the expansion of trade and harmonious development of the economic relations between the two countries, provide fair conditions of competition for trade and removal of trade barriers. Under this system, total 11,465 certificates were issued by EIAs during 2018-19. No Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2018-19.

4.10 INDIA-ASEAN AGREEMENT

The Agreement on Trade in goods signed on August 13, 2009 under the framework agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Republic of India and the Association of South-East Asian Nations shall apply to trade in goods and all other matter relating thereto as envisaged in the Framework Agreement. Under this system, total 1,08,689 certificates were issued by EIAs during 2018-19. Total Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2018-19 are 268.

4.11 INDIA AFGHANISTAN FREE TRADE AGREEMENT (IAFTA)

The objectives of this Agreement is to promote through the expansion of trade the harmonious development of the economic relations and to provide fair conditions of competition for trade between India and Afghanistan.

4.12 SAARC PREFERENTIAL TRADING ARRANGEMENT (SAPTA)

The Agreement on SAARC Preferential Trading Arrangement was signed on 11th April, 1993. The contracting states establish the SAARC Preferential Trading Arrangement (SAPTA) to promote and sustain mutual trade and the economic cooperation among the Contracting states, through exchanging concessions in accordance with this Agreement. Under this system, total 10,059 certificates were issued by EIAs during 2018-19. No Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2018-19.

4.13 INDIA SINGAPORE COMPREHEN-SIVE ECONOMIC COOPERATION AGREE-MENT (ISCECA)

The objectives of India Singapore Comprehensive Economic Cooperation Agreement is to strengthen and enhance the economic, trade and investment cooperation; liberalise and promote trade in goods and services, improve the efficiency and competitiveness of their manufacturing and services sectors and to expand trade and investment, to explore new areas of economic cooperation and develop appropriate measures for closer economic cooperation; to facilitate and enhance regional economic cooperation and integration. Under this system, total 560 certificates were issued by EIAs during 2018-19. No Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2018-19.

4.14 INDIA MALAYSIA COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AGREEMENT

The CECA will progressively liberalize trade in services on a preferential basis, with substantial sectoral coverage, including Movement of Professionals and Skilled Persons, Cross-border Supply, and Telecommunications Services to provide commercially meaningful market access. The market access commitments under the CECA provide for more liberal tariff concessions, including faster timelines and reduced exclusion lists, than in the ASEAN-India Trade in Goods Agreement. The CECA includes economic cooperation in areas such as infrastructure development, creative industries, tourism, SMEs, business facilitation, science and technology, and human resource development. Under this system, total 3457 certificates were issued by EIAs during 2018-19. One Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2018-19.

4.15 INDIA THAILAND FREE TRADE AGREEMENT

The Governments of the Republic of India and the Kingdom of Thailand shall make efforts to create favourable conditions for greater fair economic cooperation and promote competition; progressively liberalize and eliminate barriers to trade in, and facilitate the cross-border movement of goods and services on a reciprocal basis as well as create a transparent, liberal and facilitative investment regime; and explore new areas and develop appropriate measures for closer economic cooperation between the two countries. Under this system, total 1074 certificates were issued by EIAs during 2018-19. No Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2018-19.

Chapter 5

OTHER MAJOR ACTIVITIES

5.1 NEW DEVELOPMENTS AT EIC AND EIAS:

5.1.1 Launch of Digital Initiatives.



Launch of Digital Initiatives for Ease of Export.

In alignment with the Hon'ble Prime Minister's vision of Digital India and to enhance support to the export business from India, three digital portals were launched by the then Hon'ble Minister of Commerce and Industry, Shri Suresh Prabhu on 3rd April, 2018. The portals are:

(1) Safe Food Export Traceability Portal



(2) One Laboratory One Assessment Portal



(3) Monitoring Export Alerts Portal.



The main purpose of this Digital Initiative by the EIC is to facilitate ease of business, reduce transaction time, safe and hassle-free export trade across the world.

5.1.2 Inauguration of Laboratory at EIA-Chennai, SO-Bhimavaram.





Inauguration of laboratory at EIA Chennai, S.O. Bhimavaram by the Director, EIC.

Andhra Pradesh is one of the major states for aquaculture products export from India and in order to facilitate the exporters in the region, various certification activities are offered by Sub Office Bhimavaram under Export Inspection Agency – Chennai.

As an initiative to upgrade the facilities to exporters in the region, Export Inspection Council has established the laboratory facility at EIA-Chennai S.O. Bhimavaram for the Antibiotic Residue Analysis in addition to the microbiology testing facility in the aquaculture products as per EU and other country's requirements. The laboratory was inaugurated by Director, EIC on 28th June, 2018.

5.1.3 Inauguration of Office-cum-Laboratory Complex of EIA Kolkata Sub Office -Bhubaneswar



Inauguration of Office & Laboratory complex of EIA Kolkata, S.O. Bhubaneswar.

The new office cum laboratory complex of EIA-Kolkata, Sub Office Bhubaneswar was inaugurated on 22nd September, 2018 by the then Hon'ble Minister of Commerce and Industry Shri Suresh Prabhu, in the presence of Shri Santosh Kumar Sarangi, Joint Secretary & Chairman EIC and Dr. S.K. Saxena, Director, EIC.

5.2 EIC'S PARTICIPATION

5.2.1 World Accreditation Day-2018.



EIC's participation in World Accreditation Day 2018.

The EIC participated during commemoration of "World Accreditation Day-2018" on 09th June 2018, at India Habitat Centre, New Delhi organized by NABL and QCI.

Partner in India's Export Growth

5.2.2 Platinum Jubilee Conference of All India Food Processors' Association (AIFPA).



Dr. S.K. Saxena, Director, EIC, at the Platinum Jubilee Conference of AIFPA.

Director, EIC, participated as an esteemed panellist during the Platinum Jubilee Conference of *All India Food Processors' Association (AIFPA)* on 21st December, 2018 at Vigyan Bhavan, New Delhi. During the Technical Session, Director, EIC, delivered a talk on "Conducive Regulatory Environment".

5.2.3 National Conclave on Food Safety.





Dr. S.K. Saxena, Director, EIC, at the National Conclave on Food Safety

EIC participated in a National Conclave on Food Safety of Spices organized by the Spices Board and Confederation of Indian Industry (CII) at India International Center, New Delhi on 11th February, 2019. In his inaugural address during the event, Dr. S.K. Saxena, Director (I&Q/C), EIC, explained the role of EIC in the Quality Control of Spices being exported from India.

5.3 COUNCIL MEETINGS.



114th Council Meeting of Export Inspection Council held on 24th July, 2018.

Council Meetings during 2018-19

- 114th Meeting of Export Inspection Council was held on 24th July, 2018 at 11.00 AM in EIC, New Delhi under the chairmanship of Shri Santosh Kumar Sarangi, Chairman, EIC.
- 115th Meeting of Export Inspection Council was held on 16th January, 2019 at 11.00 AM in EIC, New Delhi under the chairmanship of Shri Santosh Kumar Sarangi, Chairman, EIC.
- 116th Meeting of Export Inspection Council was held on 28th March, 2019 at 11.00 AM in EIC, New Delhi under the chairmanship of Shri Santosh Kumar Sarangi, Chairman, EIC.

5.4 LABORATORY ACTIVITES & ACHIEVEMENTS

Laboratories are the backbone of EIC's Export Control Program and the EIC has a strong network of laboratories to carry out the testing of samples. There are four food testing laboratories accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL), located at Chennai, Kolkata, Kochi and Mumbai, which supports the respective Export Inspection Agency (EIA) in Certification of food products for export. The EIAs also have field laboratories attached to its Sub–offices for routine microbiological analysis. Further, a food grain testing laboratory is located at EIA-Delhi.


Besides EIA labs, as per the EIC's Integrated Lab Assessment Scheme (ILAS), approval is granted to external laboratories for the purpose of testing of commodities as per importing countries requirements. The total number of NABL accredited approved external laboratories as on 31st March, 2019 are 43.

MAJOR ACTIVITIES/ACHIEVEMENTS OF EXPORT INSPECTION AGENCIES (EIAS) 2018-19

5.4.1 EIA Chennai

- EIA-Chennai laboratory successfully achieved renewal of accreditation by NABL in accordance with ISO/IEC 17025:2005 in chemical and biological testing field. The laboratory is equipped with state-ofthe-art instruments including LCMSMS, GCMSMS, ICP-MS, GCHRMS, and UPLC. The laboratory has the validated test methods in accordance with international protocol for analysing export commodity. Laboratory is also involved in monitoring of pesticide residue in fruit and vegetables on behalf of FSSAI as nodal laboratory.
- EIA-Chennai laboratory achieved accreditation status as "Proficiency Testing Provider" in compliance with ISO/ IEC 17043:2010 International Standard by NABL in Biological field on 18th January 2018. It also successfully organized accredited Proficiency Testing Round on Detection of Salmonella spp. in Shrimp, four rounds of training program (each five day) in microbiology laboratory, two ELISA Training program on "Screening of Antibiotic Residues in Shrimp" & method

validation. Thus contributed in capacity building by offering training and technical assistance to the industry in installation of Quality and Safety Management Systems based on principles of Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), ISO-9001: 2000, ISO: 17025 and other related international standards, laboratory testing etc.



5.4.2 EIA Delhi

- Implementation of QMS as per ISO 9001:2015.
- Accreditation of EIA-Delhi Laboratory as per ISO/IEC 17025:2005 with effect from 26th September, 2018.

5.4.3 EIA-Kochi

Export Inspection Agency-Kochi Inspection Division has been awarded the accreditation for ISO/ IEC/ 17020: 2012 by National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB), New Delhi for the fish and fishery products. NABCB has carried out the Office Audit in the month of April 2018, followed by Witness audit in December 2018 and Certificate of Accreditation has been granted in January 2019.



- EIA-Kochi laboratory has analyzed about 23,104 samples during FY 2018-19. During the period turnaround time for testing met on 99 percent.
- The laboratory has been approved by FSSAI as the "National Reference Laboratory (NRL) for GMO Testing" under Regulation 3 of Food Safety and Standards (Recognition and Notification of Laboratories) Regulation, 2018 by order dated: 19th March, 2019.



 EIA-Kochi Lab has demonstrated its competence in testing by successful participation in sixteen International Proficiency Testing programs in Chemical and Biological including Molecular biology testing fields based on its scope of approval.

- The laboratory has continued the approval from FSSAI as a notified food testing laboratory, enlisted by them for testing of import consignment samples forwarded by them.
- EIA-Kochi lab has been identified in 2018-19 as one of the laboratories for testing of food commodities under DAC sponsored central sector scheme- 'Monitoring of Pesticide Residues at National Level' in pepper, spices and vegetables.

5.4.4 EIA Kolkata

- Inauguration of New Laboratory Cum Office building under EIA-Kolkata, SO -Bhubaneswar on 22nd September, 2018.
- Proficiency Testing Provider(PTP) Surveillance Assessment by NABL as per ISO/IEC 17043: 2010 of EIA- Kolkata (Laboratory) during 19th- 20th January, 2019 and got continuation of accreditation with scope enhancement
- Three PT Rounds were conducted successfully. The program under reference, 0518HM was for the presence of Cadmium (Cd) and Lead(Pb) for fish May-2018, 0818HM for Arsenic(As) & Mercury (Hg) in Aug-2018 & 1118HM for Lead (Pb) in Nov-2018 in fish based materials by EIA-Kolkata (Laboratory)
- EIA-Kolkata (Laboratory) collected 290 samples of Green Tea Leaves from the

manufactures at Assam & West Bengal in the presence of Tea Board Officers, under the Tea Board project.

- EIA-Kolkata (Laboratory) verified Zinc Fortification method in Rice & Wheat Flour which given by FSSAI Scientific Panel.
- EIA-Kolkata (Laboratory) collected 165 vegetables samples from 12 states, namely West Bengal, Orissa, Bihar, Jharkhand, Chhatisgarh, Assam, Manipur, Meghalaya, Tripura, Sikkim, Arunachal Pradesh and Mizoram under the FSSAI project "Study to generate baseline data on the occurrence of metals contaminants in vegetables."
- Heavy metals analysis was shifted from AAS to ICPMS by EIA-Kolkata (Laboratory).
- EIA-Kolkata (Laboratory) validated and got accredited for Inorganic Arsenic and Methyl Mercury by LC-ICPMS on 15th July, 2018.

5.4.5 EIA Mumbai

- The research paper "Development, validation and accreditation of method for the determination of As, Cd, Hg & Pb in Cephalopods by using ICP-MS" has published in Journal of Springer Nature, date 05th March 2019, by EIA-Mumbai.
- The PT provider onsite surveillance assessment conducted by NABL has been

successfully completed during 5th-6th January, 2019, as per ISO-17043:2015 and continual of recognition.

5.5 RECOGNITION OF INSPECTION AGENCIES

The Government of India recognises private inspection agencies on recommendation of EIC as per EIC Inspection Agency Recognition Scheme 2012, falling under "A" category with laboratory facilities, for carrying out pre-shipment inspection and certification of the notified minerals and ores under Section 7 (1) of the Export (Quality Control & Inspection) Act, 1963. This scheme is in line with the initiative of Government of India for ease of doing business and to facilitate export trade by providing appropriate infrastructure for inspection & testing at strategic locations.

5.6 E-HEALTH CERTIFICATION SYSTEM

The EIC is authorized to issue Health Certificate for notified food products. In some cases, the health certificate for non-notified food commodities are also issued, wherever importing country authority require such certificate, under voluntary certification scheme. At present the process of complete shifting from manual certification to e-certification is in progress. The number of certificates issued during 2018-19 through e-certification were 1,04,499 as per break-up given in Table (h)

Table (h): Certificates issued under E- HealthCertification System 2018-19

S. No	Certificate Format	No. of Certifi- cates
1	Fishery General Format (Non- EU)	40,611
2	Other-Products Voluntary	23,074
3	Fishery EU	11,695
4	Other-Products Non-GMO	8,924
5	Milk Non-EU	4,205
6	Fishery China	9,999
7	Other-Products Turkey	1,325
8	Fishery Russia	1,113
9	Peanut Products EU	1,009
10	Peanut Products MALAYSIA	736
11	Egg Non-EU	934
12	Fishery GCC Countries	367
13	Fishery EU Format-Non EU Country	385
14	Fishery Israel	58
15	Egg EU	60
16	Animal Casings EU	4
	Total	1,04,499

5.7 ISSUANCE OF NON GMO CERTIFICATE

The Non GMO certificates for agricultural & food commodities are issued by the Export Inspection Agencies (EIAs). A total of 8,924 Non

GMO Certificates have been issued for different agricultural & food Commodities in the current year. The samples are tested for Non-GMO at EIA Kochi and EIA Mumbai.

5.8 ISSUANCE OF AUTHENTICITY CERTIFICATE

European Commission has recognized EIC/ EIAs as Competent Authority for issuance of Certificate of Authenticity for export of Basmati Rice to EU as per Council Regulation (EC) No. 797/2006. Accordingly, EIAs are issuing Certificate of Authenticity for Basmati Rice exported to EU. During the year, 535 Certificates of Authenticity for Basmati Rice were issued by EIA-Delhi for export to EU countries.

5.9 RESIDUE MONITORING PLAN

Residue Monitoring Plans (RMP), which guarantees the monitoring of the groups of residues and substances referred to in Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15th March 2017, is one of the prerequisites for export of food of animal origin to the EU. Accordingly, EIC has been implementing various Residue Monitoring Plans in line with EC requirements for different foods of animal origin. As per EU Regulation, the EIC prepared and submitted the RMPs for Egg products, Honey, Milk products and Fresh poultry Meat & Poultry Meat products for the year 2018-19.

During 2018-19, 6,771 samples were tested against RMP and National Residue Control Plan (NRCP):

Table (i): Samples Tested under ResidueMonitoring Plan 2018-19:


National Residue Control Plan(NRCP) / Residue Monitoring Plan(RMP) Data : 2018-19				
Product	Number of Samples tested under NRCP*/RMP for 2018-19			
Aquaculture Products	5,774			
Egg Products	200			
Honey	238			
Poultry Meat Products	159			
Milk Products 300				
Total 6,771				


*2018


5.10. OTHER ACTIVITIES:


5.10.1 Project on Monitoring of TBT Notifications issued by World Trade Organization (WTO) Member countries:


The EIC is implementing the "Project on System for Monitoring TBT Notifications issued by WTO Member countries". The monthly, quarterly and annual reports were submitted to Trade Policy Division, Department of Commerce and are also made available on EIC's website.











 Anto and Bally Dis-Tanto: & Author:


Moderal destry
 Moderand Moder


· Patri & Vanderer

· fort

a binnet

· Drawing





Total 3,001 notifications were issued by the various WTO-member countries during 2018-19. Quarterly distribution of these notifications in terms of country-wise and product-wise is given in the above charts. The analysis of these notifications to study the impact for Indian industry and sought comments from industry to ensure that there is no problem of market access for these products. Based on the feedback received from stakeholders and analysis of notifications, wherever applicable, India's comments were sent by Export Inspection

Council (EIC) to the respective enquiry points.

5.10.2 IMPLEMENTATION OF RIGHT TO INFORMATION ACT

The Export Inspection Council (EIC) and its field organizations, Export Inspection Agencies (EIAs) are committed to comply the requirements of the RTI Act 2005. The summary of the applications and first appeals received at EIC/EIAs under RTI Act 2005 in the year 2018-19 along with the notices of hearing received from CIC has been outlined below:

Applications received under RTI Act 2005 in 2018-19

Number of RTI applications re- ceived including opening balance as on 31.03.2018	Number of RTI Application replied	Closing balance of RTI Applications as on 31.03.2019
112	100	12

First appeal received under RTI Act 2005 in 2018-19

Number of appeals received including opening balance as on 31.03.2018	Number of appeals replied	Closing balance of appeals as on 31.03.2019
23	21	2

Second appeal received under RTI Act 2005 in 2018-19

Number of notices of hearing received from CIC	Number of appearance by CPIO/FAA , EIC
09	09

5.10.3. Vigilance Activities

Seven complaints received during the period were handled as per CVC guidelines and investigation was conducted in three complaints. Departmental Inquiries were concluded in one Disciplinary Proceeding and major penalty were imposed by Disciplinary Authority. One composite case involving 11 officers was referred to Central Vigilance Commission (CVC) for first stage advice for minor penalty proceedings and based on CVC's advice, disciplinary proceedings for major penalty have been instituted against 10 officers. In addition, major penalty proceedings have been instituted against two officers not falling in CVC's jurisdiction. Departmental Inquiry completed in two cases and Inquiry reports received during the period. Two Inspections/ Surprise Checks at EIA Offices and two CTE Type Inspection were carried out as part of vigilance activities. Agreed List and List of Officer with

Doubtful Integrity (ODI) were prepared for the organization. Guidelines for records and file management system at EIC/EIAs issued as part of system improvement.

The Export Inspection Council (EIC) along with its Export Inspection Agencies (EIAs) observed the Vigilance Awareness Week during 29th October-3rd November 2018 as per directions given in Circular No.11/09/18 dated 24.09.2018 of Central Vigilance Commission. Some of the photographs are:



Banner displayed at EIA-Kolkata



Employees taking Integrity Pledge at EIA-Mumbai Headquarter



Shri K.K.Paul, Director & Vigilance Officer, Eastern Regional Office, Bureau of Indian Standards addressing the audience during special lecture at EIA-Kolkata

Partner in India's Export Growth



Shri T.R.Shaji, ITS, Chief Vigilance Officer, The Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd. (FACT) during guest lecture at EIA-Kochi



Quiz Progam organized at EIA-Mumbai

Chapter 5: Other Major Activities



Handout prepared at EIA-Kolkata during VAW 2018 and distribution to pubic, students



Chapter 6

PROGRESSIVE USE OF HINDI, THE OFFICIAL LANGUAGE

Export Inspection Council is successfully and effectively using the Hindi in official communication. The key highlights of the year are summarized below:

- All documents were issued in bilingual under The Official Languages Act Section 3 (3)
- Provisions issued by the Department of official language, Ministry of Home Affairs, Government of India in the annual program were properly followed.
- Export Inspection Council and Agencies organized Hindi Workshops/Departmental Official Language implementation Committee meetings every quarter under the Rules of Official Language.
- The incentive plans applicable to the original work in Hindi to Officers/ employees were implemented.
- EIC and EIAs progressive use of Hindi reports in all quarter were transmitted online to Department of Official Language.



निदेशक—निर्यात निरीक्षण परिषद की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक विभागीय बैठक का 25 जून 2018 को आयोजन किया गया

- At the entrance of EIC and EIAs a novel word in Hindi is written daily on the sign board.
- In September 2018, Hindi Pakhawada was organized at EIC and EIAs. On the occasion, various competitions like *Shabdawali Pratiyogita, Vaad-Vivaad Pratiyogita, Hindi Tippani & Nibandh Pratiyogita* were organized for employees and prizes were awarded to winners.

- Majority of offices are notified by the Ministry of Commerce and Industry, Government of India under Official Rules, 1976, sub-rule 10 (4) and efforts are being made to notify the rest of offices at Ministry level.
- The Export Inspection Council bi-annually published Hindi Magazine "*Manthan*" to spread the awareness of official language.



Third Sub -Committee of the Committee of Parliament on Official Language

• The third Sub-Committee of the Committee of parliament on official language conducted the inspection of EIA-Chennai, Sub Office Tuticorin, satisfactorily during 19th-21th January, 2019.

ART CLEANING BELIEVE AND A CONTROL OF THE ACCOUNTS AND AND A CONTROL OF THE ACCOUNTS AND A CONTR
Atten . An an a ser and a fer and a fer and a ser a ser and a ser

EIA-Chennai, S.O. Nagercoil won the SECOND PRIZE in Rajbhasha Shield Competition conducted by TOLIC

 EIA-Chennai, Sub Office Nagercoil has won the SECOND PRIZE in Rajbhasha Shield Competition conducted by Town Official Language Implementation Committee (TOLIC), Nagercoil for its commendable performance in the implementation of official language policy during the year 2018-19.







EIA - Kochi, Head Office was awarded with the Regional Award (IIIrd prize) by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India for the outstanding work in the field of Official Language during the year 2017-18. EIA-Kochi Head Office received this award in the category of offices with up to 50 personnel. Export Inspection Agency - Kochi, Sub Office Kollam has received the first prize in the category of offices with up to 10 personnel. These awards were given during the Official Language Conference and Prize distribution ceremony held at Cochin University of Science and Technology (CUSAT) on 14th February, 2019 under the chairmanship of Shri Shailesh, Secretary, Department of Official Language, Government of India. Shri Jayapalan G., Deputy Director In-Charge, received these Awards from Honorable Governor of Kerala Justice (Retd.) P.Sadasivam on behalf of Export Inspection Agency – Kochi Head Office as well as Sub Office Kollam. Shri Manoj Kumar Gupta, Deputy Director and Smt. R. Saraswathi Clerk Grade-I received the Certificates from the Hon'ble Governor of Kerala Justice (Retd.) P.Sadasivam on behalf of Export Inspection Agency - Kochi, Head Office and Sub Office Kollam respectively.

Chapter 7

COMPUTERISATION AND MODERNISATION

- 1. The use of information technology has enabled EIC to achieve greater transparency in its operations and reducing transaction time and manpower costs. Extensive application of IT in the organisation has been credited to the accurate financial reporting and has been linked to the benefits of use of computer systems while generating financial reports e.g. MIS report.
- 2. Computerisation and Networking of all the offices is periodically updated based on the needs and initiatives.
- 3. EIC maintains its own website www. eicindia.gov.in, on which information relating to its policy and procedures is available on a real time basis. The website is both informative and interactive and on-line filing of applications can be made through the website. Online services like Certificate of Origin and e-health certificate are offered through the website. There is a Knowledge Repository section on the website which gives the details of all the

legal framework and information about various Certification schemes of EIC.

- 4. Under the CoO module almost 99 percent exporters apply for online certification for all the preferential schemes. EIC has also incorporated a facility of uploading the supporting documents like export invoice, cost breakup sheet etc. along with the online application of CoO. EIC has been extending the support in development of common platform for issuance of CoO (both preferential and non-preferential) for all the Issuing Authorities in India.
- 5. The e-Health certification system is maintained by EIC for application and processing of health certificates.
- 6. To digitize the routine office work in EIC and EIAs, EIC in exploring the possibility of installation of e- office in EIC and its Agency offices.
- All the regulations related to EIC are made available at India Code Portal (website https://indiacode.nic.in).

Chapter 8

STRENGTHENING MANPOWER

Ever since it's inception, EIC has laid stress on capacity building of its manpower to keep them updated on the dynamics in the food safety across the globe and other key aspects related to the organization's mandate.

Training allows employees to acquire new skills, sharpen existing ones, perform better,

increase productivity and be better leaders. EIC understands that since an organization is the sum total of what employees achieve individually, organizations should do everything in their power to ensure that employees perform at their peak. Keeping this view, year 2018-19 saw EIC nominating officials for National and International trainings.

S. No.	No. of Officer(s)	Topic / Theme	Venue	Organizer	Nature of Visit	Date & No. Of Days
1.	1	Assessment of Sri Lankan Laboratories For Recognition By FSSAI	Sri Lanka	FSSAI	Audit	15-19 May 2018 ; 05 days
2.	1	41 st Session of the Codex Alimentarius Commission(CAC)	Rome, Italy	Codex	Official	2-6 July 2018, 05 Days
3.	1	SPS Committee Meeting and Bilateral meetings on the side-lines	Geneva, Swit- zerland	WTO	Official	11-13 July 2018, 03 Days
4.	1	Agilent Technical Leadership summit	Singapore	Agilent Technologies India P Ltd	Official	11-13 July 2018, 03 Days

Table (j): Officers Deputed for International Conference, Meeting and Training

Chapter 8: Strengthening Manpower

S. No.	No. of Officer(s)	Topic / Theme	Venue	Organizer	Nature of Visit	Date & No. Of Days
	1	Meeting between Indian delegation led by Shri Sanjeev Chadha, AS (FT-NEA), Department of Commerce and Officials of General Administration of Customs of China (GACC) to discuss Market Access issues of Indian agricultural products.	Beijing, China	_	Official	1-2 August 2018, 02 Days
	2	Interregional Training Course on analysis of toxic metals and related contaminants in foods with trade implications	Guayaquil, Ecuador	National Codex Committee / International Atomic Energy Agency (IAEA)	To provide training as faculty.	13- 24 August 2018;10 days
	2	24th Session of Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems	Brisbane, Australia	Codex	Official	22-26 October 2018, 5 days
	2	Capacity building training program to provide technical support for the Metallic Contaminants Laboratory of Ghana Standards Authority(GSA), Ghana	Accra, Ghana	National Codex Committee, Ghana	To provide Train- ing and technical support as faculty to 10 partici- pants	19-30 Novem- ber 2018,10 days
	1	Training on mycotoxin analysis	Veterinary Public Health Labora- tory, Agri Food Veterinary Authority of Singapore, Singapore	FSSAI and Global Food Safety Partners	Training	08 - 10 Janu- ary 2019, 03 days
	2	BTSFWorkshop on Animal Disease Preparedness	Putrajaya, Malaysia	European Union	Official	18-21 March 2019, 04 days

Table (k): Officers Deputed for National Conference, Meeting and Trainings

Officers Deputed for National Conference and Training: 2018-19

S. No.	No. of Officer(s)	Topic / Theme	Venue	Organizers	Date & No. Of Days
1	1	Training on ISO 17020: 2012 & EIC Inspection Agency Recognition s Scheme	Mumbai	EIC	03- 04 May,2018 , 02 days
2	1	Five Days Awareness programme for official control by State and UTs Fisheries Departments on Skill Enhancement in the Marine Sector(SEMS)	Chennai	EIA-Chennai & EIC	07-11 May,2018 , 05 days
3	1	NABL Assessor awareness training program regarding transition from ISO/IEC 17025: 2005 to ISO/IEC 17025: 2017	Kochi	NABL	26-27 May, 2018, 02 days
4	1	NABL Assessor awareness training program regarding transition from ISO/IEC 17025: 2005 to ISO/IEC 17025: 2017	Kochi	NABL	27-28 May,2018 02 days
5	1	Five (05) days Awareness programme for official control by State and UTs Fisheries Departments on Skill Enhancement in the Marine Sector(SEMS)	Vijayawada.	EIA-Chennai & EIC	25- 29 June 2018, 05days
6	1	Annual PIA Meeting	EIC	EIC	28 August 2018, 01 Day
7	1	Training on Pesticide Residue Analysis	New Delhi	ICAR-IARI	28. August-01 September, 2018 , 05 days
8	1	Training programme on Good Fishing Vessel Practices (GFvP)	Kochi	USFDA/JIF- SAN	04- 07 September 2018 , 04 Days
9	2	Training programme on Good Fishing Vessel Practices (GFvP)	Kochi	USFDA/JIF- SAN	04- 07 September 2018 , 04 Days

Chapter 8: Strengthening Manpower

S. No.	No. of Officer(s)	Topic / Theme	Venue	Organizers	Date & No. Of Days
10	2	Five Days Awareness programme for official control by State and UTs Fisheries Departments on Skill Enhancement in the Marine Sector(SEMS)	Mangalore	EIC	24-28. September 2018, 05 days
11	1	Training program of Good Food Laboratory Practices	Kochi	FSSAI and EIC	09-11 October 2018, 03 days
12	1	Training program of Good Food Laboratory Practices	Kochi	FSSAI and EIC	09-11 October 2018, 03 days
13	1	Training program of Good Food Laboratory Practices	Kochi	FSSAI and EIC	09-11 October 2018, 03 days
14	2	Five (05) days Awareness programme for official control by State and UTs Fisheries Departments on Skill Enhancement in the Marine Sector(SEMS)	Kochi	EIC	26- 30 November, 2018, 05 days
15	1	Five (05) days Awareness programme for official control by State and UTs Fisheries Departments on Skill Enhancement in the Marine Sector(SEMS)	Kochi	EIC	26- 30 November, 2018, 05 days
16	1	One day Training session on packaging Norms, Food Safety Standards, Quality Parameters and Regulations for Export of Spices & Processed Food Products	Kochi	Federation of Indian Export Organisations, Kerala	19 December, 2018, 01 Day
17	1	Dioxin India 2019	Thiruvanantha- puram	CSIR-NIIST	19 February, 2019, 01 Day
18	1	Training program of Sampling and Testing of Non-Alcoholic Beverages	New Delhi	FSSAI and IBA	25-26 February, 2019, 02 days
		EIA MUM	1BAI		
1	1	Programme on transition from ISO- 17025 2005 to 2017.	Mumbai	NABL	12-13 May 2018, 02 Days

Partner in India's Export Growth

S. No.	No. of Officer(s)	Topic / Theme	Venue	Organizers	Date & No. Of Days
2	2	Programme on transition from ISO- 17025 2005 to 2017.	Mumbai	NABL	16-17 June 2018, 02 days
3	1	Refresher Training course on Pesticides residue analysis	New Delhi	ICAR, New Delhi	28 August-01 September 2018 , 05 days
4	1	Second PTP/RMP conclave	Mumbai	NABL	30-31 August 2018, 02 days
5	1	Short term mission on microbiological risk assessment	New Delhi	FSSAI, HO, New Delhi	12-16 November 2018 , 05 days
6	1	Hands on Training on Advanced microbiological techniques.	Vadodara	FSSAI	26 – 30 November 2018, 05 days
7	1	Introduction to new e-certification system	New Delhi	EIC	12 January 2019, 01 day
8	2	Inspection Module training	New Delhi	EIC	12 January 2019, 01 day
9	1	Seminar and hands on training analysis of non-alcoholic beverages	New Delhi	FSSAI	25-26 February 2019, 02 days
		EIA CHEI	NNAI		
1	3	Training on ISO 17020:2012 and EIC Inspection Agency Recognition Scheme organized by EIC	Kolkata	EIC & EIA- Kolkata	05-06 April 2018, 02 days
2	1	Method of analysis of fortificants in oils & Fats	Delhi, Gurugram	FSSAI	24 – 28 September 2018, 05 days
3	1	World Brackishwater Aquaculture Conference	Chennai	ICAR-CIBA	23 January 2019, 01 Day
4	1	Training on ISO/IEC 17025:2017	Chennai	EIA-Chennai	23- 24 February 2019, 02 Days
5	1	ISO/IEC 17023:2017	Chennai	EIA CHENNAI	23- 24 February 2019, 02 Days

Chapter 8: Strengthening Manpower

S. No.	No. of Officer(s)	Topic / Theme	Venue	Organizers	Date & No. Of Days			
	EIA KOLKATA							
1	1	Laboratory Awareness program on "ISO/IEC 17025:2017"	Kolkata	NABL	14 May 2018, 01 day			
2	1	Contributed as a speaker at AOAC, India Chapter and Agilent Technologies India Pvt Ltd collaborative workshop	Kolkata	AOAC	23 July 2018, 01 day			
3	1	Training program on "Refresher Training Programme on "Refresher Training Programme on Pesticide Residue Analysis"	Department of Agriculture, Cooperation & Farmer's Welfare, Ministry of Agriculture & Farmer Welfare, Delhi	Department of Agriculture, Cooperation & Farmer's Wel- fare, Ministry of Agriculture & Farmer Welfare , Delhi	28 August – 01 September 2018 , 05 days			
4	1	FSSAI-ICMSF-CHIFSS Hands on International Symposium on Microbiological Food Safety: Sampling and Testing in Food Safety Management	New Delhi	FSSAI	09-10 October, 2018 ,02 days			
5	1	12 th Regional Standards Conclave	Bhubaneswar	CII	01 February 2019, 01 Day			
6	2	Training program on "Good Food Laboratory Practices"	Oil & Technol- ogy Department, University of Calcutta, Kolkata	FSSAI	06-08 February, 2019, 03 Days			
7	1	Interpretation of Test Results	Kolkata	FSSAI	06-08 February, 2019, 03 Days			
8	1	Design, Accomodation & Environment in a Food Laboratory, Laboratory Safety and Laboratory Waste Disposal, Document & Data Control in a food testing Laboratory ,Data Integrity- Audit Trails and its Compliance in a food testing Laboratory	Kolkata	FSSAI	06-08 February, 2019, 03 Days			

Partner in India's Export Growth

S. No.	No. of Officer(s)	Topic / Theme	Venue	Organizers	Date & No. Of Days
9	1	Calibration/Intermediate Check of Measuring and Volumetric Equipment	Kolkata	FSSAI	06-08 February, 2019, 03 Days
10	1	Two Day International Conference of The AOAC - INDIA Section,2019 Talk given on "Emerging Microbial Concerns in Food Safety-Shiga toxin producing E.coli(STEC), Campylobacter, Toxoplasma and Norovirus" on 01.03.2019.	New Delhi	AOAC - India	28. February -01 March 2019, 02 days

Table (l): Outreach programs for Exporters

S. No.	Outreach Program	Date	Location
1	Training programme on Skill Enhancement in the Marine Sector (SEMS) for Sustainable Export Opportunities: Enhanced Official Controls by State and UTs Fisheries Departments	07-11 May, 2018	Chennai
2	Regional meeting chaired by the Director (I & Q/C),EIC	12 May, 2018	Chennai
3	Technologist training programme	21-25 May, 2018	Kochi
4	Awareness Programme on CoO and REX System. (Five Programmes)	09 June,.2018; 20 December, 2018; 30 January, 2019; 27 February, 2019; 27 March, 2019.	Mumbai
5	Skill Enhancement in Marine Sector (SEMS) for Sustainable Export Opportunities: Enhanced Official Controls by State and UTs Fisheries Departments-5 days	25 -29 June, 2018	Gannavaram
6	Interaction with exporters, Director (I& Q/ C) EIC, JD, EIA-Chennai & EIA Officials	28 June, 2018	Bheemavaram

Chapter 8: Strengthening Manpower

S. No.	Outreach Program	Date	Location
7	Sampling of Fish and Fishery Products for EIC approved lab. Under EIA – Kolkata	30 June, 2018	Kolkata
8	Meeting with seafood trade	12 July, 2018; 21 August, 2018	Kochi
9	Sensitizing programme for Exporters of Peanut/Peanut products at Conference Hall, Directorate of Horticulture & Plantation Crops, Chepauk.	10 August, 2018	Chennai
10	Fisheries AP- Skill Development Programme on Shrimp Hatchery operations at SIFT, Kakinada from 06.08.2018 to 06.09.2018	17 August, 2018	Kakinada
11	Screening of antibiotic residues in Aquaculture shrimps using ELISA test kits,	03 September, 2018	Mangalore
12	Meeting With Seafood trade	06 September, 2018	Kochi
13	5 days Awareness programme for official control by State and UTs Fisheries Departments on Skill Enhancement in the Marine Sector(SEMS)	24- 28 September, 2018	Mangalore
14	Awareness Program on use of Veterinary drugs for aquaculture products to State Drugs Control Administration Andhra Pradesh & Tamil Nadu (One day programme)	26 October, 2018	Vijayawada
15	Training program for Technologists on ELISA technique (4 Programmes) 2 days	27-28 October, 2018; 29-30 November,.2018 01-02 December, 2018; 06-07 December,2018;	Bhimavarm; Tuticorin; Kakinada; Nellore
16	Training Program on Proficiency testing provider as per ISO 17043 and ISO 13528	02-04 November, 2018	Kochi
17	Awareness program on CoO (different schemes) & REX system(2 Programmes)-One day	24 November, 2018;05 December, 2018	Coimbatore; Chennai

Partner in India's Export Growth

S. No.	Outreach Program	Date	Location
18	Skill Enhancement in the Marine Sector (SEMS) for sustainable export opportunities: Enhanced Official control by State and UTs Fisheries Departments	26- 27 November, 2018	Kochi
19	Technologists Training Programme for Microbiological Testing for Seafood Industry(4 programmes) 5 days	26 November 2018; 30 November 2018; 03-07 December, 2018; 25 February- 01 March 2019	Chennai
20	5 Days Training Programme for Technologists on Microbiological Analysis	26 - 30 November 2018	Kolkata
21	Requirements for approval of primary production (Aquaculture farm,Hatchery,Feed Mill,Supplier,Landing site & Fishing Vessel) to the exporters of F&FP(2 Programmes)-2 days.	30 November-01 December,2018; 16-17 February,2019	Bhimavaram; Tuticorin
22	Technologist training programme	03-07 December, 2018	Kochi
23	Debriefing session with exporters on International Trade Issues (SPS/ TBT)	05 December, 2018;	Kochi
24	Training on food safety management system for Milk Products technologist & Veterinarians-One day	12 December, 2018	Chennai
25	Awareness Programme for Basmati Rice Exporters	27 December, 2018	New Delhi
26	Training Programme on Seafood HACCP (Two Days)	27-28 December, 2018	Kochi
27	11 th regional standards conclave locally coordinated by SO-Kanpur	04 January, 2019	Lucknow
28	Training of EIA officials for inspection module regarding	04 January, 2019	New Delhi
29	Interactive session with exporters regarding New online inspection module	18 January, 2019	Kochi
30	Outreach Program – Food Section	18 January, 2019; 06 February, 2019; 28 March, 2019	Mumbai

Chapter 8: Strengthening Manpower

S. No.	Outreach Program	Date	Location
31	For Seafood Technologists for introduction to new online website	19 January, 2019	Mumbai
32	Training programme on Regulatory Requirements of Various Importing Countries, Microbiological Lab requirements, GLP, Sampling, Implementation of Primary Production Requirements, Field Level Diagnosis, Prevention and Control of Diseases of Shrimps & Fin Fishes	24 January, 2019	Kochi
33	Interactive Session on "Online inspection module for Establishments.	25 January, 2019	Mangalore
34	2 Days Training Programme for Technologists / on Antibiotic Screening by ELISA Techniques	01- 02 February, 2019	Kolkata
35	Meeting with seafood trade	07 February, 2019; 28 March, 2019	Kochi
36	Agri business start-up program – Maharashtra Co-op. Development Corporation	12 February, 2019	Pune
37	Basic Training programme for establishment lab personals, Mumbai	21 February, 2019	Mumbai
38	Awareness Programme on CoO/ REX	23 February, 2019	Kolkata
39	Training programme for merchant exporter regarding requirements for availing health certificate under CWI and awareness for IPQC approval of Unit	28 February, 2019	New Delhi
40	RASFF to Seafood Technologists	Feb 2019; March 2019	Mumbai
41	Programme on Financing of Agri-exports for awareness amongst bankers about Agri Trade Policy, role of various promotional agencies, forms of export finance, global supply chain, quality and food safety standards, risks and mitigation of risks	01 March, 2019	Pune
42	Training programme on Registered Exporter System (Rex) System and Rules of Origin.	02 March, 2019	Kochi

Partner in India's Export Growth

S. No.	Outreach Program	Date	Location
43	Training for technologists of approved milk product establishments regarding implementation of requirements of executive instructions	02 March, 2019	New Delhi
44	i) Two days training program on HACCP/ Export certification (Food/ Seafood) regulatory requirements of various importing countries on FFP	02-03 March, 2019	Bhubaneswar
45	Skill Enhancement in the Marine Sector (SEMS) for Sustainable Export Opportunities.	04-08 March, 2019	Veraval
46	Screening of antibiotic residues in Aquaculture shrimps using ELISA test kits.	06-07 March, 2019	Mangalore
47	Agri business start-up program – Maharashtra Co-op. Development Corporation	14 March, 2019	Pune
48	Hands on training programme on General Requirement of ELISA LAB and Method Validation with demonstration of ELISA Screening test focusing on Antibiotic residues in Fish and Fishery products	15-16 March, 2019	Bhubaneswar
49	Training programme on ISO/IEC 17025: 2017	16-17 March, 2019	Kochi
50	Basic Training programme on Biological & Chemical aspect for establishment lab personals, Mumbai	20 March, 2019	Mumbai
51	Requirements for approval of primary production (Aquaculture farm,Hatchery,Feed Mill,Supplier,Landing site & Fishing Vessel) to the stakeholders of Hatchery, Feed Mill, Sea Food Supplier, Aqua Farmer(1 Programmes)-1 day	20 March, 2019	Nellore
53	Regional meeting of EIA -Kochi with Director, EIC	29 September, 2018	Mangalore
54	Awareness programme on Export certification (Food/Seafood) and HACCP	29-30 March, 2019	Kolkata

Chapter 9

NETWORK OF EIAs, THE FIELD ORGANIZATIONS OF EIC

The work of quality control, inspection, monitoring, testing and certification of commodities for export is carried out by Export Inspection Agency (EIA) located at Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata and Kochi which operates under technical & administrative control of Export Inspection Council, New Delhi. EIAs have a network of 24 Sub Offices including laboratories at important ports and industrial centres of India. EIAs are playing a vital role to facilitate the country's export from last five decades through its qualified and experienced, personnel.

10.1 EXPORT INSPECTION AGENCY-CHENNAI

Export Inspection Agency- Chennai operates within the jurisdiction of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana and Puducherry having a network of 7 sub offices at Bhimavaram, Coimbatore, Hyderabad, Nagercoil, Nellore, Tuticorin and Visakhapatnam.

Export Inspection Agency- Chennai is handling major activities like –

• Official control of establishments approved under Fish & Fishery Products, Poultry Meat

& Poultry Meat Products, Egg Products, Milk Products, Fruit Products, Black Pepper, Feed Additives & premixtures, etc.

- Consignment wise inspection for export of Dried Fish, Honey, Black Pepper, Peanut & Peanut Products etc.
- Certification of units under Voluntary Scheme, as well as under Turkey Scheme.
- Provision of issuance of CoO under REX and different FTAs like GSP, SAPTA, ISFTA, ITFTA, etc.
- Testing of different commodities in EIA laboratories at Chennai and at Sub-Offices.
- Testing of imported food products as nodal laboratory recognized by FSSAI.

Coastal Aquaculture Authority (CAA) has recognized EIA-Chennai laboratory for testing of various Aquaculture input products for detecting prohibited substances before registration of the aqua inputs. **Drug Control Administration, Government of Andhra Pradesh** has recommended EIA-Chennai laboratory as **Notified** laboratory for testing of various aquaculture inputs used in fish and fishery sector, especially to test for prohibited substances as required under Section 20(1) & Section 20(3) of Drugs and Cosmetics Act 1940.

10.2 EXPORT INSPECTION AGENCY-DELHI

Export Inspection Agency-Delhi exercises its jurisdiction over the entire Northern and Central Region of the country covering the states of J&K, Punjab, Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Haryana and Madhya Pradesh and has its offices in Jalandhar, Ludhiana, in the northern region; Kanpur in the North Central Region; Jaipur in North Western region; Indore in Central Region. The EIA is involved in regulatory control over approved units of Basmati Rice, Milk Products, Honey, Animal Casings apart from Feed Additives and premixtures. The Laboratory of EIA Delhi for Basmati Rice testing is ISO 9001:2015 Certified.

10.3 EXPORT INSPECTION AGENCY – KOCHI

The major products handled by EIA Kochi include Fish & Fishery Products (F&FP) and Black Pepper. EIA Kochi is providing its services of approval and monitoring of the F & FP, Black Pepper, and other food products like spices, etc. under voluntary certification scheme. EIA Kochi is having the NABL accredited laboratory facility for Non GMO on the basis of which Non GMO certificates are issued by all EIAs. EIA Kochi has been authorized to test the samples drawn by FSSAI.

10.4 EXPORT INSPECTION AGENCY-KOLKATA

Export Inspection Agency-Kolkata provides export certification for notified products and food products under voluntary scheme. It also issues preferential certificates of origin as per the Preferential and free trade agreements.

EIA-Kolkata (Laboratory) verified Zinc Fortification method in Rice & Wheat flour which was assigned by FSSAI Scientific Panel. EIA-Kolkata (Laboratory) collected 165 vegetables samplesfrom12states,15locations of Eastern part of India under the FSSAI project namely "Study to generate baseline data on the occurrence of metals contaminants in vegetables".

10.5 EXPORT INSPECTION AGENCY-MUMBAI

EIA Mumbai is having jurisdiction over Maharashtra, Gujarat and Goa with Sub Offices located at Mumbai, Ratnagiri, Goa, Ahmedabad, Rajkot, Gandhidham, Porabandar and Veraval.

Besides issuance of certificate of origin under various preferential tariff scheme, EIA-Mumbai also issues Health certificates for different export commodities including processed Fruit Products, Milk Products, Fish and Fishery Products, Crushed Bones, Ossein and Gelatine, Animal Casings, Black Pepper, Feed Additives and Premixtures, and other food products etc. Online submission of details for issuance of Certificate of Origin is emphasized to exporters.

OFFICE ADDRESSES & CONTACT NOS.

EIC & EIA Addresses and Contact Numbers

I. Export Inspection Council

(Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Government of India) 3rd Floor - NDYMCA Cultural Centre Building, 1, Jai Singh Road, New Delhi – 110 001 Tel: +91 – 11 – 23748188 / 89, 23365540 Fax: 91– 23748024 E - Mail: eic@eicindia.gov.in

II. Export Inspection Agencies and their Sub Offices

Export Inspection Agency- MUMBAI (Head Office E - 3, M.I.D.C., Andheri (East), Mumbai, Pin: 400093, Maharashtra Tel: +91-22-2363 0311 / 2363 0312 / 2363 0113 Fax: +91-22-23683927 E - Mail: <u>eia-mumbai@eicindia.gov.in</u>

Sub-offices

Export Inspection Agency- Mumbai Sub Office: AHMEDABAD

305, Multi Purpose Sports Complex (opp-New Cloth Market) Raipur, Ahmedabad, Pin: 380002, Gujarat, Tel: +91-79-2216 2398 Fax: +91-79-2216 2398 E - Mail: <u>eia-ahmedabad@eicindia.gov.in</u>

Export Inspection Agency- MUMBAI Sub Office: GANDHIDHAM

Room No. F-01, F-02, Old Administrative Office, Kandla Special Economic Zone, GANDHIDHAM, Pin: 370230, Gujarat Tel: +91-2836-253036. Fax: +91-2836-220 836 E - Mail: eia-gandhidham@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency-MUMBAI Sub Office: GOA

Y-15, 5th Floor, Building A-1, Jairam Complex, Rua De Ourem, Mala Panaji, Pin: 403001, GOA Tel: +91- 832-2222380 Fax: +91-832-2222 380 E - Mail: <u>eia-goa@eicindia.gov.in</u>

Export Inspection Agency- MUMBAI Sub Office: PORBANDAR

4, Bhojeswar Plot, Porbandar, Porbandar, Pin: 360575, Gujarat Tel: +91-286-2246 376 Fax: +91-286-2246 376 E - Mail: <u>eia-porbandar@eicindia.gov.in</u>

Export Inspection Agency- MUMBAI Sub Office: RAJKOT

Sharad Villa, 25, New Jagnath Plot, RAJKOT, Pin: 360001, Gujarat Tel: +91-281-2463 620 Fax: +91-281-2463 620 E - Mail: <u>eia-rajkot@eicindia.gov.in</u>

Export Inspection Agency- MUMBAI Sub Office: RATNAGIRI

Sahil Mansion, Shivaji Nagar, Maruthi Mandir, RATNAGIRI, Pin: 415612, Maharashtra Tel: +91-235-2222589 Fax: +91-235-2222589 E - Mail: <u>eia-ratnagiri@eicindia.gov.in</u>

Export Inspection Agency- MUMBAI Sub Office: VERAVAL

1st Floor, Jaikishan Complex, 80 Feet Road, New Chandramauleshwar Temple, VERAVAL, Pin: 362265, Gujarat Tel: +91-2876-220610 Fax: +91-2876-220610 E - Mail: <u>eia-veraval@eicindia.gov.in</u>

Export Inspection Agency-MUMBAI Sub Office: BARODA

Kuber Bhavan, Rook No.-824, 'I' Block, 8th Floor, Near Kothi, BARODA, Pin: 390001, Gujarat Tel: +91-265-2415706 Fax: +91-265-2415706 E - Mail: <u>eia-baroda@eicindia.gov.in</u>

Export Inspection Agency- MUMBAI - Pilot Test House

Export Inspection Agency – Mumbai E-3, MIDC Area, Marol, Andheri (East) Mumbai – 400 093 Tel: +91-22-2836 3396, 3397, 3401, 2834 9619; Fax: +91-22–2836 9868 E-mail: pth@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency-Kolkata

Export Inspection Agency- KOLKATA (Head Office)

World Trade Centre, 14 /1B Ezra Street, KOLKATA, Pin: 700001, West Bengal Tel: +91-33-22355004 / 22352651 / 22352652 Fax: +91-33-22354562 E - Mail: <u>eia-kolkata@eicindia.gov.in</u>

Export Inspection Agency- KOLKATA- Lab

Space 101, (First Floor), Southend Conclave, 1581, Rajdanga Main Road, Kolkata-700107 E-mail: <u>eia-kolkatalab@eicindia.gov.in</u>

Sub-offices

Export Inspection Agency- KOLKATA Sub Office: BHUBANESWAR

IDCO Plot No. 45/A/1, Chandaka Industrial Estate-Patia BHUBANESWAR, Pin: 751 024, Odisha Tel: + 91-674-2975868 E - Mail: <u>eia-bhubaneswar@eicindia.gov.in</u>

Export Inspection Agency- KOLKATA Sub Office: DUM DUM

120, Majumderpara (1st Floor), Jessore Road, Near Airport Gate No. 1, Dum Dum, Pin: 700079, West Bengal Fax: + 91-033-25130573 E - Mail: <u>eia-dumdum@eicindia.gov.in</u>

Export Inspection Agency-Kochi

Export Inspection Agency- KOCHI (Head Office)

27/1767 A, Shipyard Quarters Road, Panampilly Nagar (South), KOCHI, Pin: 682036 Tel: + 91-484 -2314645 / 2316946 / 2316949 Fax: + 91-484-2316948 E - Mail: <u>eia-kochi@eicindia.gov.in</u>

Sub-offices:

Export Inspection Agency- KOCHI Sub Office: BANGALURU

2nd Floor, JEEVAN SAMPIGE, Building, No.1/1, 2nd Main, Sampige, Road, Malleswaram, BANGALORE, Pin: 560003, Karnataka Tel: + 91-80-23444931 / 23567556 E - Mail: <u>eia-bangalore@eicindia.gov.in</u>

Export Inspection Agency- KOCHI Sub Office: QUILON

Shines Complex-3rd floor, Chamakada, QUILON, Pin: 691001, Kerala Tel: +91-474-2749087 Fax: +91-474-2749087 E - Mail: <u>eia-quilon@eicindia.gov.in</u>

Export Inspection Agency- KOCHI Sub Office: MANGALORE

School Book Building-3rd floor, temple, Square, Car Street, MANGALORE, Pin: 575001 Tel: +91-824-2496813 Fax: +91-824-2496 813 E - Mail: eia-mangalore@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency-Delhi

Export Inspection Agency- DELHI (Head Office),

Thakkar Bapa Smarak Sadan, 2nd floor, DR. Ambedkar Marg, (Link Road) (Behind Jhandewalan Metro Station), 55 Delhi Tel: +91-11-23626320/21/22/23/24/25/26/27 Fax: +91-11-23626328 E - Mail: <u>eia-delhi@eicindia.gov.in</u>

Sub-offices:

Export Inspection Agency- DELHI Sub Office: INDORE

303, Capt. C.S. Nayudu Arcade 10 /2, Old Palasia, Indore, INDORE, Pin: 452 001, Madhya Pradesh Tel: +91-731-2566057 E - Mail: <u>eia-indore@eicindia.gov.in</u>

Export Inspection Agency- DELHI Sub Office: JAIPUR

201-202, Tirupati Trade Centre, 4, Sansar Chandra Road, Jaipur, JAIPUR, Pin: 302 001, Rajasthan Tel: +91-141-2366 973 Fax: +91-141 - 2366 973 E - Mail: <u>eia-jaipur@eicindia.gov.in</u>

Export Inspection Agency- DELHI Sub Office: JALANDHAR

320, W. G. T. Road, Basti Adda Jalandhar, JALANDHAR, Pin: 144 001, Punjab Tel: +91-181-2403424 Fax: +91-181-2403 424 E - Mail: <u>eia-jalandhar@eicindia.gov.in</u>

Export Inspection Agency- DELHI Sub Office: KANPUR

MD Plaza, 38 / 105, Meston Road (2nd floor), Near Bada Chuwraha, Kanpur, KANPUR, Pin: 208 001, Uttar Pradesh Tel: +91-512–2369 927 Fax: +91-512-2369 927 E - Mail: <u>eia-kanpur@eicindia.gov.in</u>

Export Inspection Agency- DELHI Sub Office: LUDHIANA

First floor, SCO 17 (Near NRI police station) sector 39, Chandigarh road, LUDHIANA, Punjab Pin: 141010, Tel: 0161 – 2410 083 Fax: 0161 - 2410 083 E - mail: <u>eia-ludhiana@eicindia.gov.in</u>

Export Inspection Agency-Chennai

Export Inspection Agency- CHENNAI (Head Office)

6th. Floor CMDA Tower II, No. : 1 Gandhi Irwin Road, Egmore, CHENNAI, Pin: 600008, Tamil Nadu Tel: +91-44-28552841 / 42 Fax: +91-44-28552840 E - Mail: <u>eia-chennai@eicindia.gov.in</u>

Sub-offices:

Export Inspection Agency- CHENNAI Sub Office: BHIMAVARAM

Door No: 7-150, Second Floor Venkataraju Nagar Chinnamiram Juvallapalem Road, West Godavari District, Bhimavaram, Pin: 534204, Andhra Pradesh Tel: +91-8816–229075 Fax: +91-8816-229075 E- mail:- <u>eia-bheemavaram@eicindia.gov.in</u>

Export Inspection Agency- CHENNAI Sub Office: COIMBATORE

1sr Floor, North Wing, Jawan Bhavan, No.27, Travellers Bunglow Road, Coimbatore, Pin: 641018, Tamil Nadu Tel: +91-422-2393365 Fax: +91-422-2233365 E - Mail: <u>eia-coimbatore@eicindia.gov.in</u>

Export Inspection Agency- CHENNAI Sub Office: HYDERABAD

No. 903, 9th floor, Raghava Ratna Towers, Chirag, Ali Lane, Hyderabad, Pin: 500018, Andhra Pradesh Tel: +91-40-23712224 Fax: +91-40-23202224 E - Mail: <u>eia-hyderabad@eicindia.gov.in</u>

Export Inspection Agency- CHENNAI Sub Office: NAGERCOIL

75-A, Court Road, Sankar Building, NAGERCOIL, Pin: 629001, Tamil Nadu Tel: +91-465–232704 Fax: +91-4652-2327 04 E - Mail: <u>eia-nagercoil@eicindia.gov.in</u>

Export Inspection Agency- CHENNAI Sub Office: TUTICORIN

No. 271, Aishwariya Towers, Sivanthakulam Road, TUTICORIN, Pin: 628003, Tamil Nadu Tel: +91-461-232061 Fax: +91-461 -2339182 E - Mail: <u>eia-tuticorin@eicindia.gov.in</u>

Export Inspection Agency- CHENNAI Sub Office: VISAKHAPATNAM

D.No. 43-18-10/4, T.S.N. Colony, 3rd Floor, Hero Honda Show Room, Visakhapatnam, Pin: 530016, Andhra Pradesh Tel: +91-891-2747141 Fax: +91-891 - 2747141 E - Mail: <u>eia-vizag@eicindia.gov.in</u>

Export Inspection Agency- CHENNAI Sub Office: NELLORE

3rd Floor, South Wing, G.K.Imperial Towers, Door No. 23, Plot No. 468, Kings Court, Magunta Layout, Nellore, Pin: 524003, Andhra Pradesh Tel: +91-861-359900 / +91-861-2354400 E - Mail: <u>eia-nellore@eicindia.gov.in</u>



निर्यात निरीक्षण परिषद्

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) तीसरी मंजिल, एन.डी.वाई.एम.सी.ए., कल्वरल सेन्टर बिल्डिंग, 1, जय सिंह रोड़, नई दिल्ली–110001 दूरभाष : 011–23365540 / 23748189 / 23341263, फैक्स : 011–23365540 वेबसाई : www.eicindia.gov.in ई–मेल : eic@eicindia.gov.in

EXPORT INSPECTION COUNCIL

(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India) 3rd Floor, NDYMCA Cultural Centre Building, 1, Jai Singh Road, New Delhi-110001 Tel : 011-23365540/23748189/23341263, Fax : 011-23365540 website : www.eicindia.gov.in E-mail : eic@eicindia.gov.in